रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं• 5] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 29, 1983/माघ 9, 1904

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 29, 1983/MAGHA 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

सूचनाएं

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1983

का०आ०.621—नोटरीज नियम 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री त्रिलोकी शरण उपाध्याय, अधिवक्ता, 178, पश्चिम खंड, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-6 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे नोएडा काम्प्लैक्स में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति करने पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं० 5(48)/82-न्याय]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

NOTICES

New Delhi, the 7th January, 1983

S.O. 621.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Triloki Sharan Upadhyaya, Advocate, 178, Western Wing, Tis Hazari, Delhi-6 for appointment as a Notary to practise in NOIDA Complex.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(48)/82-Judl.]

का०आ० 622.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री सदाशिव कोरागप्पा शेट्टी, अधिवक्ता, 8, प्रथम मंजिल, बसन्त स्ट्रीट, सान्ताक्रुज वेस्ट, बम्बई-400054 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे सान्ताक्रुज क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं० 5(83)/82-न्या०]

S.O. 622.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority under rule 4 of the said Rules, by Shri Sadashiv Karagappa Shetty, Advocate, 8, 1st Floor, Santacruz Prakash Co-operative Housing Society Ltd., Besant Street, Santacruz West, Bombay-400054 for appointment as a Notary to practise in Santacruz area, Bombay.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(83)/82-Judl.]

का०आ०623 -नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री डी० एल० कक्कड़, अधिवक्ता, बी०-4/81 सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे सफदरजंग एन्क्लेव, दिल्ली में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं० 5(84)/82-न्या०]

के०सी०डी० गंगवानी, सक्षम प्राधिकारी

S.O. 623.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri D. L. Kakar, Advocate, B-4/81-Safdarjung Enclave, New Delhi for appointment as a Notary to practise in Safdarjung Enclave, New Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(84)/82-Judl.]

K. C. D. GANGWANI, Competent Authority

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 7, जनवरी, 1983

का० आ० 624:--एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स ब्रुशवेयर लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 371/70) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[संख्या 16/21/82एम० 3]

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 7th January, 1983

S.O. 624.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Brushware Limited under the said Act (Certificate of Registration No. 371/70).

[No. 16/21/82-M. III]

का० आ० 625 --एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स दि एलगिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 341/70) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[संख्या 16/29/82-एम०-3]

चन्द्रकान्त खुशालदास, निदेशक

S.O. 625.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. The Elgin Mills Company Ltd., under the said Act (Certificate of Registration No. 341/70).

[No. 16/29/82-M. III]

C. KHUSHALDAS, Director

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1983

का० आ० 626.—विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के पैरा 3 के उपबंधों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार (i) भारत से बाहर किसी भी भारतीय मिशन से संबद्ध प्रत्येक राजनयिक या कांसुली प्राधिकारी (ii) दिल्ली, बंबई और कलकत्ता स्थित विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रेशन अधिकारियों, (iii) मुख्य आप्रवास अधिकारी, मद्रास, (iv) पोर्ट ब्लेयर स्थित आप्रवास अधिकारी, (v) दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और मद्रास के हवाई अड्डों पर स्थित आप्रवास चैकपोस्टों के आप्रवास अधिकारियों, और (vi) मद्रास बन्दरगाह के आप्रवास अधिकारी को विदेशियों के अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के विनिर्दिष्ट स्थानों में प्रवेश करने या ठहरने के लिए, उक्त पैराग्राफ के अधीन परमिट जारी करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है।

[सं० 15011/21/82-एफ० I]

पी० विजयराघवन, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 10th January, 1983

S.O. 626.—In pursuance of the provisions of paragraph 3 of the Foreigners (Restricted Areas) Order, 1963, the Central Government hereby authorises (i) every diplomatic or consular authority attached to any Indian Mission outside India, (ii) Foreigners Regional Registration Officers at Delhi, Bombay and Calcutta, (iii) the Chief Immigration Officer, Madras, (iv) the Immigration Officer, Port Blair, (v) the Immigration Officers at the immigration checkposts at the airports at Delhi, Bombay, Calcutta and Madras, (vi) the Immigration Officer at Madras Harbour to issue permits under the said paragraph to foreigners for entering into, or remaining at specified places in the Andaman and Nicobar Islands.

[No. 15011/21/82-F.I.]

P VIJAYARAGHAVAN, Dy. Secy.

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1983

का० आ० 627.—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री डी० के० सोरल, अधिवक्ता, जयपुर को विशेष न्यायाधीश, जयपुर के न्यायालय में ले० कर्नल खजानसिंह और अन्य के विरुद्ध नियमित मामला संख्या 43/63 और 62/64-जयपुर (एक चार्ज शीट) में राज्य की ओर से उपसजात होने और अभियोजन का संचालन करने के लिए, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 225/24/82-ए० वी० डी०-II]

एच० के० शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Admn. Reforms)

New Delhi, the 10th January, 1983

S.O. 627.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri D. K. Soral, Advocate, Jaipur, as a Special Public Prosecutor to appear and conduct prosecution on behalf of the State in the Court of Special Judge, Jaipur, in RC Nos. 42/63 and 62/64-Jaipur (one charge-sheet) against Lt. Col. Khazan Singh and others.

[No. 225/24/82-AVD-II]
H. K. VERMA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1982

आयकर

का०आ० 628.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री प्रसन्ना वेन्कटेस पेरुमल मंदिर, तालुक उलुन्दुरपेट, जिला दक्षिणी अर्काट (तमिलनाडु)" को तमिलनाडु राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है।

[सं० 4927 फा० सं० 176/62/82-आ०क० (ए-I)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 29th September, 1982

(INCOME-TAX)

S.O. 628.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80-G of the Iniome-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Prasanna Venkatesa Perumal Temple, Ulundurpet Taluk, South Arcot District (Tamil Nadu)" to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu.

[No 4927/F. No. 176/62/82-IT (AI)]

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1982

(आय-कर)

का०आ० 629—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "चन्नाई श्री कालीकाम्बाल कामटेश्वर मंदिर मद्रास" को तामिलनाडु राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है।

[सं० 4931/फा० सं० 176/64/82-आ०क० (ए०I)]

New Delhi, the 30th September, 1982

(INCOME-TAX)

S.O. 629.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Chennai Sree Kalikambal Kamateswarar Temple, Madras" to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu.

[No 4931/F. No. 176/64/82-IT (AI)]

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1982

आय-कर

का०आ० 630—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री साबरीमाला मन्दिर" (केरल) को केरल राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है।

[सं० 4969/फा० सं० 176/69/82-आ०क० (ए I)]

New Delhi, the 17th November, 1982

(INCOME-TAX)

S.O. 630.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Sabarimala Temple, (Kerala)" to be a place of public worship of renown throughout the State of Kerala.

[No. 4969/F. No. 176/69/82-IT (AI)]

का०आ० 631.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री अयप्पा मन्दिर, मद्रास" को, तमिलनाडु राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए केवल मरम्मत/नवीकरण के लिए प्राप्त दान धारा 80छ (2)(ख) के अधीन राहत के लिए अर्हित होगा।

[सं० 4970/फा० सं० 176/34/82-आ०क० (ए1)]
मिलाप जैन, अवर सचिव

S.O. 631.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sree Ayyappa Temple, Madras" to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu It is clarified that for the purposes of this Notification donations for repairs/renovations only will qualify for relief under section 80-G (2)(b).

[No. 4970/F. No. 176/34/82-IT (AI)]
MILAP JAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1983

प्रधान कार्यालय सस्थापन

का० आ० 632.—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का सख्यांक 54) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) के अधिकारी, श्री एस० बी० सरकार को, जो पिछले दिनों नई दिल्ली मे निरीक्षण निदेशक (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) के रूप में तैनात थे, 11 जनवरी, 1983 से अगला आदेश होने तक केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

[फा० संख्या ए-19011/1/83-प्रशासन-1]

New Delhi, the 11th January, 1983

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

S.O. 632.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Boards of Revenue Act, 1963 (No. 54 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri S. B. Sarkar, an officer of the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise), and lately posted as Director of Inspection (Customs and Central Excise), New Delhi, as Member of the Central Board of Excise & Customs with effect from the forenoon of the 11th January, 1983 and until further orders

[F. No A. 19011/1/83-Ad II]

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1983

का० आ० 633.—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का सख्यांक 54) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) के अधिकारी श्री एस० वी० अय्यर को, जो पिछले दिनों नई दिल्ली में प्रशिक्षण निदेशक (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) के रूप में तैनात थे, 12 जनवरी, 1983 से अगला आदेश होने तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है ।

[फा० संख्या ए-19011/2/83-प्रशासन-1]

जी० एस० मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 12th January, 1983

S.O. 633.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Boards of Revenue Act, 1963 (No. 54 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri S. V. Iyer, an officer of the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise), and lately posted as Director of Training (Customs and Central Excise), New Delhi, as Member of the Central Board of Excise & Customs with effect from the forenoon of the 12th January, 1983 and until further orders.

[F. No. A. 19011/2/83-Ad. I]

G. S. MEHRA, Under Secy

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1982

शुद्धि-पत्र

(आय-कर)

का०आ० 634.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 4944 तारीख 12 अक्तूबर, 1982, तारीख 15-10-82 के बजाय, जैसा कि पहले अधिसूचित किया गया था, तारीख 15-11-1982 से प्रभावी होगी।

[सं० 4975/फा० सं० 188/8/82 आ०क० (ए० I)]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 18th November, 1982

CORRIGENDUM

(INCOME-TAX)

S.O. 634.—In exercise of the powers conferred by Section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that its Notification No. 4944 dated 12th October, 1982 shall take effect from 15-11-1982 instead on 15-10-1982, as notified earlier.

[No. 4975/F. No. 188/8/82-IT (AI)]

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1982

का०आ० 635—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 679 (फा० सं० 187/2/74-आई०टी० (ए० आई०) ता० 20-7-74 के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है ।

अनुसूची की क्रम संख्या 4 के सामने स्तम्भ 4 के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी ।

क्रम सं०	आय-कर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3	4
4	पटना	पटना	23 हाजीपुर

यह अधिसूचना 15-10-1982 से प्रभावी होगी ।

[सं० 4973/फा० सं० 189/12/81-आई०टी० (ए० आई०)]

मिलाप जैन, अवर सचिव

New Delhi, the 17th November, 1982

S.O. 635 :– In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Schedule appended to its Notification No. 679 (F. No. 187/2/74-IT(AI) dated 20-7-74 as amended from time to time.

The following entries shall be added under Col. 4 against Sl. No. 4 of the Schedule.

Sl. No.	Commissioner of Income-tax	Headquarters	Jurisdiction
1	2	3	4
4	Patna	Patna	23 Hazipur

This notification shall take effect from 15-10-1982.

[No. 4973/F. No 189/12/81-IT(AI)]

MILAP JAIN, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1983

का० आ० 636.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री अरुण कुमार सर्बजन को गौड़ ग्रामीण बैंक, माल्दा का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 30-12-1982 से प्रारम्भ होकर 31-12-1985 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री अरुण कुमार सर्बजन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[सं० एफ० 2-2/82-आर० आर० बी०]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 5th January, 1983

S.O. 636.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Arun Kumar Sarbajana as the Chairman of the Gaur Gramin Bank, Malda and specifies the period commencing on the 30-12-1982 and ending with the 31-12-1985 as the period for which the said Shri Arun Kumar Sarbajan shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-2/82-RRB]

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1983

का० आ० 637.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, इसके द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान गैर-बैंकिंग आस्तियों अर्थात् मकान सं० 156 नयी संख्या 50) नार्थ स्ट्रीट, सैंड पैठ, तिरुकोईलूर धारण करने वाले तिरुकोईलूर कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि०, तिरुकोईलूर पर इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 अक्तूबर 1983 तक की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे।

[संख्या 8-41/82-ए० सी०]

राम बेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 10th January, 1983

S.O. 637.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply to the Tirukoilur Co-operative Urban Bank Ltd., Tirukoilur so far as they relate to its holding of a non-banking asset viz. House at Door No. 156 (New No. 50) North Street, Sandapet, Tirukoilur, for the period from the date of publication of this notification in the Gazette of India to 15 October, 1983.

[No. 8-41/82-AC]

RAAM BEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1983

का.आ. 638.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध तथा प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 के उपखंड (छ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय बंबई के सांख्यिकी विश्लेषक तथा संगणक (कम्प्यूटर) सेवा विभाग में सलाहकार श्री सी. वी. राव को श्री बी. वेंकट राव के स्थान पर बैंक आफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ. 9/6/82-बी.ओ.-1]

च. वा. मीरचन्दानी, उपसचिव

New Delhi, the 11th January, 1983

S.O. 638.—In pursuance of sub-clause (g) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri C. V. Rao, Adviser, Department of Statistical Analysis and Computer Services, Reserve Bank of India, Central Office, Bombay as a Director of the Bank of India vice Shri B. Venkata Rao.

[No. F. 9/6/82-B.O.I.]

C. W. MIRCHANDANI, Dy. Secy.

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क समाहर्ता का कार्यालय)

अधिसूचना संख्या 1/82

बंगलौर, 12 नवम्बर, 1982

सीमा शुल्क

का० आ० 639.—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2 की उप-धारा 34 के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम की (4) डी 129 के साथ पठित 129 ए(2) की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क मुख्यालय बंगलौर के सहायक समाहर्ता (विधि) को "उचित अधिकारी" के रूप में प्राधिकृत करता हूं।

[सं० 1/82/सी० न० 8/1/8/82- सी-2/सीमा शुल्क]

सी के. गोपालकृष्णन समाहर्ता,

(Office of the Collector of Central Excise)

Notification No. 1/82

Bangalore, the 12th November, 1982

CUSTOMS

S.O. 639.—In exercise of the powers conferred on me under sub-section 34 of section 2 of Customs Act 1962, I hereby authorise Assistant Collector of Central Excise and Customs (Legal) Headquarters Office, Bangalore, to be the Proper Officer under Provisions of the Section 129 A (2) read with 129 D (4) of Customs Act, 1962.

[No. 1/82/C. No. VIII/1/8/82. C-2/Cus]

C. K. Gopalakrishnan, Collector

and Customs, Bangalore

MINISTRY OF COMMERCE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th January, 1983

S.O. 640.—In the notification of the Ministry of Commerce No. S.O. 3619 dated 23rd October, 1982 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (ii) dated 23rd October, 1982 at pages 3761 to 3763,—

(a) At page 3761, in rule 3,—

(i) in line 2, for 'or' read 'for',

(ii) in line 3, for 'affecting' read 'effecting';

(b) At page 3762,—

(i) in sub-rule (2) of rule 3, omit, 'and Schedule'

(ii) in Schedule II, in clause A, in paragraph (1), in line 2, for 'codour' read 'colour';

(c) At page 3762, in item B of Schedule II, in Table I,—

(i) Against Sl. No. 1 under 'Requirements' for '8 lbs to 20 lbs' read '8 lbs to 30 lbs';

(ii) Against Sl. No. 2 under 'Requirements' for 'Tolerance+20.0%' read 'Tolerance 20.0%'

(iii) In Table-II, against Sl. No. 3, for 'Tensil Strength' read 'Tensile Strength';

(d) At page 3763,—

(i) in rule 4, in line 1, for 'manufacture' read 'manufactured'.

[No. 6(13)/74-EI&EP]

B. KUKRETI, Jt Director

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1983

का०आ० 641.—केन्द्रीय सरकार की, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 2274, तारीख 9 जुलाई, 1977 और का०आ० 2275, तारीख 9 जुलाई, 1977 को अधिक्रांत करते हुए, यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिये ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि ट्रान्सफार्मर का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाये;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिये नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाये हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार उक्त उप-नियम के अनुसरण में और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 3347, तारीख 29 दिसम्बर, 1980 के साथ प्रकाशित प्रस्तावों को अधिक्रांत करते हुए दूसरे पैरा में उल्लिखित प्रस्तावों को ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित करती है, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है।

2. सूचना दी जाती है कि नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजने का इच्छुक कोई व्यक्ति उन्हें इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् प्रगति टावर (11वीं मंजिल) 26, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008 को भेज सकता है।

प्रस्ताव

(1) अधिसूचित करना कि ट्रांसफार्मर निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे।

(2) इस आदेश के उपाबन्ध में दिये गये ट्रांसफार्मर के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1983 के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को, क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो ऐसे ट्रांसफार्मरों को निर्यात से पूर्व लागू होगा;

(3) आयातकर्ता के उन संविदिक विनिर्देशों को मान्यता देना जिनमें निश्चित परिचालन लक्षण या निश्चित यांत्रिक संरचनाएं या दोनों अनुबद्ध हों तथा जहां कहीं आवश्यक हों, ऐसे विशिष्ट आवेदन पत्र आबद्ध हों जिनमें निश्चित सेवा शर्तें हों: परन्तु सांविधिक विनिर्देशों में मिसिंग पैरा-मीटर यदि कोई हों, नीचे विनिर्दिष्ट सभी या किसी विनिर्देश का अनुपालन करेंगे; अर्थात् :—

(क) भारतीय या अन्य कोई राष्ट्रीय मानक विनिर्देश

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत् तकनीकी आयोग की सिफारिश

(ग) सरकारी विभाग द्वारा अनुमोदित विनिर्देश या आयात देश की लोकोपयोगी सेवाएं

(घ) मानक विनिर्देशों के रूप में विनिर्माता यूनिट के तकनीकी सहयोगियों द्वारा अनुसरित विनिर्देश।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे ट्रांसफार्मर के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक उनके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरणों में से किसी के द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि ट्रांसफार्मरों के परेषण क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करते हैं और निर्यात योग्य हैं।

3. इस आदेश में "ट्रांसफार्मर" से लगातार चलने वाले पुर्जों से रहित एक ऐसा साधित्र अभिप्रेत है जो एक या अधिक कुण्डलन में प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा को विद्युत् चुम्बकीय प्रेरणा द्वारा सामान्यत: वोल्टता और धारा के विभिन्न मानों पर और एक ही आवृत्ति पर एक या अधिक कुण्डलनों में परिवर्तन कर देता है। इसके अन्तर्गत घरेलू प्रयोजनों और रेडियो दूर संचार परिपथ में प्रयोग किये गये ट्रांसफार्मर नहीं हैं।

उपाबन्ध

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाये जाने वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम ट्रांसफार्मरों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1983 है।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है।

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई एक अभिप्रेत है।

(ग) इस आदेश में "ट्रांसफार्मर" से लगातार चलने वाले पुर्जों से रहित एक ऐसा साधित्र अभिप्रेत है जो एक या अधिक कुण्डल में प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा का विद्युत् चुम्बकीय प्रेरणा द्वारा सामान्यत: वोल्टता और धारा के विभिन्न मानों पर और एक ही आवृत्ति पर एक या अधिक कुण्डलनों में परिवर्तित कर देता है, किन्तु इसके अन्तर्गत घरेलू प्रयोजनों और रेडियो दूर संचार परिपथों में प्रयोग किये गये ट्रांसफार्मर नहीं हैं।

3. क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण—(1) विनिर्माता द्वारा ट्रान्सफार्मर की क्वालिटी इन नियमों की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट के स्तरों सहित उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट विनिर्माण के विभिन्न प्रक्रमों/प्रक्रमों पर नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित विनिर्माण के विभिन्न प्रक्रमों पर नियंत्रण निम्नानुसार होंगे —

(1) क्रय की गयी सामग्री और घटकों का नियंत्रण :

(क) प्रयोग की जाने वाली सामग्री या घटकों के गुणधर्मों और सहायताओं सहित उनकी ब्यौरेवार विमाओं को समाविष्ट करते हुए विनिर्माता द्वारा विनिर्देश अधिकथित किये जायेंगे।

(ख) प्रदायकर्ता के परीक्षण प्रमाण-पत्र कच्ची सामग्री जैसे कोरप्लेट कुण्डलन तार, ट्रांसफार्मर का तेल और प्रेस बोर्ड के लिये और बुशिंग, क्वायल, टी०ओ० पम्प, पंखे, रेडिएटर, उपकरण या रिले के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे:

परन्तु जब कच्ची सामग्री या घटकों के लिये प्रदायकर्ता के परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत प्राप्त हो जाते हैं तब प्रदायकर्ता की परीक्षण रिपोर्ट की प्रति की जांच की आवश्यकता नहीं होगी:

परन्तु यह और कि प्रदायकर्ता की परीक्षण रिपोर्ट न होने की दशा में क्रय विनिर्देशों से उनकी अनुरूपता की जांच करने के लिये प्रत्येक परेषण में से नमूनों का नियमित रूप से परीक्षण किया जायेगा।

(ग) खंड (ख) में वर्णित घटकों से भिन्न प्राप्त घटकों का परीक्षण और निरीक्षण सांख्यिकीय नमूना योजना के सामने दिये गये विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा।

(घ) निरीक्षण या परीक्षण या दोनों किये जाने के पश्चात् दोषों के उचित पृथक्करण और निपटान के लिये व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जायेंगी।

(ङ) विनिर्माता उपरोक्त नियंत्रणों के सम्बन्ध में पर्याप्त अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखेगा।

(2) प्रक्रिया नियंत्रण :

(क) विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये विनिर्माता द्वारा ब्यौरेवार प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित किये जायेंगे।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देशों में अधिकथित प्रक्रिया नियंत्रण के लिये उपस्करों या उपकरणों की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।

(ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रणों का सत्यापन करने के लिये विनिर्माता पर्याप्त अभिलेख रखेगा।

(3) उत्पाद नियंत्रण :

(क) मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का परीक्षण करने के लिये विनिर्माता के पास या तो स्वयं की परीक्षण सुविधाएं होंगी या उसकी पहुंच वहां तक होगी जहां तक ऐसी परीक्षण सुविधाएं विद्यमान हैं और विनिर्माता उसके पर्याप्त अभिलेख रखेगा।

(ख) प्रत्येक समनुदेशन की परेषण के भेजे जाने से पूर्व अधिकथित निरीक्षण जांच सूची से जांच की जायेगी।

(4) मौसम संबंधी नियंत्रण :

परीक्षण में प्रयुक्त विद्युत् मापी उपकरणों और प्रक्रिया नियंत्रण के लिये प्रयुक्त नाजुक उपकरणों की कालिक जांच की जायेगी, या उनका अनुसंशोधन किया जायेगा और विनिर्माता वृत्तकार्ड के रूप में अभिलेख रखेगा।

4. निरीक्षण का आधार—निर्यात के लिये ट्रांसफार्मरों का निरीक्षण यह देखने की दृष्टि से कि ट्रांसफार्मर अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य विनिर्देशों के अनुरूप हैं

(क) यह सुनिश्चित करते हुए कि उत्पाद नियम 3 में उल्लिखित उत्पादन के दौरान आवश्यक क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करके या

(ख) इस अधिसूचना की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट ढंग से किये गये निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर, विनिर्मित किए गये हैं, किया जायेगा।

5. निरीक्षण की प्रक्रिया—(1) संरचित ट्रांसफार्मरों के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता निर्यात संविदा या आदेश की एक प्रति के साथ संविदात्मक विनिर्देशों का ब्योरा देते हुए, अभिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा जिससे अभिकरण नियम 4 के अनुसार निरीक्षण कर सके।

(2) नियम 3 में अधिकथित उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करते हुए विनिर्मित ट्रांसफार्मरों के निर्यात के लिये और यदि इस प्रयोजन के लिये परिषद् द्वारा गठित विशेषज्ञों के पैनल ने यह निर्णय दिया है कि विनिर्माण एकक में उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण क्रियों की पर्याप्त व्यवस्था है तो भी निर्यातकर्ता उप-नियम (1) में उल्लिखित सूचना के साथ यह घोषणा भी प्रस्तुत करेगा कि निर्यात के लिये आशयित ट्रांसफार्मरों का परेषण नियम (1) में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करते हुए विनिर्मित किया गया है तथा परेषण इस प्रयोजन के लिये मान्य मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

(3) निर्यातकर्ता निर्यात किये जाने वाले परेषण पर लगाये गये पहचान चिन्ह अभिकरण को देगा।

(4)(क) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना विनिर्माता के परिसर में जांच प्रारंभ करने की प्रस्तावित तारीख से 15 दिन पूर्व दी जायेगी।

(ख) उपनियम (2) के अधीन घोषणा सहित सूचना के मामले में वह विनिर्माता के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

(5) उपनियम (1) के अधीन सूचना तथा उपनियम (2) के अधीन घोषणा यदि कोई है के प्राप्त होने पर अभिकरण,—

(क)(1) अपना यह समाधान कर लेने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान विनिर्माता ने नियम 3 में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया था तथा इस प्रयोजन के लिये मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप उत्पादन का विनिर्माण करने के लिये इस संबंध में परिषद् और अभिकरण द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का, यदि कोई हो, पालन किया है, तीन दिन के भीतर यह घोषित करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि ट्रांसफार्मर का परेषण निर्यात-योग्य है।

(2) उस दशा में जहां विनिर्माता निर्यातकर्ता नहीं है वहां परेषण का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जायेगा और अभिकरण द्वारा ऐसा सत्यापन और निरीक्षण, यदि आवश्यक हो तो, यह सुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा कि क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित उपरोक्त अपेक्षाओं का पालन किया गया है।

परन्तु अभिकरण निर्यात के लिये आशयित कुछ परेषणों की स्थल पर ही जांच करेगा तथा उत्पादन के दौरान विनिर्माण एकक द्वारा अपनाये गये क्वालिटी नियंत्रण क्रियों की पर्याप्तता के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिये नियमित अंतरालों पर एककों में जायेगा और यदि विनिर्माण एकक में विनिर्माण के किसी भी प्रक्रम पर अपेक्षित क्वालिटी नियंत्रण उपायों का प्रयोग नहीं किया गया है या परिषद् या अभिकरण की सिफारिशों को पूरा किया गया है तो यह घोषित किया जायेगा कि एकक के पास उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण क्रियें नहीं हैं।

परन्तु आगे यह कि ऐसे मामलों में एकक यदि ऐसा चाहे तो उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण क्रियों की पर्याप्तता को बनाये रखने के समायोजन के लिये फिर से आवेदन कर सकता है।

(ख) यदि निर्यातकर्ता ने उप-नियम (2) के अधीन यह घोषित नहीं किया है कि नियम 3 में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया गया है तो, अपना यह समाधान कर लेने पर कि ट्रांसफार्मरों का परेषण इस प्रयोजन के लिये मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, अनुसूची-II में यथा अधिकथित किये गये निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर, ऐसा निरीक्षण करने के सात दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि ट्रांसफार्मरों का परेषण निर्यात योग्य है।

परन्तु जहां अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है वहां वह निर्यातकर्ता को ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार कर देगा कि ट्रांसफार्मरों का परेषण निर्यात-योग्य है तथा ऐसे इंकार की सूचना निर्यातकर्ता को उसके कारणों सहित सात दिन के भीतर देगा।

(6)(क) यदि उपनियम (5)(क) के अधीन विनिर्माता निर्यातकर्ता नहीं है या परेषण का निरीक्षण उप-नियम (5)(ख) के अधीन किया गया है, तो अभिकरण निरीक्षण के तुरन्त पश्चात् ट्रांसफार्मरों की प्रत्येक श्रेणी-पट्टिका पर, ट्रांसफार्मरों के परेषण पर अपने अनुमोदन की छाप लगा देगा या परेषण के पैकेज को इस प्रकार सीलबंद करेगा कि जिससे यह सुनिश्चित हो जाये कि सीलबंद पैकेजों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।

(ख) परेषण की अस्वीकृति की दशा में, यदि निर्यातकर्ता ऐसा चाहे तो परेषण अभिकरण द्वारा सीलबंद नहीं किया जा सकेगा परन्तु ऐसे मामलों में निर्यातकर्ता अस्वीकृति के विरुद्ध कोई भी अपील करने का हकदार नहीं होगा।

6. निरीक्षण का स्थान—इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण—

(क) ऐसे उत्पादों के विनिर्माता के परिसरों पर, या

(ख) ऐसे परिसरों पर जहां निर्यात कर्ता ने माल प्रस्तुत किया है बशर्ते कि वहां निरीक्षण के लिये पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों,

किया जायेगा।

7. निरीक्षण फीस—निरीक्षण फीस का संदाय यथास्थिति विनिर्माता और निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को निम्नानुसार किया जायेगा :

(1) नियम के खंड (क) के अधीन निरीक्षण के लिये पोतपर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के 0.27 की दर से प्रति परेषण न्यूनतम 20/- रुपये के अधीन रहते हुए।

(2) नियम 4 के खंड (ख) के अधीन निरीक्षण के लिये पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4% की दर से प्रति परेषण न्यूनतम 20/- रुपये के अधीन रहते हुए।

(2) संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत लघु उद्योग एकको को खंड (1) और (2) में विनिर्दिष्ट निरीक्षण फीस की दर में 10% की छूट दी जायेगी।

अपील--(1) नियम 5 के उपनियम (5) के अधीन प्रमाण पत्र देने से इंकार किये जाने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे विशषज्ञ पैनल को अपील कर सकेगा जिसमें कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे।

(2) पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई सदस्य अशासकीय होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

(4) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटाई जायेगी।

अनुसूची-1

नियंत्रण के स्तर

(नियम 3 देखिए)

क्रम सं०	निरीक्षण/परीक्षण की विशिष्टियां	अपेक्षाएं	नमूना आकार	लॉट आकार
1	2	3	4	5
I.	क्रय की गयी सामग्री और संघटक			
	(क) चाक्षुष निरीक्षण (कारीगरी और फिनिश सहित)	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक	प्राप्त हुआ प्रत्येक परेषण
	(ख) सहायता सहित विमाएं			
	(i) क्रांतिक	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक	प्राप्त हुआ प्रत्येक परेषण
	(ii) अन्य	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देश के अनुसार	अभिलिखित अन्वेषण के आधार पर नियत किया जाना	प्राप्त हुआ प्रत्येक परेषण
	(ग) कोई अन्य अपेक्षाएं	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देश के अनुसार	अभिलिखित अन्वेषण के आधार पर नियत किया जाना है।	प्राप्त हुआ प्रत्येक परेषण
II.	पूर्ण समुच्चय			
	(क) कुण्डलन प्रतिरोधक के माप	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक	--
	(ख) अनुपात ध्रुवीय तथा फेज संबंध	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक	--
	(ग) प्रति बाधा वोल्टता	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देश के अनुसार	प्रत्येक	--
	(घ) लोह हानि	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देश के अनुसार	प्रत्येक	--
	(ङ) शून्य लोड हानि और शून्य लोड धारा	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देश के अनुसार	प्रत्येक	--
	(च) विद्युत रोधन प्रतिरोध	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देश के अनुसार	प्रत्येक	--
	(छ) प्रति वोल्टता प्रेरित करने पर परीक्षण सहायता	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देश के अनुसार	प्रत्येक	--
	(ज) पृथक स्रोत वाली वोल्टता की परीक्षण सहायता	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देश के अनुसार	प्रत्येक	--
	(झ) तापमान वृद्धि की जांच (ञ) आवेग वोल्टता की परीक्षण सहायता (ट) अन्य कोई परीक्षण	यदि उपभोक्ता द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो	--	--

अनुसूची-II

[नियम 5 (ख) देखिए]

1 ट्रांसफार्मरों के परेषण अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों से उसकी अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण तथा परीक्षण के अधीन होंगे।

2. नमूना लेने के तथा अनुरूपता के मानदंडों के संबंध में संविदात्मक विनिर्देशों में विशिष्ट अनुबंध की अनुपस्थिति में वह लागू होगा जो नीचे अधिकथित है।

2.1 ऐसे निरीक्षण की दिशा में नमूना लेने का तथा अनुरूपता का मानदंड वह होगा जो नीचे सारणी-I तथा सारणी-II में विनिर्दिष्ट है :

सारणी I

क्रम सं०	लक्षण	लॉट आकार	परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की संख्या
1	चाक्षुष परीक्षण (बाह्य)	उसी प्रकार और रेटिंग के ट्रांसफार्मर	100%
2	कुण्डलन प्रतिरोधक के माप	उपरोक्त	सारणी II के अनुसार
3	अनुपात, ध्रुवीयता और फेजसंबंध	उपरोक्त	उपरोक्त
4	प्रतिबाधा वोल्टता	उपरोक्त	उपरोक्त
5.	लोड हानि	उपरोक्त	उपरोक्त
6.	शून्य लोड हानि और शून्य लोड धारा	उपरोक्त	उपरोक्त
7	विद्युत रोधन प्रतिरोध	उपरोक्त	उपरोक्त
8	प्रति वोल्टता प्रेरित करने पर परीक्षण सहायता	उपरोक्त	उपरोक्त
9	पृथकस्रोत वाली वोल्टता की परीक्षण सहायता	उपरोक्त	उपरोक्त
10.	तापमान वृद्धि परीक्षण	उपभोक्ता द्वारा जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए।	—
11.	आवेग वोल्टता परीक्षण सहायता		
12.	कोई अन्य परीक्षण		

सारणी-II

क्रम सं०	उसी प्रकार और रेटिंग के ट्रांसफार्मरों की संख्या	परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की संख्या	अनुज्ञेय दोष की सं०
1.	8 तक	2	शून्य
2.	9 से 15	3	शून्य
3.	16 से ऊपर	5	शून्य

[सं० 6(6)/80-ई०आई०एंड ई० पी०]

सी०बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 29th January, 1983

S.O. 641.—Whereas the Central Government is of opinion, that in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce Nos. S.O. 2274, dated the 9th July, 1977 and S.O. 2275, dated the 9th July, 1977, it is necessary and expedient so to do for the development of the Export Trade of India that Transformers should be subject to inspection prior to export ;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by Sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 ;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule and in supersession of the proposals published with the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 3347, dated the 29th November 1980, the Central Government hereby publishes the proposals mentioned in the second paragraph for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the proposals specified below may forward the same within fortyfive days of the date of publication of this Order to the Export Inspection Council, Pragati Tower (11th floor), 26, Rajendra Place, New Delhi-110008.

PROPOSALS

(1) To notify that Transformers shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) To specify the type of inspection in accordance with the draft Export of Transformers (Quality Control and Inspection) Rules, 1983 set out in the Annexure—to this Order as the type of quality control and inspection which would be applied to such Transformers prior to export ;

(3) To recognise contractual specifications from the importer of Transformers, stipulating definite operating characteristics, or definite mechanical constructions, or both and wherever necessary stipulating particular applications having definite service conditions :

Provided that missing para-metres, if any, in the contractual specifications, shall comply with all or any of the following specifications, namely :—

(a) Indian or any other national standard specifications,

(b) International Electrotechnical Commission recommendations,

(c) Specifications approved by the Government department or public utility services of the importing country,

(d) Specifications followed by technical collaborators of the manufacturing unit, as the standard specifications.

(4) To prohibit the export in the course of international trade of any such Transformers unless the same are accom-

panied by a certificate issued by any one of the agencies established by the Central Government under Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the consignments of Transformers satisfy the conditions relating to quality control and inspection and are exportworthy.

(5) In this Order, "Transformers" shall mean a piece of apparatus without continuously moving parts which by electromagnetic induction transforms alternating voltage and current in one winding into alternating voltage and current in one or more windings usually at different values of voltage and current and at the same frequency, but does not include Transformers used for domestic purposes and in radio-telecommunication circuits.

ANNEXURE

Draft rules proposed to be made under Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

1. Short title and commencement.—These rules may be called the Export of Transformers (Quality Control and Inspection) Rules, 1983.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(b) "Agency" means any one of the Export Inspection Agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act ;

(c) "Transformer" shall mean a piece apparatus without continuously moving parts which by electromagnetic induction transforms alternating voltage and current in one winding into alternating voltage and current in one or more winding usually at different values of voltage and current and at the same frequency, but does not include Transformer used for domestic purposes and in radio-telecommunication circuits.

3. Quality Control and Inspection.—(1) The quality of Transformer shall be ensured by the manufacturer by exercising the controls at different stages of manufacture specified in Sub-rule (2) together with the levels of controls specified in Schedule I to these rules. (2) The controls at different stages of manufacture mentioned in Sub-rule (1) are as follows :—

(i) Brought out materials and components control :

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials or components to be used and the detailed dimensions thereof with tolerances.

(b) Supplier's test certificates shall be produced for raw materials like core sheets, winding wires, transformers oil, and press board and for components like bushings, oil T.O. pumps, fans, radiators, instruments or relays ;

Provided that when supplier's test certificates are obtained for raw materials or components, no counter checking of the supplier's test reports shall be required :

Provided further that in the absence of supplier's test reports samples from each consignment shall be regularly tested to check up its conformity to the purchase specifications.

(c) The incoming components, other than those mentioned in sub-clause (b), shall be inspected and tested for ensuring conformity to purchase specifications against statistical sampling plan.

(d) After the inspection, or tests, or both, are carried out, systematic methods shall be adopted for proper segregation and disposal of defectives.

(e) Adequate records in respect of the above mentioned controls shall be systematically maintained by the manufacturer.

(ii) Process Control

(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturer for various processes of manufacture.

(b) Equipment or instrumentation facilities shall be adequate to control the process as laid down in the process specifications.

(c) Adequate records shall be maintained by the manufacturer to enable the verification of the controls, exercised during the process of manufacture.

(iii) Product Control :

(a) The manufacturer shall either have his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the standard specifications and adequate records thereof shall be maintained by the manufacturer.

(b) Each and every assembly shall be checked against a laid down inspection check list prior to despatch.

(iv) Matrological Controls :

Electrical measuring instruments used in testing, and critical instruments used for process controls shall be periodically checked or calibrated and records shall be maintained by the manufacturer in the form of history cards.

4. Basis of inspection.—Inspection of Transformers for export shall be carried out with a view to seeing that the Transformers conform to he specifi-aion recognised by the Central Government under section 6 of the Act,—

(a) by ensuring that the products have been manufactured by exercising necessary in process quality control as laid down in rule 3, or

(b) on the basis of inspection and testing carried out in the manner specified in Schedule II to this notification.

5. Procedure of Inspection.—(1) An exporter intending to export a consignment of Transformer shall give an intimation in writing to the agency furnishing therein details of the contractural specification alongwith a copy of the export contract or order to enable the agency to carry out inspection in accordance with rule 4.

(2) For export of Transformers manufactured by exercising adequate in process quality control as laid down in rule 3 and the manufacturing unit adjudged as having adequate inprocess quality control drills by a panel of Experts constituted by the Council for this purpose, the exporter shall also furnish alongwith the intimation, mentioned in sub-rule (1) a declaration that the consignment of Transformers intended for export has been manufactured by exercising adequate quality control as laid down in rule 3 and that the consignment conforms to the standard specifications recognised for the purpose.

(3) The exporter shall furnish to the agency the identification marks applied to the consignment to be exported.

(4) (a) Every intimation under sub-rule (1) shall be given not less then fifteen days prior to the commencement of Tests in the manufacturer's premises.

(b) In the case of intimation alongwith declaration under sub-rule (2) shall be given not less than three days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises.

(5) On receipt of the intimation under sub-rule (1) and the declaration, if any, under sub-rule (2), the agency.

(a) (i) on satisfying itself that during the process of manufacture, the manufacturer had exercised adequate quality controls as laid down in rule 3 and followed the instructions if any issued by the Council or Agency in this regard to manufacture the product

to conform to the standard specifications recognised for the purpose shall within three days issue a certificate declaring the consignment of Transformers as exportworthy.

(ii) In case where the manufacturer is not the exporter, the consignment shall be physically verified and such verification and or inspection if necessary shall be carried out by the agency to ensure that the said requirements relating to quality control and inspection are complied with :

Provided that the agency shall carry out the spot-check of some of the consignments meant for export and also visit the manufacturing unit at regular intervals to verify the maintenance of the adequacy of in-process quality control drills adopted by the unit and if the manufacturing unit is found not adopting the required quality control measures at any stage of manufacture or does not comply with the recommendations of the Council or Agency, the unit shall be declared as not having adequate in-process quality control drills :

Provided further that in such cases, the unit, if so desires, may apply a fresh for adjudgement of the maintenance of adequacy of in-process quality control drills ;

(b) in case where the exporter has not declared under sub-rule (2) that adequate quality control as laid down in rule 3 had been exercised, on satisfying itself that the consignment of Transformers conforms to the standard specification recognised for the purpose, on the basis of inspection and testing carried out as laid down in Schedule II shall within seven days of carrying out such inspection issue a certificate declaring the consignment of Transformers as exportworthy :

Provided that where the agency is not so satisfied it shall refuse to issue a certificate to the exporter declaring the consignment of Transformers as exportworthy and shall communicate such refusal within seven days to the exporter alongwith the reason therefor.

(6) (a) In case where the manufacturer is not the exporter under sub-rule (5)(a) or consignment is inspected under sub-rule (5)(b), the agency shall, immediately after completion of the inspection, punch their approval of the consignment of Transformers on each rating plate of the Transformers or seal the package in the consignment in a manner so as to ensure that the sealed packages cannot be tempered with.

(b) In case of rejection of the consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the agency but in such cases, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against rejection.

6. Place of Inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out—

(a) at the premises of the manufacturer of such products, or

(b) at the premises at which the goods are offered by the exporter provided required facilities for inspection exists therein.

7. Inspection Fee.—(1) The inspection fee shall be paid by the manufacturers or exporters, as the case may be, to the agency, as under :

(i) For inspection under clause (a) of rule 4 at the rate of 0.2% of f.o.b. value, subject to a minimum of Rs. 20 per consignment.

(ii) for inspection under clause (b) of rule 4 at the rate of 0.4% of f.o.b. value, subject to a minimum of Rs. 20 per consignment.

2. A rebate of 10% on the rate of inspection fee specified in clause (i) and (ii) shall be allowed to small scale units registered with the concerned State Government or the Union Territory.

8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 5 may, within 10 days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The panel shall consist of at least two thirds of non-officials of the total membership of the panel of experts.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days of its receipt.

SCHEDULE I

Levels of Controls

(See rule 3)

Sl. No.	Particulars of inspection/test	Requirements	Sample size	Lot size
1	2	3	4	5
I.	Bought out material and components			
	(a) Visual Inspection (including workmanship and finish)	As per standard specification recognised for the purpose	Each	Each consignment received.
	(b) Dimensions with tolerance			
	(i) Critical	As per standard specification recognised for the purpose	Each	Each Consignment received.
	(ii) Others	As per standard specification recognised for the purpose.	To be fixed on the basis of recordeed investigation.	Each consignment received.
	(c) Any others Requirements	As per standard specification recognised for the purpose.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	Each consignment received.
II	Complete Assembly			
	(a) Measurements of winding resistance.	As per standard specification recognised for the purpose.	Each	
	(b) Ratio, polarity and phase relationship	As per standard specification recognised for the purpose.	Each	-

1	2	3	4	5
(c)	Impedance voltage	As per standard specification recognised for the purpose.	Each	—
(d)	Load Losses	As per standard specification rcecognised for the purpose.	Each	—
(e)	No load losses and no load current	As per standard specification recognised for the purpose.	Each	-
(f)	Insulation resistance	The actual value shall be recorded.	Each	
(g)	Induced over voltage withstand test	As per standard specification recognised for the purpose.	Each	—
(h)	Separate source voltage withstand test	As per standard specification recognised for the purpose.	Each	—
(i)	Temperature rise test	If specified by the customer		
(j)	Impulse voltage withstand test			
(k)	Any other test			

SCHEDULE—II

[See under rule 5 (b)]

1. The consignments of Transformers shall be subjected to inspection and testing to ensure conformity of the same to the standard specifications recognised under section 6 of the Act.

2. In the absence of any specific stipulation in the contractual specifications as regards sampling and criteria of conformity, the same as laid down below shall become applicable.

2.1 Sampling and criteria of conformity in case of such inspection will be as specified in Table I and Table II below ·

TABLE—I

Sl. No.	Characteristics	Lot size	No. of samples to be tested.
1	2	3	4
1.	Visual check (external)	Transformers of same type and rating	100%
2.	Meansurement of winding restistance	-do-	As per Table II.
3.	Ratio, polarity and phase relationship	-do-	-do-
4.	Impedance voltage	-do-	-do-
5.	Load losses	-do-	-do-
6.	No load losses and no load current	-do-	-do-
7.	Insulation resistance	-do-	-do-
8.	Induced over voltage withstand test	-do-	-do-
9.	Separate source voltage withstand test	-do-	-do-
10.	Temperature rise test	As specified by the customer	
11.	Impulse voltage withstand test		
12.	Any other test		

TABLE-II

Sl. No.	No. of transformers of same type and rating	No. of samples to be tested	No. of permissible defective
1	2	3	4
1.	Upto 8	2	Nil
2.	9 to 15	3	Nil
3.	16 and above	5	Nil

[NO. 6(6)/80-EI & EP]

C B KUKRETI, Joint Director

(वस्त्र विभाग)

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1982

का० आ० 642.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 [1948 का 61] की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य हथकरघा विकास आयुक्त श्री एम० के० मिश्रा को अगला आदेश होने तक उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[फा० सं० 25012/11/82-रेशम]

(Department of Textiles)

New Delhi, the 9th December, 1982

S.O. 642.—In exercise if the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri S. K. Misra, Development Commissioner for Handlooms a member of the Central Silk Board as the Vice Chairman of the Central Silk Board until further orders.

[F. No. 25012/11/82-Silk]

का० आ० 643.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय (वस्त्र विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का० आ० 2234, तारीख 24 अप्रैल, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

"श्री एस० के० मिश्रा,
विकास आयुक्त
(हथकरघा),
वस्त्र विभाग,
वाणिज्य मंत्रालय,
भारत सरकार।

[फा० सं० 25012/11/82-रेशम]
एम० दामोदरन, उप सचिव

S.O. 643.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce (Department of Textiles) No. S.O. 2234 dated the 24th **April, 1982**, namely :—

In the said notification, for item 1 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"1. Shri S. K. Misra, Development Commissioner (Handlooms), Department of Textiles, Ministry of Commerce, Government of India."

[F. No. 25012/11/82-Silk]
M. DAMODARAN, Dy. Secy

(कपड़ा विभाग)

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1983

का० आ० 644.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में वर्णित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की पंक्ति के समतुल्य के अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रवर्गों की बाबत अपनी अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

सारणी

अधिकारियों का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
सचिव, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन प्रबंध प्रशासन कानपुर वूलन मिल्स ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की शाखा।	कानपुर स्थित ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान। कानपुर स्थित कानपुर वूलन मिल्स के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान।
प्रशासनिक अधिकारी न्यू ईगरटन वूलन मिल्स ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की शाखा।	धारीवाल स्थित न्यू ईगरटन वूलन मिल्स के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान।

[फा० सं० 22/31/81-डब्ल्यू टी]
ए० के० मुखर्जी, संयुक्त सचिव

(Department of Textiles)

New Delhi, the 29th January, 1983

S.O. 644.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupations) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoint the officers mentioned in coloumn (1) of the Table below being officers equivalent to the rank of Gazetted officers of Government to be Estate Officers for the purposes of the said Act who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on Estate Officers by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction in regard to the Public Premises specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table :—

TABLE

Designation of Officers	Categories of Public Premises and Local Limits of Jurisdiction
(1)	(2)
Secretary, British India Corpn.	Premises under the Administrative control of the BIC at Kanpur.
Manager, Administrative Cawnpore Woollen Mills Branch of the BIC	Premises under the Administrative control of the Cawnpore Woollen Mills at Kanpur
Administrative Officer, New Egerton Woollen Mills, Branch of the BIC.	Premises under the administrative control of New Egerton Woollen Mills at Dharlwal.

[File No. 22/31/81-WT]
A. K. MUKHERJEE, Jt. Secy

मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1983

का० आ० 645 —सर्वश्री नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, एन० टी० पी० सी० स्क्वायर 62–69, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को 6,62,200 (छः लाख, बासठ हजार, दो सौ रुपए मात्र) का आई० डी० ए० क्रेडिट 1027 आईएन के अन्तर्गत जल शुद्धि संयन्त्र के लिए प्रधातुकारक के दो चेन का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस जी०/एच/2039915/सी आईए/82/एच/81/सी जी -II/एल० एस० दिनांक 15-3-82 प्रदान किया गया था।

फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क निकासी प्रयोजन प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क निकासी प्रयोजन प्रति उनसे खो गई अथवा अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह बताया गया है कि लाइसेंस की सीमा शुल्क निकासी प्रयोजन प्रति बम्बई सीमा शुल्क प्रधिकारी के पास पंजीकृत कराई गई थी और इस प्रकार सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति के मूल्य का अभी तक कोई उपयोग नहीं हुआ है।

2. अपने तर्क के समर्थन में प्रार्थी ने नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं सन्तुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस संख्या जी/एच/2039915/ दिनांक 15-3-82 की सीमा निकासी प्रयोजन प्रति की मूल प्रति फर्म से खो गई अथवा अस्थानस्थ हो है। यथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 7-12-1955 के उपखंड 9 (सीसी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन नई दिल्ली को जारी किए गए लाइसेंस सं० जी/एच / 2039915 दिनांक 15-3-82- की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

3 उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क निकासी प्रयोजन प्रति की अनुलिपि फर्म को अलग से जारी की जा रही है।

[सं० सी जी-2/ एचईपी (यू-22)/81-82/1290

पाल बेक, उप-मुख्य नियंत्रक.

आयात एवं निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

New Delhi, the 7th January, 1983

S.O. 645.—M/s. National Thermal Power Corporation, N.T.P.C. Square 62—69, Nehru Place, New Delhi were granted an import licence No. G/H/2039915/C|IA|82|H|81|CGII|LS. dated 15-3-82 for Rs. 6,62,200 (Rupees Six lakhs sixty two thousand, and two hundred only) for import of Two Chains of Demineralising for water treatment Plant under IDA Credit 1027-IN.

The firm has applied for issue of Duplicate copy of Customs purposes copy of the above mentioned licence on the ground that the original Customs purposes copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Customs purposes copy of the licence was registered with Bombay Customs Authority and as such the value of Customs Purpose copy has not been utlised at all.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a notary Public. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy of import licence No. G/H/2039915 dated 15-3-82 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9 (cc) of the Import Control Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs purposes copy No. G/H/2039915 dated 15-3-82 issued to M/s. National Thermal Power Corpn. New Delhi is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs purposes copy of the said licence is being issued to the party separately.

[No. CGII/HEP (U-22)/81-82/12907]

PAUL BECK, Dy Chief Controller Imports & Exports

संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात का कार्यालय

आदेश

मद्रास 14 अक्तूबर, 1982

का०आ० 646--सर्वश्री इंजिनियरिंग इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, सख्या 46 सिड़को इंडस्ट्रीयल एस्टेट, अम्बत्तूर मद्रास -58 को रुपये 3,28,065 तक अप्रैल मार्च 1982 के आयात नीति के परिशिष्ट 7 में दर्शाई गई अनुमेय मदों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी एस 1935221-सी -एक्सएक्स-79-एम-81 दिनांक 12-6-81 जारी किया गया था 1982-83 की आयात निर्यात क्रियाविधि पुस्तिका के पैरा 352 में अपेक्षित शपथ-पत्र दाखिल करते हुए लाइसेंसधारी ने कहा है कि अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए जारी किये गये रुपये 3,28,065 का लाइसेंस संख्या पी-एस-1935221-सी-एक्स एक्स-79-एम-81 दिनांक 12-6-81 को सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति किसी भी सीमाशुल्क भवन में पंजीकृत किये बिना खो दी गयी है और आवेदन किया है कि सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति कि अनुलिपि प्रति रुपये 3,28,065 के लिए जारी किया जाए।

मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति खो दी गयी है।

यथा संशोधित आयात व्यापार नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 (सी सी) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के द्वारा रुपये 3,28,065 के लाइसेंस संख्या पी-एस-1935221-सी-एक्स एक्स 79-एम 81 दिनांक 12-6-81 की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति रद्द किया जाता है।

आवेदक को, 1982-83 के आयात निर्यात क्रियाविधि की पुस्तिका के पैरा 352 के अनुसार रुपये 3,28,065 का लाइसेंस संख्या पी-एस-1935221-सी-एस एक्स-79-एम 81 दिनांक 12-6-81 की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की अनुलिपि प्रति अलग जारी किया जाता है।

[संख्या आई एण्ड एस-93-एएम 82-एयू 3]

(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports)

CANCELLATION ORDER

Madras, the 14th October, 1982

S.O. 646.—M/s. Engineering Investment Private Ltd., No. 46, Sidco Industrial Estate, Ambattur, Madras-58 were granted import licence No. PS/193522-1/C|XX|79|M|81 dt. 12-6-81 for Rs. 3,28,065 for import of permissible items figuring in appendix 7 of A.M. '82 Policy book. They have filed an affidavit as reguired under para 352 of Hand Book of Import-Export Procedures, 1982-83, wherein they have stated that customs copy of the import licence No. PS/1935221/C/XX/79/M/81 dated 12-6-81 for Rs. 3,28,065 for the period A.M. '82 has been lost without having been registered with any customs house and the duplicate customs copy is required to cover Rs. 3,28,065.

2. I am satisfied that the customs purposes copy of the said licence has been lost.

3. In exercise of the powers conferred on me under Clause 9(cc) in the Import Trade Control order 1955 dt. 7-12-1955 as amended upto date the customs purposes copy of the said licence No. PS/1935221/C/XX|79|M'81 dt. 12-6-81 for Rs. 3,28,065 is hereby cancelled.

4. The applicant is now being issued the duplicate customs copy of import licence No. P/S/1935221/C|XX|79|M|81 dt. 12-6-81 to cover the unutilised value of Rs. 3,28,065 in accordance with the provision of Para 352 of Hand Book on Import-Export Procedure, 1982-83

[No. I&S/93/AM 82|AU III]

आदेश

मद्रास, 17 दिसम्बर, 1982

का० आ० 647 —सर्वश्री राजा मेटल इंडस्ट्रीज, 17 सिडको इंडस्ट्रीयल एस्टेट, कप्पलूर, तिरुमंगलम जिल्हा को रुपये 24,000 तक टिन प्लेट वेस्ट वेस्ट का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी/एस-1935731-सी-एक्स एक्स-82/एम-81 दिनांक 4-1-82 जारी किया गया था ।

फर्म को भेजे गये पत्र का वितरण किये बिना इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया है कि "दरवाजा बन्द है और पत्र का प्राप्त करने कोई नहीं है । इसलिए वापस किया जाता है ।" अब लाइसेंसधारी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-11-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस धोखेबाजी से प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूं ।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री राजा मेटल इंडस्ट्रीज, कप्पलूर, तिरुमंगलम तालुक को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 24,000 तक टिन प्लेट वेस्ट वेस्ट का आयात करने के लिए जारी किये गये । लाइसेंस संख्या पी/एस 1935731 सी-एक्स-82-एम-81 दिनांक 4-1-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं ।

[संख्या आई एण्ड एस-180-ए एम-82-एयू 3

ORDERS

Madras, the 17th December, 1982

S.O. 647.—M/s. Rajah Metal Industries, 17-Sidco Industrial Estate, Kapplur, Thirumangalam T. K. were granted a Licence No. P/S/1935731/C|XX|82|M|81 dated 4-1-82 for import of Tin Plate Waste waste for Rs. 24,000.

A letter addressed to the firm has been returned undelivered with remarks door locked and nobody to received tapals. Hence returned. A show cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 30-11-1982. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I an satisfied that the above import Licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Inports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/S/1935731/C|XX|82|M|81 dated 4-1-82 issued to M/s. Rajah Metal Industries, Kappalur, Thirumangalam, Taluk, for import of Tin plate, waste waste for Rs. 24,000 for April—March 1982 period.

[No. I&S/180/AM. 82/AU. III]

का० आ० 648 :—सर्वश्री बी० एल० इंडस्ट्रीज, 32, स्कीम रोड, एल्लीयम्मन कालोनी, मद्रास-86 को, रुपये 1,42,000 तक पुराने और इस्तेमाल किये गये सौ क्रैंकशाफ्ट का आयात करने के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट संख्या पी/जे/3060957/एन/एम एन/83/एम/81 दिनांक 20-4-82 जारी किया गया था ।

उपर्युक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट धोखेबाजी द्वारा प्राप्त कर लेने के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से पार्टी से यह पूछते हुए क कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-11-82 को व्यक्तिगत सुनवाई कर अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस धोखेबाजी द्वारा प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने को एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री बी० एल० इंडस्ट्रीज, मद्रास 86 को, रुपये 1,42,000 तक पुराने और इस्तेमाल किए गये सौ क्रैंक शाफ्ट का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी/जे/3060957 4 एन/एम/एन/82 एम-81 दिनांक 20-4-82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूँ ।

[स० सीसीपी/1446/ए एम 83/एयू 3]

सी० जी० फेरनान्डेज, उप मुख्य नियन्त्रक,आयात तथा निर्यात

S.O. 648.—M/s. B. L. Industries, 32 Scheme Road, Elliamman Colony, Madras-86 were granted a Customs Clearance Permit No. P/J/3060957|N|MN|83|M|81 dated 20-4-82 for import of old and used Crankshafts-100 Nos for a value of Rs. 1,42,000.

As there was a reason to believe that the above Customs Clearance Permit has been obtained by you by fraudulant means. A show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to Show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an apportunity for a Personal Hearing on 20-11-82. As the Party did not turn up foi a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the Powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/J/3060957/N|MN| 83/M/81 dated 20-4-82 issued to M/s. B. L. Industries, Madras186 for import of old and used crankshafts 100 Nos for a value of Rs 1,42,000.

[No. CCP/1446/AM. 82/AU. III]

C. G FERNANDEZ, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

मुख्य नियन्त्रक आयात एवं निर्यात का कार्यालय

लाइसेंस रद्द करने का आदेश

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1983

का० आ० 649 :—सर्वश्री होटल मौर्य शेरटन, डिप्लोमैटिक एनक्लेव, नई दिल्ली 110021 का लाइसेंस जारी करने की तिथि से 12 मास की वैध अवधि के लिए 460 एन ई सी रंगीन टेलीविजनों, 14 इंच और 20 इंच के 40 के रंगीन टी० वी० सेटों के आयात के लिए 16,71,180 रुपए के लागत बीमा भाड़ा मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं० पी/ए/1456857/सी/एक्स एक्स/85/एन/82 दिनांक 7-10-82 प्रदान किया गया था । अब पार्टी ने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति उनसे अस्थानस्थ हो गए है । पार्टी ने आयात व्यापार नियत्रण नियमों के अनुसार आवश्यक शपथपत्र दाखिल किया है जिसके अनुसार उपयुक्त आयात लाइसेंस सीमा शुल्क सदन नई दिल्ली के पास पंजकृत कराया गया था तथा आंशिक रूप से प्रयुक्त हुआ था और लाइसेंस के मद्दे 14,06,580 रुपए शेष हैं । शपथ पत्र में यह भी बताया गया है कि यदि आयात लाइसेंस की उपर्युक्त सीमा प्रयोजन प्रति बाद में मिल जाएगी या खोज ली जाएगी तो उसे जारी करने वाले प्रधिकारी को लौटा दी जाएगी । मैं सतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता कि आयात लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि आवेदक को जारी की जाए । आयात इलासेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

[मिसिल सं० 18-103/82-83/एम एस एस/876]

शंकर चन्द, उपमुख्य नियन्त्रक,

आयात-निर्यात कृते मुख्य नियन्त्रक आयात निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 13th January, 1983

S.O. 649.—M/s. Hotel Maurya Sheraton, Diplomatic Enclave, New Delhi-110021 were granted an import licence No. P/A/1456857|C|XX|85|H|82 dated 7-10-82 for a C.I.F Value of Rs. 16,71,180 for import of 460 NEC Coloured Televisions 14 inch & 40 Nos. of 20" Coloured T. V. Sets valid for 12 months from the date of issue. Now the party has applied for grant of a Duplicate Customs Purpose Copy for the aforesaid import licence on the ground that the original one has been misplaced by them. The party has furnished necessary affidavit as per I.T.C. Rules according to which the aforesaid import licence was registered with Customs House, New Delhi and was utilised partly and the balance against the licence is Rs. 14,06,580. It has also been incorporated in the affidavit that if the said Customs Purpose Copy of the import licence is traced or found later on, it will be returned to the issuing authority. I am satisfied that the original Customs Purpose copy of the import licence has been misplaced and direct that a Duplicate Customs Purpose copy of the import licence should be issued to the applicant. The original Customs Purpose copy of the import licence is hereby cancelled

[File No. 13/103/82 83|MLS|876]

SHANKAR CHAND, Dy. Chief Controller of Imports & Exports for Chief Controller of Imports & Exports

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1983

का० आ० 650.—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विकास परिषद (कार्यविधिक) नियम 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पढ़ते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री आर० जे० शाहनी और श्री आर० सी० पी० यादव को भारत सरकार उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) के आदेश संख्या का० आ० 745 (ई) दिनांक 14 अक्तूबर 1981 द्वारा मशीनी औजारों के निर्माण या उत्पादनरत अनुसूचित उद्योगों के लिए गठित की गई विकास परिषद का सदस्य नियुक्त करती है और निर्देश देती है कि उक्त आदेश मे निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात :—

उक्त आदेश में क्रम संख्या 12 और 15 के सामने दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"12. श्री आर० जे० शाहनी,
अध्यक्ष,
एसोसिएशन आफ इण्डियन आटोमोबाइल
मैन्युफैक्चरर्स,
अशोक लेलैण्ड लिमिटेड,
"ग्रिन्डलेज सेन्टर"
19 राजाजी सलाई,
मद्रास-600001"

"15. श्री आर० सी० पी० यादव,
महाप्रबन्धक,
हैवी मशीन टूल प्लांट,
हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड,
रांची-4"

[फा० सं० 19/7-81/एम०टी०]

एम० कानूनगो, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

ORDER

New Delhi, the 4th January, 1983

S.O. 650.—In exercise of powers conferred by Section 6 of the **Industries (Development & Regulation) Act, 1951** (65 of 1951) read with Rules 2, 4 & 5 of the Development Council (Procedural) Rules, 1952 the Central Government hereby appoint Shri R. J. Shahaney and Shri R.C.P. Yadav to be members of the Development Council constituted by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Heavy Industry). No. S.O. 745(E) dated the 14th October 1981 for the Scheduled Industries engaged in the manufacture or production of Machine Tools and direct that the following amendments shall be made in the said Order namely :

In the said order for the entry occurring against serial numbers 12 and 15 the following entries shall be substituted namely :—

"12. Shri R. J. Shahaney
President,
Association of Indian Automobile Manufacturers,
Ashok Leyland Limited,
"Grindleys Centre",
19 Rajaji Salai,
Madras-600001".

"15. Shri R.C.P. Yadav,
General Manager,
Heavy Machine Tool Plant,
Heavy Engineering Corporation Ltd.,
Ranchi-4."

[F. No. 19-7/81-MT]

S. KANUNGO, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1983

का.आ. 651.—यतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के उपबंध का पालन करते हुए तमिलनाडु राज्य से डा. जयसीलान मैथियास को 25 सितम्बर, 1982 से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया है,

यत: अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्रालय, की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या 5-13/59/एम-1 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "धारा (1) के खंड (ग) के अधीन निर्वाचित" शीर्ष के अंतर्गत क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"डा. जयसीलान मैथियास,
एम. एस. एफ. आर्ई. सी एस
सर्जन और यूरोलोजिस्ट,
मैथियास अस्पताल"
नागरकायल-629001

[सं. वी. 11013/16/82-एम.ई.(पी.)]

पी. सी जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 7th January, 1983

S.O. 651.—Whereas in pursuance of the privision of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Dr. Jayaseelan Mathias has been elected from the Tamil Nadu State to be a member of the Medical Council of India with effect from the 25th September, 1982.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the late Ministry of Health No. 5-13/59 MI, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading 'Elected under claunse (c) of sub-section (1) of section 3 for serial number 6 and entries relating thereto the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"6. Dr. Jayaseelan Mathias,
M.S., F.I.C.S., Surgeon and Urologist,
Mathias Hospital, Nagercoil-629001."

[No. V. 11013/16/82-M.E. (POLICY)]
P. C. JAIN, Under Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर 1982

का० आ० 652:—खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की 1 जनवरी 1981 की अधिसूचना संख्या 13(12)/78खान-6 के अनुक्रम में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 31 दिसम्बर, 1985 को ऐसी तारीख के रूप में निर्धारित करती है कि जिस तक खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम 1972 के प्रारंभ से पूर्व स्वीकृत सभी खनन पट्टे, यदि वे अधिनियम के प्रारम्भ के समय विद्यमान थे, उक्त अधिनियम तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुरूप कर दिए जाएंगे।

[संख्या 13(6)/80 खान-6]
ए० के० वैंकटसुब्रमण्यम, निदेशक

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

ORDER

New Delhi, the 24th December, 1982

S.O. 652.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of the sub-section (1) of the section 16 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), and in continuation of the Notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines, (Department of Mines) No. 13(6)/80-MVI dated 1st January, 1981, the Central Government hereby specifies the 31st December, 1985 as the date within which all mining leases granted before the commencement of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Act, 1972, if in force at such commencement, shall be brought into conformity with the provisions of the said Act and the rules made thereunder.

[No 13(6)/80-MVI]
A. K. VENKATASUBRAMANIAN, Director

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

ERRATUM

New Delhi, the 10th January, 1983

S.O. 653.—In the Notification of Govt. of India, Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers No. 12016/28/82| Prod. II dated 4-9-1982 published under SO No. 3087 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) at page 3126 under Village Kharghar at Serial No. 6 as shown in the Schedule, following S. No. should be read against S. No. 95 in English Version appended to the above Notification.

SCHEDULE

Read	For
S. No. 96	S. N. 95

[No. 12016/28/82-Prod-II]

ऊर्जा मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 11 जनवरी 1983

का० आ० 654:—यतः पेट्रोलियम, और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3291, तारीख 30 अगस्त, 1982 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं० सी० ए० ई० से कूप नं० 54 तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—खेड़ा तालुका—खम्भात

गांव	सर्वे नं०	हेक्टयर	ए आर ई	सेन्टीयर
सयामा	791	0	03	90
	773	0	21	45
	772	0	07	80
	884	0	08	00
	883	0	07	99

[सं० 12016/1/81 प्रोड०-I]

New Delhi, the 11th January, 1983

S.O. 654.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer, (Department of Petroleum) S. O. 3291 dated 30-8-82 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline :

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification :

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

R.O.U. from Well No. CAE to Well No. D.S, 54

State : Gujarat District : Kaira Taluka : Cambay

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Sayama	791	0	03	90
	773	0	21	45
	772	0	07	80
	884	0	08	00
	883	0	07	99

[No. 12016/1/81-Prod. I]

का० आ० 655 :—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3292 तारीख 30-8-82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं० सी० ए० ई० से कूप नं० डी० एस० 54

राज्य—गुजरात जिला—खेड़ा तालुका—खम्भात

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीआर
नगरा	708	0	03	90

[सं० 12016/1/81-प्रोड०-I]

S.O. 655.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer, (Department of Petroleum) S.O. 3292 dated 30-8-82 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the sad Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

R.O.U. from Well No. CAE No. Well No. D S, 54

State : Gujarat District : Kaira Taulka : Cambay

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Nagra	708	0	03	90

[No. 12016/1/81-Prod. I

का० आ० 656:—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3289 तारीख 28-8-82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस० डी० ई० से मोटवान हैडर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य-गुजरात जिला—भरूच तालुका अंकलेश्वर

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीअर
अडादरा	7	0	04	68
	8 ए 4	0	03	90
	8 ए 1	0	11	83
	8 ए 2	0	13	39
	8 ए 3	0	10	92
	9	0	02	60

[सं० 12016/5/81-प्रोड I]

S.O. 656.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer, (Department of Petroleum) S. O. 3289 dated 28-8-82 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the **schedule apperded to that notification for the purpose of lay**ing pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

ROU For Laying of Flowline from SDE to Motwan Header

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Survey No.	Hecta-tare	Arc	Conti-tiare
Adadara	7	0	04	68
	8 A 4	0	03	90
	8 A 1	0	11	83
	8 A 2	0	ι3	39
	8 A 3	0	10	92
	9	0	02	60

[No. 12016/5/81—Prod.]

का० आ० 657—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3286 तारीख 26-8-82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी० एस० मुदाना—4 से मुदाना—1 जी० जी० एस० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात	जिला व तालुका	मेहसाना		
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेण्टीअर
मुदाना	1490	0	09	96
	1493/2	0	10	56
	1494	0	09	60
	1495	0	11	00

[सं० 12016/7/81- प्रोड I]

New Delhi, the 11th January, 1983

S.O. 657.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer, (Department of Petroleum) S. O. 3286 dated 26-8-82 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the

said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

R.O.U. from D.S. Jotana-4 To G.G.S. Jotana-1.
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Jotana	1490	0	09	96
	1493/2	0	10	56
	1494	0	09	60
	1495	0	11	00

[No. 12016/7/81—Prod. I]

का० आ० 658.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3287 तारीख 26-8-82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

पश्चिम सोभासन—1 से सोभासन जी जी एस—1

राज्य—गुजरात	जिला व तालुका	मेहसाना		
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए आर ई	सेण्टीअर
1	2	3	4	5
हेडवा हनुमंत	76	0	06	36
	68	0	30	60
	43	0	19	10
	44/1	0	00	50
	62	0	10	80
	60	0	02	00
	61	0	09	70
	58	0	11	10
	55	0	14	50
	7	0	15	30
	33	0	14	10
	31	0	03	60
	32	0	14	00
	30	0	07	20

[सं० 12016/7/83- प्रोड 1]

S.O. 658.—Whereas by notification of the Government India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizer, (Department of Petroleum) S.O. 3287 dated 26-8-82 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acuisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

R.O.U Line from Well No. W. Sobhasan-1 to S.O.B. GGS-1.
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Heduva Hanumant	76	0	06	36
	68	0	30	60
	43	0	19	10
	44/1	0	00	50
	62	0	10	80
	60	0	02	00
	61	0	09	70
	58	0	11	10
	55	0	14	50
	7	0	15	30
	33	0	14	10
	31	0	03	60
	32	0	14	00
	30	0	07	20

[No. 12016/7/81—Prod.]

का० आ० 659.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3187 तारीख 23-8-82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तैल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं० के -59 से जी० जी० एस० 4

राज्य : गुजरात	जिला : मेहसाना	तालुका : कलोल		
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
कलोल	251/82	0	05	55
	251/80/1	0	08	10
	251/80/2	0	18	30
	251/61	0	14	25
	CART TRACK	0	00	60
	251/51	0	17	40
	251/48	0	21	90
	251/47	0	03	30

[सं० 12016/34/82- प्रोड II]

S.O. 659.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizer, (Department of Petroleum) S.O. 3187 dated 23-8-82 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroluem and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the **Central Government vests on this date of the publication of** this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. K—59 to GGS IV

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kalol	251/82	0	05	55
	251/80/1	0	08	10
	251/80/2	0	18	30
	251/61	0	14	25
	Cart Track	0	00	60
	251/51	0	17	40
	251/48	0	21	90
	251/47	0	03	30

[No. 12016/34/82—Prod II]

का० आ० 660.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डब्ल्यू० एस० एस० ए० से जी० जी० ए० सोभा 1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

डब्ल्यू० एस० एस० ए० से जी० जी० ए० सोभासन- 1

राज्य—गुजरात	जिला और तालुका	मेहसाना		
गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
कुकस	317	0	23	30
	318	0	12	30

[सं० ओ०-12016/70/82- प्रोड]

S.O. 660.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from WSSA to GGA Sob 1 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission:

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipe line from WSSA to GGA—Sobh. I.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Kukas	317	0	23	30
	318	0	12	30

[No. O-12016/70/82—Prod]

का० आ० 661.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० 71 टी० और सी० से जी० जी० एस०-6 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (II) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं० 71 टी० और सी० से जी० जी० एस०-6

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : अंकलेश्वर

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीआर
हजात	102/4	0	15	60

[सं० ओ०-12016/71/82-प्रोड]

S.O. 661.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. 71 T and C to GGS 6 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. 71 T & C to GGS-6

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Hazat	102/4	0	15	60

[No. O-12016/71/82-Prod.]

का० आ० 662.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस० एन० डी० आर० से एस० एन० ए० पी० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (II) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस० एन० डी० आर० से एस० एन० ए० पी०

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीआर
संथाल	320	0	12	10
	458	0	10	10

[सं० ओ०-12016/72/82-प्रोड०]

S.O. 662.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SMAR to SNAP in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also State specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SMAR to SNAP

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Santhal	320	0	12	10
	458	0	10	10

[No. O-12016/72/82-Prod.]

का० आ० 663.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में वालनेर-1 से मोटवान जी० सी० एस० पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं० वालनेर-1 से मोटवान जी० सी० एस०

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : अंकलेश्वर

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीआर
मोटवान	357	0	09	75
	103	0	10	40
	120	0	09	10

[सं० ओ०-12016/73/82-प्रोड]

एल० एम० गोयल, निदेशक

S.O. 663.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Walner-1 to Motwan Gas in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission:

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided **that any person interested in the said land may,** within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. Walner 1 to Motwan GCS

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Anklesvar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Motwan	357	0	09	75
	103	0	10	40
	120	0	09	10

[No. O-12016/73/82-Prod.]

L.M. Goyal, Director

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1983

का० आ० 664.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 135 तारीख 29 दिसम्बर, 1981 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 1350.00 एकड़ (लगभग) या 546.32 हैक्टर (लगभग) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभिप्राप्य है,

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए :—

1350·00 एकड़ (लगभग) या 546.32 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि का, अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है।

टिप्पण —1 इस अधिसूचना के अधीन आने वाले रेखांक का निरीक्षण, उपायुक्त, हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में अथवा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व विभाग) दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण: 2--कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957, (1957 का 20) की धारा 8 के उपबन्धों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबन्धित है :--

"8(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :--इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई है, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।"

टिप्पण 3.-- केन्द्रीय सरकार ने, कोयला नियंत्रक 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

परेज खंड

(पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्र)

ड्राइंग सं० 25/82
तारीख 6-4-1982
(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दर्शित की गई है)

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	दुरूकसमार	मांडू	108	हजारीबाग	663.10	भाग
2.	बारीसूम	मांडू	109	हजारीबाग	408.55	पूर्ण
3.	उलहारा	मांडू	111	हजारीबाग	279.35	पूर्ण
				कुल क्षेत्र	1350.00 एकड़ (लगभग)	
				या	546.32 हैक्टर (लगभग)	

ग्राम दुरूकसमार में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक

1 से 45, 46 (भाग), 47, 60 से 303, 372 से 475, 476 (भाग), 477 (भाग), 478 से 532, 533 (भाग), 534 (भाग), 535 (भाग), 536 (भाग), 545 (भाग), 546 (भाग), 548 (भाग), 549 (भाग), 550 (भाग), 551, 552 (भाग), 553, 554, 555 (भाग), 556, 557 (भाग), 558 (भाग), 559 (भाग), 634 (भाग), 635 से 673 और 674 (भाग)।

ग्राम बारीसूम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक

1 से 195 तक

ग्राम उलहारा में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक

1 से 149 तक

सीमा वर्णन

क–ख रेखा ग्राम उलहारा शामिल बारीसूम और डालिंग की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'ख' पर मिलती है।

ख–ग रेखा ग्राम दुरूकसमार और परेज की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'ग' पर मिलती है।

ग–घ रेखा ग्राम दुरूकसमार के प्लाट सं० 48 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है फिर प्लाट सं० 48 (सड़क) से होकर पुन: प्लाट सं० 46, 303 और 372 (खान बोर्ड रोड) की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।

घ–ङ रेखा ग्राम दुरूकसमार और बंजी की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है (जो केदला उत्तरी कोयला खान की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है और बिन्दु 'ङ' पर मिलती है।

ङ–च रेखा ग्राम दुरूकसमार में प्लाट सं० 476, 477, 535, 534, 536, 533, 545, 546, 548, 549, 550, 552, 559, 558, 557, 634, 635, 634 और 674 (नाला) से होकर जाती है (जो पश्चिमी बोकारो कोयला खान की सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु 'च' पर मिलती है।

च–छ रेखा नदी की मध्य रेखा के साथ-साथ जाती है (जो ग्राम दुरूकसमार और बसन्तपुर बारीसूम और बसन्तपुर की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु 'छ' पर मिलती है।

छ–क रेखा ग्राम उलहारा और राउता, पिन्द्रा और उलहारा की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और प्रारम्भिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[सं० 19/50/82-सीएल]
स्वर्ण सिंह, अवर सचिव

(Department of Coal)

New Delhi, the 10th January, 1983

S.O. 664.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O 135 dated the 29th December, 1981, issued under sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 1350.00 acres (approximately) or 546.32 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in the said lands;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the lands measuring 1350.00 acres (approximately) or 546.32 hectares (approximately) described in the schedule appended hereto;

Note 1. The plan of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh, (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta-1 or in the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

Note 2. Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), which provides as follows ;

8(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation: It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

Note 3. The Coal Controller, 1 Council House Street, Calcutta has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE

Parej Block

(West Bokaro Coalfield)

Drg. No. 25/82
Dated 6-4-1982
(Showing lands to be acquired)

All rights

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Durukasmar	Mandu	103	Hazaribagh	663.10	Part
2.	Barisum	-do-	109	-do-	403.55	Full
3.	Ulhara	-do-	111	-do	278.35	Full

Total area :— 1350.00 acres (approximately)
or 546.32 hectares (approximately)

Plot numbers to be acquired in village Durukasmar:—

1 to 45, 46 (part), 47, 60 to 303, 372 to 475, 476 (part) 477 (part), 478 to 532, 533 (part), 534 (part), 535 (part), 536 (part), 545 (part), 546 (part), 548 (part), 549 (part), 550 (part), 551, 552 (part), 553, 554, 555 (part), 556, 557 (part) 558 (part), 559 (part), 634 (part), 635 to 673 and 674 (part).

Plot numbers to be acquired in village Barisum:—

1 to 195.

Plot number to be acquired in village Ulhara:—

1 to 149.

Boundary description:—

A-B line passes along the common boundary of villages Ulhara Taping, Barisum and Taping and meets at point 'B'.

B-C line passes along the part common boundary of villages Durukasmar and Parej and meets at point 'C'.

C-D line passes along the northern boundary of plot no. 48, then through plot number 46 (Road) again southern boundary of plot numbers 46, 303 and 372 (Mines Board Road) in village Durukasmar and meets at point 'D'.

D-E line passes along the part common boundary of villages Durukasmar and Banji (which also forms part common boundary with Kedla North Colliery) and meets at point 'E'.

E-F line passes through plot numbers 476, 477, 535, 534, 536, 533, 545, 546, 548, 549, 550, 552 559 558, 557, 634, 635, 634 and 674 (Nalla) in village Durukasmar (which forms common boundary of West Bokaro Colliery) and meets at point 'F'.

F-G line passes along the Central line of the River (which forms part common boundary of villages Durukasmar and Basantpur, Barisum and Basantpur and meets at point 'G'.

G-H line passes along the central line of Chutua Nadi (which forms common boundary of villages Barisum and Rauta) and meets at point 'H'.

H-A line passes along the common boundary of village Ulhara and Rauta, Pindra and Ulhara and meets at starting point 'A'.

(No. 19/50/82-CL)
SWARAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली 13 अक्तूबर 1982

का० आ० 665.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2472 तारीख 12 जुलाई, 1977 को अधिक्रांत करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की पंक्ति के समतुल्य के अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

अनुसूची

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग
1	2
1. उप क्षेत्र प्रबंधक/अभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, काम्पटी ग्रुप ऑफ माइन्स डाकघर काम्पटी, रेल स्टेशन काम्पटी, तहसील और जिला नागपुर (महाराष्ट्र)	(1) इंदर (2) काम्पटी कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
2. उप क्षेत्र प्रबंधक/अभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिलवाड़ा ग्रुप ऑफ माइन्स डाकघर खापेरखेड़ा, रेल स्टेशन खापेरखेड़ा, तहसील और जिला नागपुर (महाराष्ट्र)	(1) सिलवाड़ा (2) बाभनी (3) पिपला और (4) पसन सा-औंगी कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
3. उप-क्षेत्र प्रबंधक/अभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड उमरेर ग्रुप ऑफ माइंस डाकघर उमरेर परियोजना तहसील उमरेर, जिला नागपुर (महाराष्ट्र)	(1) उमरेर विवृत खनिज (ओपनकास्ट) और (2) उमरेर भूमिगत कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
4. उप-क्षेत्र प्रबंधक/अभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पाथखेड़ा-I डाक-घर-पाथखेड़ा रेल स्टेशन घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल (मध्य प्रदेश)	पाथखेड़ा-I कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
5. उप-क्षेत्र प्रबंधक/अभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पाथखेड़ा-II डाकघर-पाथखेड़ा रेल स्टेशन घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल (मध्यप्रदेश)।	पाथखेड़ा-II कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
6. उप-क्षेत्र प्रबंधक/अभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सतपुरा I और II डाकघर पाथखेड़ा रेल स्टेशन घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल (मध्य-प्रदेश)	सतपुरा I और II कोयला खान के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
7. उप-क्षेत्र प्रबंधक/अभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड शोभापुर खान डाकघर पाथखेड़ा रेल स्टेशन घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (मध्यप्रदेश)	शोभापुर कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
8. उप-क्षेत्र प्रबंधक/अभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सरनी खान डाकघर पाथखेड़ा रेल स्टेशन घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (मध्य प्रदेश)	सरनी कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
9. उप-क्षेत्र प्रबंधक/अभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड इकलेहरा ग्रुप डाकघर इकलेहरा रेल स्टेशन इकलेहरा तहसील और जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश)	(1) इकलेहरा (2) बरकुई और (3) उत्तरी चंदामेट्टा कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
10. उप-क्षेत्र प्रबंधक/अभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड न्यूटन ग्रुप डाकघर न्यूटन चिकली तहसील और जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश)	(1) न्यूटन चिकली ए और (2) न्यूटन चिकली बी कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
11. उप-क्षेत्र प्रबंधक/अभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पेंच ईस्ट ग्रुप डाकघर रावणवाड़ा तहसील जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश)	(1) रावणवाड़ा (2) रावणवाड़ा खास (3) पेंच ईस्ट कोयला खानों और सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
12. उप-क्षेत्र प्रबंधक/अभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड शिवपुरी ग्रुप डाकघर सिरगोरा पारसिया तहसील और जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश)	(1) शिवपुरी भूमिगत और (2) शिवपुरी विवृत कोयला खानों और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
13. उप-क्षेत्र प्रबंधक/अभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड छिंदा कोलियरी डाकघर सिरगोरा पारसिया तहसील और जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश)	छिंदा कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
14. उप-क्षेत्र प्रबंधक/अभिकर्ता वस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड चंदामेट्टा ग्रुप डाकघर-चंदामेट्टा तहसील और जिला छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)	(1) चंदामेट्टा (2) चंदामेट्टा 5 और 6 (3) बामोरी (4) जटाछापा और (5) पूर्वी डोंगर-चिकली कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
15. उप-क्षेत्र प्रबंधक/अभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मंकर ग्रुप डाकघर पाल चोराई तहसील और जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश)	(1) मंकर (2) मोहन और (3) सुकरी कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स, लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
16. उप-क्षेत्र प्रबंधक/अभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड डाटला ग्रुप डाकघर डुंगरिया तहसील और जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश)	(1) डाटला वेस्ट (2) चोरावाड़ी और (3) चिकलमऊ कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
17. उप-क्षेत्र प्रबंधक/अभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड दमुआ ग्रुप डाकघर दमुआ, तहसील और जिला छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)	(1) दमुआ (2) दमुआ (न्यू इनक्लाइन) (और) (3) राखीकोल कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।

1	2
18. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड नंदन खान, डाकघर नंदन/दमुआ तहसील और जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश)।	नंदन खान के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
19. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड घुगुस ग्रुप, डाकघर मानिकपुर जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	(1) घुगुस (2) नकोड़ा भूमिगत (3) नकोड़ा विवृत खनिज (4) रोबर्टसन इनक्लाईस और (5) वेल्लोरिया कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
20. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड हिंदुस्तान लालपेठ/महाकाली ग्रुप, डाकघर चंद्रपुर जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	(1) चंद्रपुर रयतवारी (2) महाकाली (3) हिंदुस्तान लालपेठ नं० 1 (4) हिंदुस्तान लालपेठ नं० 3 और (5) हिंदुस्तान लाल पेठ विवृत कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
21. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड नया मजरी/राजुर ग्रुप, डाकघर शिवाजी नगर जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	(1) नया मजरी नं० 1 (2) नया मजरी नं० 3 (3) राजुर पिट्स और इनक्लाईस और (4) नया मजरी विवृत कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
22. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बल्लारपुर ग्रुप डाकघर बल्लारपुर, जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	(1) बल्लारपुर 3 और 4 (2) बल्लारपुर विवृत और (3) सस्ती कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
23. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड दुर्गापुर, डाकघर दुर्गापुर जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	दुर्गापुर विवृत कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
24. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स, लिमिटेड दुर्गापुर, रायतवाड़ी, डाकघर चंद्रपुर, जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	दुर्गापुर, रायतवाड़ी कोयला खान और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर
25. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोटमा ग्रुप डाकघर कोटमा, जिला शाहडोल (मध्य प्रदेश)	(1) कोटमा (2) गोविंद और (3) मड़ा कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
26. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जमुना ग्रुप, डाकघर जमुना, जिला शाहडोल (मध्य प्रदेश)	जमुना भूमिगत और जमुना विवृत कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
27. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बुरहरग्रुप, डाकघर, बुरहर, जिला शाहडोल (मध्य प्रदेश)	(1) बुरहर और (2) बुरहर (3) कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
28. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स, लिमिटेड, अमलाई ग्रुप, डाकघर अमलाई, कोयला खान, जिला शाहडोल (मध्य प्रदेश)	(1) अमलाई और (2) रंगटा कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
29. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड चचाई ग्रुप, डाकघर अमलाई, जिला शाहडोल; (मध्य प्रदेश)	(1) चचाई भूमिगत (2) चचाई विवृत (3) धनपुरी विवृत और (4) धनपुरी भूमिगत कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
30. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जोहिल्ला ग्रुप, डाकघर उमरिया जिला शाहडोल (मध्य प्रदेश)	(1) प्यूरोज बाद (2) बीरसिंगपुर (3) बीरसिंगपुर पूर्व और (4) उमरिया कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
31. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड राजनगर ग्रुप, डाकघर राजनगर जिला शाहडोल (मध्य प्रदेश)	(1) राजनगर (2) नया राजनगर और (3) राजनगर 7 और 8 कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
32. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड उत्तरी/दक्षिणी झागरखंड डाकघर उत्तरी/दक्षिणी झागर खंड, जिला सरगुजा (मध्य प्रदेश)	(1) उत्तरी झागरखंड और (2) दक्षिणी झागरखंड कोयला खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके अन्य नियंत्रणाधीन परिसर
33 उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पश्चिमी झागर खंड ग्रुप, डाकघर पश्चिमी झागरखंड जिला सरगुजा (मध्य प्रदेश)	पश्चिमी झागरखंड और "थ्री" सीम-कोयल खानों के सभी परिसर और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर

1	2
34. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, रामनगर ग्रुप, डाकघर रामनगर जिला शाहडोल (मध्य प्रदेश)	रामनगर (जिसमें मजगा इनक्लाइंस सम्मिलित है) और (2) पुरानी झामर कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
35. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नया झीमर ग्रुप डाकघर, दक्षिणी, झीमर कोलियरी, जिला शाहडोल (मध्य प्रदेश)	झीमर 9 और 10 और (2) झीमर 11 और 12 कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
36. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिजुरी, डाकघर बिजुरी जिला शाहडोल (मध्यप्रदेश)	बिजुरी कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
37. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वैस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, राजनगर, विवृत खान, डाकघर राजनगर, जिला शाहडोल (मध्य प्रदेश)	राजनगर, विवृत कोयलाखान के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
38. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वैस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, बिसरामपुर ग्रुप, डाकघर बिसरामपुर, जिला सरगुजा (मध्य प्रदेश)	(1) बिसरामपुर विवृत (2) जयनगर (3) कुमदा और (4) बलरामपुर कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
39. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भुरखा, डाकघर भुरखा, जिला सरगुजा (मध्य प्रदेश)	भुरखा कोयलाखानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर
40. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कटकोना, डाकघर, कटकोना जिला सरगुजा (मध्यप्रदेश)	कटकोना कोयला खान के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
41. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कुरसिया ग्रुप, डाकघर कुरसिया कोलियरी, जिला सरगुजा (मध्य प्रदेश)	(1) कुरसिया भूमिगत (2) कुरसिया विवृत और सोनवानी कोयलाखानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
42. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, चिरीमिरी ग्रुप, डाकघर चिरीमिरी जिला सरगुजा (मध्य प्रदेश)	(1) चिरीमरी भूमिगत और चिरीमरी विवृत कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
43. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, दमन हिल ग्रुप, डाकघर सोनावानी, जिला सरगुजा (मध्य प्रदेश)	(1) दमन हिल और (2) उत्तरी चिरीमिरी कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
44. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नया चिरीमिरी, पोनरी हिल, डाकघर उत्तरी चिरीमिरी, जिला सरगुजा (मध्य प्रदेश)	नया चिरीमिरी पोनरी हिल कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
45. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोरिया, डाकघर कोरिया कोलियरी, जिला सरगुजा (मध्य प्रदेश)	कोरिया कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
46. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पश्चिमी चिरीमिरी, डाकघर पश्चिमी चिरीमिरी कोलियरी, जिला सरगुजा (मध्य प्रदेश)	पश्चिमी चिरीमिरी कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
47. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोरबा राजनगर, डाकघर कोरबा, जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश)	(1) कोरबा और (2) राजनगर कोयलाखानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
48. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मानिकपुर डाकघर कोरबा, जिला बिलासपुर, (मध्य प्रदेश)	मानिकपुर कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
49. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सुरकच्छार, डाकघर बंकी मोगरा, जिला बिलासपुर (मध्यप्रदेश)	सुरकच्छार कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
50. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बंकी, डाकघर बंकी मोगरा, जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश)	बंकी कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
51. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कुसमुंडा और गेवरा डाकघर कोरबा, जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश)	(1) कुसमुंडा और (2) गेवरा कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।
52. उप-क्षेत्र प्रबंधक/प्रभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ओरिएंट ग्रुप I डाकघर हिंगिर रामपुर, जिला सम्बलपुर (उड़ीसा)	(1) ओरिएंट 2 और (2) नई ओरिएंट कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर।

1	2
53. उप-क्षेत्र प्रबंधक/अभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ओरिएंट ग्रुप II, डाकघर हिंगिर रामपुर जिला सम्बलपुर (उड़ीसा)	(1) ओरिएंट 3 और (2) ओरिएंट 4 कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर ।
54. उप-क्षेत्र प्रबंधक/अभिकर्ता वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, हिंगिर रामपुर ग्रुप, डाकघर हिंगिर रामपुर, जिला सम्बलपुर, (उड़ीसा)	(1) आई बी पीट्स (2) हिंगिर रामपुर (3) नया रामपुर और (4) बुंदिया कोयला खानों के सभी परिसर और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन अन्य परिसर ।

[सं० 29/1/82-सी०एल०

New Delhi, the 13th October, 1982

S.O. 665:—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupations) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal), No. S.O. 2472, dated the 12th July, 1977, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being officers equivalent to the rank of the Gazetted Officers of Government to be Estate Officers for the purposes of the said Act and the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officers by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdictions in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of Public Premises
(1)	(2)
1. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Kamptee Group of Mines, P.O. Kamptee, Railway Station Kamptee, Tehsil and District Nagpur (Maharashtra).	All premises of (1) Inder (2) Kamptee coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited Nagpur.
2. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Silewara Group of Mines, P.O. Khaperkheda Railway Station Khaperkheda, Tahsil and District Nagpur, (Maharashtra).	All premises of (1) Silewara (2) Walni (3) Pipla and (4) Patansaongi coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
3. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Umrer Group of Mines, P.O. Umrer Project ,Tahsil Umrer, District Nagpur, (Maharashtra).	All premises of (1) Umrer open cast and (2) Umrer Underground coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
4. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Pathakhera-I, P.O. Pathakhera, Railway Station Ghora Dongri, District Betul, (Madhya Pradesh).	All premises of Pathakhera-I coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
5. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Pathakhera-II P.O. Pathakhera, Railway Station Ghora Dongri, Dis-Betul, (Madhya Pradesh).	All premises of Pathakhera-I coal mines and other premises belonging to or under th control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
6. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Satpura I &II, P.O. Pathakhera, Railway Station Ghora Dongri, District Betul, (Madhya Pradesh).	All premises of Statpura I & II coal mines and other premises belonging to or under the control of Western Coalfields Limited, Nagpur.
7. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Shobhapur Mine, P. O. Pathakhera, Railway Station Ghora Dongri, District Betul, (Mahdya Pradesh).	All premises of Shobhapur coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
8. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Sarni, Mine, P.O. Pathakhera, Railway Station Ghora Dongri, District Betul, (Madhya Pradesh).	All premises of Sarni coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
9. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Eklehra Group, P.O. Eklehra, Railway Station Eklehra, Tashil and District Chhindwara, (Madhya Pradesh).	All premises of (1) Eklehra (2) Barkui and (4) North Chandametta coal mines and other premises belonging to or under the control of Western Coalfields Limited Nagpur.
10. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Newton Group, P.O. Newton Chickli, Tahsil and District Chhindwara, (Madhya Pradesh).	All premises of Newton Chickli A and (2) Newton Chickli B coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
11. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Pench East Group, P.O. Rawanwara, Tahsil and District Chhindwara, (Madhya Pradesh).	All premises of (1) Rawanwara (2) Rawanwara Khas and (3) Pench East coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.

1	2
12. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Shivpuri Group, P.O Sirgora Parasisa, Tahsil and District Chhindwara. (Madhya Pradesh).	All premises of (1) Shivpuri Underground and (2) Shivpuri open cast coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
13. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Chhinda Colliery, P.O. Srigora Parasia, Tahsil and District Chhindwara (Mahdya Pradesh)	All premises of Chhinda coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
14. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Chandametta Group, P.O. Chandametta, Tahsil and District Chhindwara (Madhya Pradesh)	All premises of (1) Chandametta (2) Chandametta 5 & 6 (3) Bhamori (4) Jatachhapa and (5) East Dongerchickli coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
15. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Ambara Group, P.O. Palachourai, Tahsil and District Chhindwara (Madhya Pradesh).	All premises of (1) Ambara (2) Mohan and (3) Sukri coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
16. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Datla Group, P.O. Dungaria, Tahsil and District Chhindwara (Madhya Pradesh)	All premises of (1) Datla West (2) Ghorwari and (3) Chikalmau coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
17. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Damua Group, P.O. Damua, Tahsil and District Chhindwara (Madhya Pradesh)	All premises of (1) Damua (2) Damua (new inclines) and (3) Rakhikol coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
18. Sub-Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Nandan Mine, P.O. Nandan/Damua, Tahsil and District Chhindwara (Madhya Pradesh).	All premises of Nandan mine and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited Nagpur.
19. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Ghugus Group, P.O. Manikpur, District Chandrapur (Maharashtra).	All premises of (1) Ghugus Pits (2) Nakoda Underground (3) Nakoda open-cast (4) Robertson inclines and (5) Bellorea coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
20. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Hindusthan Lalpeth/ Mahakali Group, P.O. Chandrapur, District Chandrapur (Maharashtra).	All premises of (1) Chanda Rayatwari (2) Mahakali (3) Hindusthan Lalpeth No. 1 (4) Hindusthan Lalpeth No. 3 and (5) Hindusthan Lalpeth open-cast coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited Nagpur.
21. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, New Majri/Rajur, Group, P.O. Shivaji Nagar, District Chandrapur (Maharashtra).	All premises of (1) New Majri No. 1 (2) New Majri No. 3 (3) Rajur Pits and inclines and (4) New Majri open-cast coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
22. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Ballarpur Group, P. O. Ballarpur, District Chandrapur (Maharashtra).	All premises of (1) Ballarpur 3 & 4 (2) Ballarpur open-cast and (3) Sasti coal mines and other premises belonging or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
23. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Durgapur P.O. Durgapur, District Chandrapur (Maharashtra).	All Premises of Durgapur open-cast coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
24. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Durgapur Rayatwari, P.O. Chandrapur, District Chandrapur (Maharashtra).	All premises of Durgapur Rayatwari Coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
25. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Kotma Group, P.O. Kotma, District Shahdol (Madhya Pradesh).	All premises of (1) Kotma (2) Govinda and (3) Bhadra coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coal fields Limited, Nagpur.
26. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Jamuna Group, P.O. Jamuna, District Shahdol (Madhya Pradesh)	All premises of Jamuna underground and Jamuna open-cast coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
27. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Burhar Group, P.O. Burhar, District, Shahdol (Madhya Pradesh).	All premises of (1) Burhar and (2) Burhar 3 coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
28. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Amlai Group, P.O. Amlai Colliery, District Shahdol (Madhya Pradesh).	All premises of (1) Amlai and (2) Rungta Coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.

(1)	(2)
29. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Chachai Group, P.O. Amla, District, Shahdol, (Madhya Pradesh).	All premises of (1) Chachai underground (2) Chachai open-cast (3) Dhanpuri open cast and (4) Dhanpuri underground coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
30. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Johilla Group, P.O. Umaria, District Shahdol, (Madhya Pradesh).	All premises of (1) Nowrozabad (2) Birsingpur (3) Birsingpur East and (4) Umeria coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
31. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Rajnagar Group, P.O. Rajnagar, District Shahdol, (Madhya Pradesh)	All premises of (1) Rajnagar (2) New Rajnagar and (3) Rajnagar 7 and 8 coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited Nagpur.
32. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, North/South Jhagrakhand, P.O. North/South Jhagrakhand, District Surguja, (Madhya Pradesh).	All premises of (1) North Jhagrakhand and (2) South Jhagrakhand coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
33. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, West Jhagrakhand Group, P.O. West Jhagrakhand, District Surguja, Madhya Pradesh).	All premises of West Jhagrakhand and 'B' Seam coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coal fields Limited, Nagpur.
34. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Ramnagar Group, P.O. Ramnagar, District Shahdol, (Madhya Pradesh).	All premises of Ramnagar (including Malga incline) and (2) Old Jhimar coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
35. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, New Jhimar Group, P.O. South Jhimar Colliery, District Shahdol, (Madhya Pradesh).	All premises of Jhimar 9 and 10 and (2) Jhimar 11 and 12 coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfieols Limited, Nagpur.
36. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Bijuri, P.O. Bijuri, District Shahdol, (Madhya Pradesh).	All premises of Bijuri coal mine and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limtied, Nagpur.
37. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Rajnagar open-cast, P.O. Rajnagar, District Shahdol, (Madhya Pradesh).	All premises of Rajnagar opencast coal mine and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
38. Sub Area Manager/Agents, Western Coalfields Limited, Bisrampur Group, P.O. Bisrampur, District Surguja, (Madhya Pradesh)	All premises of (1) Bisrampur open-cast (2) Jainagar (3) Kunda and (4) Bhatgaon coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
39. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Churcha, P.O. Churcha, District Surguja, (Madhya Pradesh).	All premises of Churcha coal mine and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
40. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Katkona, P.O. Katkona, District Surguja, (Madhya Pradesh).	All premises of Katkona coal mine and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
41. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Kurasia Group, P.O. Kurasia Colliery, District Surguja, (Madhya Pradesh).	All premises of (1) Kurasia under ground (2) Kurasia open-cast and (3) Sonawani coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
42. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Chirimiri Group, P.O. Chirimiri, District Surguja, (Madhya Pradesh)	All premises of (1) Chirimiri underground and (2) Chirimiri open-cast coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
43. Sub-Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Duman Hill Group, P.O. Sonawani, District Surguja (Madhya Pradesh).	All premises of (1) Duman Hill and (2) North Chirimiri coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
44. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields, Limited, New Chirimiri Ponri Hill, P.O. North Chirimiri, District Surguja, (Madhya Pradesh).	All premises of New Chirimiri Ponri Hill coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
45. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Korea,	All premises of Korea coal mine and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited,

(1)	(2)
P.O. Korea Colliery, District Surguja, (Madhya Pradesh).	Nagpur.
46. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, West Chirimiri, P.O. West Chirimiri Colliery, District Surguja, (Madhya Pradesh).	All premises of West Chirimiri coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
47. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Korba Raigamar, P.O. Korba, District Bilaspur, (Madhya Pradesh).	All premises of (1) Kruba and (2) Rajgamar coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
48. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Manikpur, P.O. Korba, District Bilaspur, (Madhya Pradesh).	All premises of Manikpur coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
49. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Surakachhar, P.O. Banki Mogra, District Bilaspur, (Madhya Pradesh).	All premises of Surakachhar coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coal fields Limited, Nagpur.
50. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Banki, P.O. Banki Mogra District Bilaspur, (Madhya Pradesh).	All premises of Banki coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
51. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Kusmunda and Gevra, P.O. Korba, District Bilaspur, (Madhya Pradesh).	All premises of (1) Kusumnda and (2) Gevra coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
52. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Orient Group I, P.O. Hingir Rampur, District Sambalpur, (Orissa).	All premises of (1) Orient 2 and (2) New Orient coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
53. Sub Area Manager/Agent, Westren Coalfields Limited, Orient Group II, P.O Hingir Rampur, District Sambalpur (Orissa).	All premises of (1) Orient 3 and (2) Orient 4 coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited Nagpur.
54. Sub Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited, Hingir-Rampur Group, P.O. Hingir Rampur, District Sambalpur, (Orissa).	All premises of (1) Ip pits (2) Hingir Rampur (3) New Rampur and (4) Bundia coal mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.

[No. 29/1/82—CL]

का०आ० 666.--केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० 3398 तारीख 1 दिसम्बर, 1981 द्वारा भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (2) में प्रकाशित उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 118.00 एकड़ (लगभग) या 47.75 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि की बाबत कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभिप्राप्य है;

अत:, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 117.70 एकड़ (लगभग) या 47.63 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है।

टिप्पण-1 इस अधिसूचना के अधीन आने वाले रेखांक का निरीक्षण, उपायुक्त, गिरिडीह (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में अथवा सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण-2 कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबन्धित है--

(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर किन्हीं अधिकारों को अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण--; इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ो या ऐसी

भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि ऐसी भूमि में या उस पर अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।"

टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार ने, कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल स्ट्रीट, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

(हजारी खंड)

(पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र)

सं० राजस्व 24/82

तारीख 5-4-1982

(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दर्शित की गई है)

सभी अधिकार

खंड	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
क	हजारी	गोमिया	112	गिरिडीह	55.00	भाग
ख	हजारी	गोमिया	112	गिरिडीह	62.70	भाग
	कुल क्षेत्र :				117.70 एकड़	(लगभग)
	या				47.63 हेक्टर	(लगभग)

खंड-क

हजारी ग्राम में अर्जित किए गए जाने वाले प्लाट संख्यांक:—

1177 (भाग), 1178 (भाग), 1179 (भाग), 1180 (भाग), 1181 (भाग), 1182 से 1188, 1189 (भाग), 1190, 1191 (भाग), 1192 (भाग), 1193 से 1207, 1208 (भाग), 1209 से 1215, 1216 (भाग), 1217 (भाग), 1233 (भाग), 1234 (भाग), 2690 (भाग), 2800 (भाग), 2801 (भाग), 2802, 2805 (भाग) 2838 (भाग), 2839 (भाग), 2840 (भाग), 2844 (भाग), 2845 (भाग), 2846 (भाग), 2847 से 2877, 2878 (भाग), 2879 से 2920, 2921 (भाग), 2925 (भाग), 2926 (भाग), 2927, 2928 (भाग), 2929 (भाग), 2934 (भाग), 2977 (भाग), 2978 (भाग), 2979 (भाग), 3006 (भाग), 3007, 3008,3009, 3010, 3011, 3012 (भाग), 3013, 3014 (भाग), 3015 (भाग), 3041 (भाग), 3049 (भाग), 3050 (भाग), 3051 (भाग), 3052 (भाग), 3053 (भाग), 3054 से 3065, 3066 (भाग), 3067 से 3075 ,3076 (भाग), 3077 (भाग), 3078 (भाग), 3079 (भाग), 3080 (भाग), 3081 (भाग), 3132 और 3135.

खण्ड-ख

1067 (भाग), 1083 (भाग), 1084 (भाग), 1085 (भाग), 1086 (भाग), 1087 (भाग), 1088 (भाग), 1089 (भाग), 1091 (भाग), 1092 (भाग), 1093 (भाग), 1096 (भाग), 1106 (भाग), 1113 (भाग), 1116 (भाग), 1119 (भाग), 1123 (भाग), 1124 (भाग), 1125 (भाग), 1126 (भाग), 1127 (भाग), 1128 (भाग), 1129 (भाग), 1130 से 1138, 1139 (भाग), 1191 (भाग), 1192 (भाग), 3014 (भाग), 3015 (भाग), 3035 (भाग), 3036 (भाग), 3037 (भाग), 3038 (भाग), 3039 (भाग), 3040 (भाग), 3041 (भाग), 3042, 3043, 3044 (भाग), 3046 (भाग), 3047 ,3048,3049 (भाग), 3050 (भाग), 3051 (भाग), 3052 (भाग), 3053 (भाग), 3066 (भाग), 3078 (भाग), 3079 (भाग), 3080 (भाग), 3082, 3083 ,3084, 3085 (भाग), 3086,3087, 3088,3089 3090 (भाग), 3101 (भाग), 3103 (भाग), और 3133.

खंड "क" का सीमा वर्णन

क-ख रेखा ग्राम हजारी में प्लाट सं० 2805, 2801, 2800, 2921, 2925, 2926, 2934, 2928, 2929, 2978, 2977, 2978, 2979,3006, 3007, 3015 से होकर जाती है और बिन्दु ख पर मिलती है।

ख-ग रेखा प्लाट सं० 3015, 3012, 3014 2978, 3041, 3053, 3051, 3049, 3050, 3081, 3076, 3080, 3077, 3079, 3078, 3066, 1192, 1191 जो संवाग पुनर्गठन परियोजना के लिए कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित ऐसी परियोजना क्षेत्र के साथ सामान्य भागत सीमा बनाती है) से होकर जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग-घ रेखा प्लाट सं० 1191, 1189, 1172, 1178, 1179 से होकर और प्लाट सं० 1173 की दक्षिणी सीमा के भाग के साथ साथ (जो खास बोर्ड सड़क की दक्षिणी सीमा के साथ सामान्य सीमा बनाता है) जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।

घ-ङ रेखा प्लाट सं० 1179, 1181, 1180, 1208, 1217, 1216, 1233, 1234, 2690, 2846, 2845, 2844, 2340, 2839, 2838, 2373 और 2805 [जो कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित बोकारो क्षेत्र के साथ सामान्य सीमा बनाता है] से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

खंड—ख

ङ-च रेखा प्लाट सं० 1191, 1192, 3066, 3078, 3079, 3080, 3085, 3050, 3049, 3051, 3052, 3053, 3041, 3040, 3014, 3015 [जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अर्जित संवाग पुनर्गठन परियोजना के सभी अधिकार क्षेत्र के साथ सामान्य सीमा बना ता है] से हो कर जाती है और बिन्दु "च" पर मिलती है।

च—छ रेखा प्लाट सं० 3015, 3038, 3037, 3036, 3035, 3039, 3044 और 3046 [जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन संवाग पुनर्गठन परियोजना के सभी अधिकार अर्जित क्षेत्र के साथ सामान्य सीमा बनाता है] से होकर जाती है और बिन्दु "छ" पर मिलती है।

छ-ज रेखा हजारी ग्राम में बोकारो नदी की उत्तरी सीमा से होकर जाती है और बिन्दु "ज" पर मिलती है।

ज—झ रेखा ग्राम हजारी में प्लाट सं० 3103, 3085, 3090, 3089, 3085, 3101, 1129 , 1126, 1128, 1124 से होकर जाती है और बिन्दु "झ" पर मिलती है।

झ-ञ-ट-ठ-ड रेखा ग्राम हजारी में प्लाट सं० 1124, 1127, 1125 1113, 1116, 1106, 1087, 1106, 1089, 1091, 1092, 1096, 1093 से होकर जाती है और बिन्दु "ठ" पर मिलती है।

ड/-ड रेखा ग्राम हजारी में कुनार नदी में पश्चिमी किनारे की सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "ड" पर मिलती है

ड-ढ-ण-त रेखाएं ग्राम हजारी के प्लाट सं० 1067, 1092, 1091, 1089, 1088, 1087, 1086, 1085, 1083, 1084, 1116, 1124, 1124 से होकर जाती हैं और बिन्दु "त" पर मिलती है।

ग–क रेखा ग्राम हजारी में प्लाट सं० 1124, 1133, 1139 और 1191 (जो खास बोर्ड सड़क की दक्षिणी सीमा के साथ सामान्य सीमा बनाता है) से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं० 19/42/82-सी एल]
पी० सरकार, निदेशक

S.O. 666 Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 3398 dated the 1st December, 1981, published in the Gazette of India, part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 19th December, 1981, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957(20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 118.00 acres (approximately) or 47.75 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the Central Government is satified that coal is obtainable in the said lands;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the said lands measuring 117.70 acres (approximately) or 47.63 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto

Note 1. The plan of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Giridih (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Derbhanga House, Ranchi (Bihar).

Note 2. Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, (20 of 1957) which provides as follows:—

8 (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the Notification, object to the acquisition of the whole o any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation: It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different report in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.

Note 3. The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, has been appointed by the Central Government as the Competent Authority under the Act.

SCHEDULE

Hazari Block Drg. No. Rev/24/82

(East Bokaro Coalfield) dated 5-4-1982

(Showing lands to be acquired)

All Rights

Block	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
A	Hazari	Gomia	112	Giridih	55.00	part
B	Hazari	Gomia	112	Giridih	62.70	part
		Total area :—			117.70 acres (approximately)	
		or			47.63 hectares (approximately)	

Block-A

Plot numbers to be acquired in village Hazari:—

1117 (part), 1178 (part), 1179 (part), 1180(part), 1181 (part), 1182 to 1188, 1189 (part), 1190, 1191 (part), 1192 (part), 1193 to 1207, 1208 (part), 1209 to 1215, 1216 (part), 1217. (part), 1233 (part), 1234 (part), 2690 (part), 2800 (part), 2801 (part), 2802, 2805 (part), 2838(part), 2839 (part), 2840 (part), 2844 (part), 2845 (part), 2846 (part), 2847 to 2877, 2878, (part), 2879 to 2920, 2921 (part), 2925 (part), 2926 (part 2927, 2928 (part), 2929 (part), 2934 (part), 2977 (part), 2978 (part), 2979 (part), 3006 (part), 3007 (part), 3008, 3009, 3010, 3011, 3012 (part), 3013, 3014 (part), 3015 (part), 3041 (part), 3049 (part), 3050 (part), 3051 (part), 3052 (part), 3053 (part), 3054 to 3065, 3066 (part), 3067 to 3075, 3076 (part), 3077 (part), 3078 (part), 3079 (part), 3080 (part), 3081 (part), 3132 and 3135.

Block—B

1067 (part), 1083 (part), 1084 (part), 1085 (part), 1086 (part) 1087 (part), 1088 (part), 1089(part), 1091 (part), 1092 (part), 1093 (part), 1096 (part), 1106(part), 1113 (part), 1116 (part), 1119, 1123 (part), 1124 (part), 1125 (part), 1126 (part), 1127 (part), 1128 (part), 1129 (part), 1130 to 1138, 1139 (part), 1191 (part), 1192 (part), 3014 (part), 3015 (part), 3035 (part), 3036 (part), 3037 (part), 3038 (part), 3039 (part), 3040 (part), 3041 (part), 3042, 3043, 3044 (part), 3046 (part), 3047, 3048, 3049 (part), 3050 (part), 3051 (part), 3052 (part), 3053 (part), 3066 (part), 3078 (part), 3079 (part), 3080 (part), 3082 3083, 3084, 3085 (part), 3086, 3087, 3088, 3089 (part), 3090 (part) 3101 (part), 3103 (part), and 3133.

Boundary description, of Block 'A'

A—B line passes through plot nos. 2805, 2801, 2800, 2921 2925, 2926, 2934, 2928, 2929, 2978, 2977, 2978, 2979, 3006, 3007, 3015 in village Hazari and meets at point 'B'.

B—C line passes through plot nos. 3015, 3012, 3014, 2978, 3041, 3053, 3052, 3051, 3049, 3050, 3081, 3076, 3080 3077, 3079, 3078, 3066, 1192, 1191, (which forms part common boundary with the all rights area acquired u/s 9 (1) of the Coal Bearing (Acquisition and Development) Act, 1957, for sawang reorganisation Project) and meets at point 'C'.

C—D line passes through plot nos. 1191, 1189, 1177, 1178, 1179 and along part southern boundary of plot no. 1973 (which forms common boundary with the southern boundary of mines board road) and meets at point 'D'.

D—A line passes through plot nos. 1179, 1181, 1180, 1208, 1217, 1216, 1233, 1234, 2690, 2846, 2845, 2844, 2840, 2840, 2839, 2838, 2878 & 2805 (which forms part common boundary of the area of Bokaro Block acquired u/s 9(1) of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957) and meets at starting point 'A'.

Block—B

E—F line passes through plot nos. 1191, 1192, 3066, 3078 3079, 3080, 3035, 3050, 3049, 3051, 3052, 3053, 3041 3040, 3014, 3015 (which forms common boundary with the all rights area of Sawang re-organisation project acquired u/s 9(1) of the Coal Act) and meets at point 'F'.

F—G line passes through plot nos. 3015, 3038, 3037, 3036, 3035, 3039, 3044 and 3046 (which forms common boundary with the all rights area of Sawang Re-organisation Project u/s 9(1) of the Coal Act) and meets at point 'G'.

G—H line passes along the northern boundary of River Bokaro in village Hazari and meets at point 'H'.

H—I line passes through plot nos. 3103, 3085, 3090, 3089, 3085, 3101, 1129, 1126, 1128, 1124 in village Hazari and meets at point 'I'.

I—J—K—L—L/1 lines pass through plot nos. 1124, 1127, 1125, 1113, 1116, 1106, 1087, 1106, 1089, 1091, 1092, 1096 1093 in village Hazari and meets at point L/1.

L/1—M line passes along the River boundary of western side of River Kunar in village Hazari and meets at points 'M'.

M—N—O—P lines pass through plot nos. 1067, 1092, 1091 1989, 1088, 1087, 1086, 1085, 1083, 1084, 1116, 1124 in village Hazari and meets at point 'P'.

P—E line passes through plot numbers 1124, 1123, 1139 and 1191 in village Hazari (which forms common boundary with the southern boundary of mines board road) and meets at starting point 'E'.

[No. 19/42/82—CL

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर 1982

का० आ० 667 --सार्वजनिक परिसर, (अनधिकृत कब्जे की बेदखली अधिनियम) 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना, सं० का० आ० 1032 दिनांक 2 अप्रैल 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् -

उक्त अधिसूचना मे सारिणी के लिए निम्नलिखित सारिणी प्रतिस्थापित की जाय अर्थात्.--

सारिणी

अधिकारी का नाम	सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियां और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाए
1	2
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड दुर्गापुर यूनिट	दुर्गापुर एकक और उसकी टाउनशिप के लिए हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कारपोरेशन लि० का परिसर अथवा उनके द्वारा अथवा उनकी ओर से पट्टे पर लिया गया परिसर ।

[फाइल सं० 88(4)/82--एफ. डी. सी.]
डी० आर० गुप्ता अवर सचिव

New Delhi, the 31st December, 1982

S.O. 667 :—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals & Fertilisers, No. S.O. 1032, dated the 2nd April, 1977 namely:—

On the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

TABLE

Designation of the officer	Categories of the Public Premises and local limites of jurisdiction
1	2
Chief Administrative Officer, Durgapur Unit of Hindustan Fertilizer Corporation Limited, Durgapur.	Premises belonging to or taken on lease by or on behlaf of the Hindustan Fertilizor Corporation Limited for Durgapur Unit and its township

[F. No. 88(4)/82—FDC]
D. R. GUPTA, Under Secy.

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1983

का० आ० 668 :—राष्ट्रपति केन्द्रीय सिविल सेवाए (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1965 नियम 34 के साथ पठित नियम 9 के उपनियम (2) नियम 12 के उप नियम (2) के खंड (ख) तथा नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देते हैं कि भारत सरकार के पूर्ववर्ती उद्योग एव पूर्ति मंत्रालय (पूर्ति तथा तकनीकी विकास विभाग) दिनांक 12-10-1964

की अधिसूचना सं० एस० आर० ओ० 3687 (यथा संशोधित) में आगे और निम्नलिखित संशोधन किया जाए :

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में "राष्ट्रीय परीक्षण शाला कलकत्ता तथा बम्बई" के शीर्ष के अन्तर्गत "भाग-1-सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-3 में स्तम्भ 5 में शब्द "निदेशक" के स्थान पर "महानिदेशक" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[मिसिल सं० 17/1/76-5]
सी० एन० रामन, उप सचिव

MINISTRY OF SUPPLY

New Delhi, the 4th January, 1983

S.O. 668.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12, and sub-rule (1) of rule 24 read with rule 34 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 the President hereby directs that the following further amendment shall be made in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industry and Supply (Department of Supply and Technical Development), No. S.R.O. 3687, dated the 12th October, 1964, as amended from time to time, namely :—

In the Schedule to the said notification, in "Part I-General Central Service, Class III", under the heading "National Test House, Calcutta & Bombay" in Column 5, for word "Director" the words "Director General" shall be substituted.

[F. No. 17/1/76-V]
C. N. RAMAN, Dy. Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नयी दिल्ली, 11 जनवरी, 1983

का० आ० 669.—यतः केन्द्रीय सरकार का नीचे लिखे क्षेत्र के बारे में दिल्ली की बृहत योजना में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव है। दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13 मार्च, 1982 का नोटिस संख्या एफ० 13(2)/76—एम० पी० के साथ प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप धारा (3) के अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव मांगे गये थे।

और यतः उक्त संशोधन के बारे में कोई आपत्ति सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली की बृहत योजना में भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित उपान्तरण करती है अर्थात्:—

संशोधन:—

"नंगली पूना गांव के पास स्थित 5.42 है० (13.07 एकड़) क्षेत्र जो पूर्व में 91.44 मी० (300 फुट) चौड़ा जी० टी० मार्ग दक्षिण में गांव खेड़ा कलां जाने वाला 30.48 मी० (100 फुट) चौड़ी सड़क और उत्तर एवं पश्चिम में "कृषि हरित पट्टी" क्षेत्र से घिरा है का भूमि उपयोग "कृषि हरित पट्टी" से बदल कर "सार्वजनिक एवं सार्वजनिक सुविधाएं" (हस्पताल) किया जाना प्रस्तावित है।"

[सं० के०-13011/12/78-डी०डी०-I ए०/II ए०]

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 11th January, 1983

S.O. 669.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi regarding the areas mentioned hereunder, were published with Notice No. F. 13(2)/76-MP dated 13-3-82 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice;

And whereas no objections or suggestions have been received with regard to the aforesaid modifications;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, Namely :

MODIFICATIONS :

"The land use of an area measuring 5.42 Hact. (13.07 acres) located near Nangli Poona Village and surrounded by 91.44 M (300 ft.) wide G. T. Road in the East 30.48 M (100 ft.) wide road leading to village Khera Kalan in the South and 'agricultural green' in the North and West, is changed from 'agricultural green belt' to 'public and semi-public facilities' (Hospital)."

[No. K-13011/12/78-DDI(A)/II]

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1933

का० आ० 670.—यतः निम्नांकित आंचलिक विनियमनों के बारे में कुछ संशोधन जिन्हे केन्द्रीय सरकार दिल्ली के लिए बृहत योजना में प्रस्तावित करती है तथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61वां) के खंड 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 27-6-1981 के नोटिस संख्या एफ-० 20(114) 176-एम०पी० द्वारा प्रकाशित किये गये थे जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11ए० की उपधारा (3) में अपेक्षित आक्षेप/सुझाव इस नोटिस की तारीख से 30 दिन की अवधि में आमन्त्रित किए गए थे।

और यतः उक्त संशोधनो के बारे में कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं दिल्ली की बृहत योजना को संशोधित करने का निर्णय किया है।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11ए० की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की बृहत योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत :

संशोधन

"1—लगभग 7.668 हेक्टर (19 एकड़) भूमि, जो मुख्य योजना में "फलैटिड फैक्ट्रीज" हेतु विनिर्दिष्ट है और पश्चिम मे आवासीय क्षेत्र, उत्तर और पूर्व में 24 4 मी० (80 फुट) चौड़े क्षेत्रीय मार्गों, दक्षिण में 30.43 (100 फुट) चौड़े देशबन्धु गुप्ता मार्ग से घिरी है, का भूमि उपयोग 250 व्यक्ति प्रति एकड़ के घनत्व सहित आवासीय" मे परिवर्तित किया जाता है।"

"2.2.832 हेक्टर (7 एकड़) भूमि जो मुख्य योजना मे "ट्रक टर्मिनल" हेतु विनिर्दिष्ट है और उत्तर में 30.48 मी० (100 फुट) चौड़े मार्ग, पश्चिम में ईदगाह स्मारक, पूर्व में आवासीय क्षेत्र और दक्षिण मे 24.1 मी० (80 फुट) चौड़े क्षेत्रीय मार्ग से घिरी है, का भूमि उपयोग 250 व्यक्ति प्रति एकड़ सहित "आवासीय" मे परिवर्तित किया जाता है।"

[सं० के० 13012/8/76-यू०डी०-I ए/-II ए]
के०के० सक्सेना, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th January, 1983

S.O. 670.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi regarding zoning regulations mentioned hereunder, were published with Notice No. F. 20(14)/76-M.P. dated 27-6-1981 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice ;

And whereas, no objecions and suggestions with regard to the said modifications have been received ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, namely :—

MODIFICATIONS

1. The land use of an area measuring about 7.668 hects (19 acres) earmarked for 'flatted factories' in the Master Plan and surrounded by residential area on the west, 24.4 mts. (80') wide Zonal Roads on the North and East, 33.48 mts. (100') wide Desh Bandhu Gupta Road on the South, is changed to 'residential use' with a density of 250 persons per acre.
2. The land use of an area measuring 2.832 hects (7 acres) earmarked for 'goods terminal' in the Master Plan and surrounded by 30.48 mts. (100') wide road on the north, Idgah monument on the West, residential area on the east and 24.4 mts. (80') wide Zonal Road on the South is changed to residential use' with a density of 250 persons per acre".

[No. K-13012/8/76-UD IA/IIA]
K. K. SAXENA, Desk Officer

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नयी दिल्ली 26 नवम्बर, 1982

का० आ० 671.—भारतीय रेल अधिनियम 1890 (1980 का अधिनियम (+) की धारा 82-बी द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 3-6-82 को दक्षिण रेलवे के गुम्मिडिपुंडी में ई जी 18 अप गुम्मिडिपुंडि-मद्रास सेन्ट्रल ई एम यू गाड़ी और मद्रास (साल्ट कोटिस) विजयवाड़ा एम बी ई डाउन माल गाड़ी के नीचे हुई बगली टक्कर के फलस्वरूप उत्पन्न सभी दावों को निपटाने के लिए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा श्री ई० जे० बेल्ली मुख्य जिला न्यायाधीश रामनाथपुरम तमिल नाडु को दावा आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है। उनका मुख्यालय मद्रास में होगा।

[सं० 82/ई/(ओ)/11/1/3]
हिम्मत सिंह, सचिव, रेलवे बोर्ड
एवं भारत के सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 26th November, 1982

S.O. 671.—In exercise of the powers conferred by Section 82-B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890), the Central Government hereby appoints Shri E. J. Bellie Principal District Judge, Ramanathapuram, Tamil Nadu as claims commissioner to deal with all the claims arising out of the side collision between EG 18 Up Gummidipundi—Madras Central EMU train and Madras (Salt Centaurs) Vijayawada MBE Down Goods Train at Gummidipundi on Southern Railway on 3-6-82. His headquarters will be in Madras.

[No. 82/E(O)II/1/3]
HIMMAT SINGH, Secy.
ex-Officio Jt. Secy. to the Govt. of India

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 21 अक्तूबर 1982

का०आ० 672.:- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया अहमदाबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7/क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० एस० बेरोट होंगे जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद के प्रबंधतंत्र की श्री डी० एच० मारू उप-कर्मचारी, रायपुर शाखा अहमदाबाद को 6-12-1980 से बैंक के हाजिरी रजिस्टर से हटाने की कार्रवाई न्यायोचित है। यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है।

[सं० एल-12012/399/81-डी. II(ए)]
ए० के० शाहा मंडल, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 21st October, 1982

ORDER

S.O. 672.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Central Bank of India Ahmedabad and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Central Bank of India, Regional Office, Ahmedabad in striking Shri D. H. Karu, Sub-staff, Raipur Branch,

Ahmedabad off the Bank's muster roll from 6-12-80 is justified. If not, to what relief is the workman entitled ?".

[No. L-12012(399)/81-D. II (A)]
A. K. SAHA MANDAL, Desk Officer

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1983

का०आ० 673—केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 2) की धारा 22च की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के ऐसे उपबन्ध जो नीचे की अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट है, पूर्वोक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची के भाग 2 में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में के कर्मचारियों को (जो ऐसे कर्मचारी नहीं हैं जिनकी मजदूरी के संबंध में मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 पहले से ही लागू है) संदेय मजदूरी में से की गई कटौतियों से या मजदूरी के संदाय में हुए विलम्ब से उद्भूत ऐसे दावों को जिनके लिये केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है। ऐसे उपान्तरणों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, लागू होंगे जो नीचे की अनुसूची के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

अनुसूची

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1937 के उपबन्ध	उपान्तरण
(1)	(2)
धारा 15.	उपधारा (1) में, "राज्य सरकार" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जायगा कि वह "केन्द्रीय सरकार" के प्रति निर्देश है। उपधारा (2) में, "इस अधिनियम" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जायगा कि वह "न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 या उसके अधीन बनाए गए नियमों" के प्रति निर्देश है। उपधारा (3) में,— (i) "इस अधिनियम" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह "न्यूनतम मजदूरी अधिनियम" के प्रति निर्देश है। (ii) "नियोजक या अन्य व्यक्ति की, जो धारा 3 के अधीन मजदूरी के संदाय के लिये उत्तरदायी है" शब्दों और अंकों के स्थान पर "नियोजक की" शब्द रखे जायेंगे। उपधारा (3) के परन्तुक के खण्ड (ख) में "वह व्यक्ति, जो मजदूरी के संदाय के लिए उत्तरदायी था," शब्दों के स्थान पर "नियोजक" शब्द रखा जाएगा। (iii) "जिसका ऐसा नियोजक या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायी है" शब्दों के स्थान पर "जिसका ऐसा नियोजक इस अधिनियम के अधीन दायी है" शब्द रखे जाएंगे। उपधारा (4) का लोप किया जायेगा।
धारा 16.	"धारा 5 द्वारा नियत दिन के पश्चात्" शब्दों और अंक के स्थान पर "नियत तारीख के पश्चात्" शब्द रखे जाएंगे।
धारा 17.	उपधारा (1) में, "या उपधारा (4)" अभिव्यक्ति का लोप किया जायगा और "नियोजक या अन्य व्यक्ति द्वारा, जो धारा 3 के अधीन मजदूरी के संदाय के लिए उत्तरदायी है," शब्दों और अंक के स्थान पर "नियोजक द्वारा" के शब्द रखे जाएंगे तथा संपूर्ण खण्ड (ग) का लोप किया जाएगा। उपधारा (2) में, "या उपधारा (4)" अभिव्यक्ति का लोप किया जायेगा।
धारा 17क.	उपधारा (1) में, "या अन्य व्यक्ति जो धारा 3 के अधीन मजदूरी के संदाय के लिए उत्तरदायी है" और "या अन्य व्यक्ति को" शब्दों और अंक का लोप किया जायेगा तथा "नियोजक या अन्य व्यक्ति को, जो मजदूरी के संदाय के लिए उत्तरदायी है," शब्दों के स्थान पर "नियोजक को" शब्द रखे जाएंगे।
धारा 18.	
धारा 26 का उतना भाग जो पूर्वोक्त धाराओं से संबंधित है।	"राज्य सरकार" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह "केन्द्रीय सरकार" के प्रति निर्देश है।

[सं० एस 31012/9/82-डब्ल्यू०सी० (पी डब्ल्यू)]
एम० एल० मेहता, अवर सचिव

New Delhi, the 13th January, 1983

S.O. 673—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22F of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby directs that the provisions of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936) specified in column (1) of the Schedule below shall apply to claims arising out of deductions from or delay in payment of wages payable to employees in the scheduled employments mentioned in Part 2 of the Schedule of the Minimum Wages Act aforesaid for which the Central Government is the appropriate Government (not being employees in respect of whose wages the Payment of Wages Act, 1936, is already applicable), subject to the modifications, if any, specified in the corresponding entry in column (2) of the Schedule below :—

SCHEDULE

Provisions of the Payment of Wages Act, 1936	Modification
(1)	(2)
Section 15	In sub-section (1), reference to the "State Government" shall be construed as a reference to the "Central Government". In sub-section (2), reference to "this Act" shall be construed as reference to "the Minimum Wages Act, 1948 or the rules made thereunder." In sub-section (3) :—

1	2
	(i) reference to "this Act" shall be construed as reference to "the Minimum Wages Act".
	(ii) the words and figure "or other person responsible for the payment of wages under section 3" shall be omitted. In the proviso to sub-section (3), in clause (b), for the words "person responsible for the payment of the wages" the words "employer" shall be substituted;
	(iii) for the words "to which such employer or other person is liable under this Act," the words "to which such employer is liable under this Act" shall be substituted; sub-section (4) shall be omitted.
Section 16	For the words and figure "after the day fixed by section 5", the words "after the due date" shall be substituted.
Section 17	In sub-section (1), the expression "or sub-section (4)" and "or other person responsible for the payment of wages under section 3" and the whole of clause (c) shall be omitted. In sub-section (2), the expression "or sub section (4)" shall be omitted.
Section 17A.	In sub-section (1), the words and figure "or other person responsible for the payment of wages under section 3" "or other person" and "or other person responsible for the payment of wages" shall be omitted.
Section 18 So much of section 26 as relates to the sections aforesaid.	Reference to the "State Government" shall be construed as reference to the "Central Government".

[No. S.31012/9/82 WC(PW)]
M. I. MEHTA, Under Secy.

New Delhi, the 10th January, 1983

S.O. 674.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab & Sind Bank, Maharashtra, and their workmen, which was received by the Central Government on the 1-1-1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

PRESENT :

Justice M. D. Kambli Esqr.,
Presiding Officer

Reference No. CGIT-26 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to Punjab & Sind Bank, Bombay,

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the employer.—Mr. D. O. Sanghvi, Advocate.

For Punjab & Sind Bank Employees' Union.—Mr. S. S. Bali, President.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra

Bombay, the 30th November, 1982

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by order No. L-12011/28/81-D. II(A) dated 13th November, 1981 in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, have referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the employers in relation to the management of Punjab & Sind Bank, Bombay, and their workmen in respect of the matters specified in the schedule mentioned below :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Punjab & Sind Bank in relation to their Kalbadevi Branch in over-looking the seniority of a large number of clerks in selecting Operators in accounting machines installed in their Kalbadevi Branch is justified ? If not, to what relief the senior clerks who were not selected are entitled to ?"

2. The Punjab & Sind Bank (hereinafter referred to as the "Bank") has its head office in New Delhi. It has its branches throughout the country. Eighteen of its branches are in the State of Maharashtra, out of which 12 are in the city of Bombay. The Kalbadevi branch is one of the branches of the Bank in the city of Bombay. The Bank is engaged in the banking business activity. The Bank employs about 400 clerical and non-clerical subordinate workmen in the State of Maharashtra, of these, at the relevant time, about 315 were employed in Bombay. It is alleged by the Punjab & Sind Bank Employees' Union (hereinafter referred to as the "Union") in the statement of claim, that the terms and conditions of service, including those relating to the entitlement and payment of special allowances in the Bank are those contained in the settlement dated 31st October, 1979, between the managements of certain Banks, including this Bank and their workmen respectively. read with earlier awards and settlements. Referring to certain provisions in the settlement dated 31st October, 1979, the Union alleged in its statement of claim that for many years till the beginning of the year 1979 it was the practice followed by the Bank that whenever any Bank employee at any of its branch offices was to be entitled to any special allowance, the seniormost of the employees at the branch was posted to do the job which entitled him to be paid a special allowance for the job. This was in view of the fact that the job to which the workman was posted required additional experience and handling of additional responsibility over and above the performance of the job in a normal manner. It was alleged that this was the practice whenever a workman was required to operate a machine entitling him to receive the special allowance payable to an accounting machine operator. This practice, it was stated, was in keeping with a similar practice by other Banks as far as jobs entitling Bank workmen to receive special allowance were concerned.

3. It is alleged by the Union that sometime in March 1979, the Bank installed two accounting machines at its Kalbadevi branch office but contrary to the practice referred to above and notwithstanding that a senior workman was given training to operate the accounting machines the Bank appointed two of its juniormost workmen at the branch, one of them a typist, to operate the machines. According to the Union, the Bank thus by passed the legitimate claims of the seniormost workmen of the Bank at the said branch, causing them monetary loss as well as loss of standing among other workmen and causing heartburning. The Union took up this matter with the Bank by its letter dated 15-3-1979. The

Bank did not replace the junior workmen by appointing in their place the senior most workmen as requested by the Union. The Union, therefore, took up the matter in conciliation on the basis of their said letter. In the course of the discussions which followed the Bank agreed with the Union that the Bank would accede to the request of the Union as conveyed in their said letter. The dispute, therefore, was not pursued. This was sometime in April, 1980. In the month of June, 1980, the Bank installed a third accounting machine at the said Kalbadevi branch and placed one of the senior most workmen to operate the machine. The Bank, however, did not replace the junior workmen appointed to work on the two accounting machines earlier. In January, 1981, therefore, the Union again approached the Regional Labour Commissioner(C) to take up the dispute in conciliation. In the meanwhile, the Bank issued its circular dated 21-1-1981, on the subject of criteria for the grant of special allowance, accepting recognition in writing of seniority, for the purposes of entitlement to appointments to posts for which special allowances was payable. However, as the Bank was non agreable to appoint the seniormost workmen to operate the two accounting machines installed earlier and to compensate those seniormost workmen for their non-placement in the posts, the Asstt. Labour Commissioner(C) submitted a failure report to the Central Government which has ultimately led to the present reference.

4. It is stated by the Union that there was no separate pay scale in the Bank for accounting machine operators; if a clerical employee is required to perform the duties of an accounting machine operator he is to be paid a special allowance to compensate for the performance of these duties. It is alleged that at the material time the special allowance to be so paid to an accounting machine operator was sufficiently high and a part of this allowance ranked as basic pay for the purposes of provident fund and superannuation benefits. It is submitted by the Union in its statement of claim that it was the established practice of the Bank that whenever workmen were required to perform the duties in posts entitling them to receive a special allowance, these posts were given to the seniormost workmen of the particular branch where the posts were available. This practice, it was alleged, was followed by the Bank in respect of the accounting machines when installed at its Fort branch and at its Masjid Bunder branch. This practice, according to the Union, was followed by the Bank in case of the subordinate workmen throughout its establishments all over the country. However, this practice was contravened when the Bank appointed two of the juniormost workmen to operate the accounting machines installed at the Kalbadevi branch in March, 1979. The Union, therefore, submitted that the action of the Bank in bypassing the claims of the seniormost workmen of the Bank to be placed to operate the machines installed at Kalbadevi branch in March, 1979, or thereabout is not justified and is an unfair labour practice giving rise to heartburning, discrimination and favouritism, etc. The Union submitted that this Tribunal be pleased to hold accordingly. The Union, therefore, prayed that the workmen who are entitled to the relief should immediately be posted to operate on the two machines on which junior workmen are presently placed and secondly the seniormost workmen concerned should be compensated by a suitable payment against loss caused to them. since March, 1979.

5. The Bank by its written statement dated 31-12-1981 and 21-5-1982 pleaded as follows. None of the settlements or awards laid down anywhere as to how, when the machines are introduced for the first time, persons who are asked to operate such machines are to be appointed. There is no practice followed by the Bank as alleged in the statement of claim. The Bank is not aware that there is such a practice followed by other Banks. So far as the machines installed in the Kalbadevi branch the Bank pleaded as follows. The assignment of work being a management function, the Bank assigned the work of operating calculating machines at the said branch to two of its workmen thinking that they would be able to operate the machines After assignment of such work the said workmen were paid special allowance for operating the said machines as was prescribed in different Bank Tribunals awards and Bipartite Settlements between the Bank and the workmen. The assignment of work in this case does not amount to promotion. The Bank denied that appointing the general workmen to work on the machines constituted an unfair labour practices. The Bank denied that there was any agreement or settlement with the Union on this subject matter at any time. The Bank alleged that on its own the Bank issued the circular dated 21-1-1981 and thereafter the work on the accounting machines introduced at Kalbadevi branch was given to seniormost workman. According to the Bank, they having given the said work to two seniormost workmen the dispute contained in this reference did not survive. The Bank denied the claim of the Union that the seniormost workmen who were not given the job of operating the machines were entitled to be compensated for their non-placement in the posts. The Bank denied that there was any practice of giving work only to a seniormost workman as alleged by the Union. The Bank, therefore, pleaded that none of the workmen are entitled to any of the reliefs claimed by the Union.

6. The question that arises for my consideration in this reference is whether the action of the management of the Bank in over-looking the seniority of a large number of clerks i selecting operators in accounting machines in their Kalbadevi branch is justified. These two machines were installed in Kalbadevi branch in March, 1979. It is the claim of the Union that the workmen who were appointed to work on these two machines were not the seniormost. The Junior workmen were apointed to operate the machines and they were paid substantial special allowance in the sum of Rs. 134. On behalf of the Union, Mr. S. S. Bali, who is the President of the Union has been examined. He is the only person to be examined for the Union. No any oral evidence has been adduced on behalf of the Bank. Both the sides have relied upon certain documents. It is the claim of the Union that it is a practice in this Bank as well as in the entire Banking industry to post the seniormost clerk on a job which attracted higher quantum of special allowance. It is also the claim of the Union that many years till the beginning of the year 1979, it was the practice followed by this Bank that whenever any Bank employee at any of its branch offices was to be entitled to any special allowance, seniormost of the employees at the branch was posted to do the job which entitled him to be paid a special allowance for the job. Mr. Sanghvi, the learned counsel for the Bank, strenuously submitted that this alleged practice in the entire Banking industry or in this Bank has not been established by the evidence adduced by the Union. According to Mr. Sanghvi, a party alleging a custom or practice must prove that allegation by cogent evidence that such a custom or practice existed for a very long time without any break. Referring to the various awards like Sastry and Desai Awards and also various Bipartite Settlements, Mr. Sanghvi submitted that all that these awards and settlements provided was that a workmen entrusted with a special job or responsibility involving more experience or knowledge should be provided with a special allowance. According to Mr. Sanghvi these awards and bipartites settlements do not provide that the seniormost workman should be appointed to the posts carrying special allowance.

7. Now, coming to the documentary and oral evidence adduced by the Union, it may be conceded that such a long standing practice or custom of appointing a seniormost workman to a post carrying a special allowance has not been established. Mr. Sanghvi pointed out that Mr. S. S. Bali (UW -1 joined the employer-Bank in 1971. He first worked at Amritsar branch and then at Kairon branch, then at Jammu branch and then he was transferred to Bombay where he worked in Koliwada branch before he was transferred to Kalbadevi branch. Mr. Bali admitted that before 1971 he was not working anywhere. Mr. Sanghvi, therefore, submitted that the knowledge of the witness about the alleged practice or custom extends to only this Bank and that too from 1971. Mr. Bali was asked a question in his cross-examination whether he had personal knowledge about the working of other Banks. His reply was :—

> "As I am an office bearer of the Union of this Bank I have the occasion of meeting with the employees of the other Banks. And I came to know from them about the working of those Banks."

Mr. Bali has not given any instances of the appointments of seniormost workmen in other Banks to the posts carrying special allowance. The Union has also not examined any other person from any other Bank. It can, therefore, be said that the Union has not proved what the practice or custom exists in this behalf in other Banks. Now so far as the appointments in the employer-Bank is concerned it must be said that the knowledge of Mr. Bali extends to the period after 1971. It cannot, therefore be said that he h- esta-

blished a long standing practice or custom as alleged so far as this Bank is concerned. However the matter does not rest there. There is enough material on record to show that this Bank follows the healthy practice of granting special allowance to the seniormost workmen The Union has produced a letter dated 20-12-1979 (exhibit U-4). The Sub-Manager of the Bank has addressed that letter to the Sub Manager of Bhavnagar branch. It appears, that the Sub Manager's office wanted to sanction the Daftari allowance to one peor, Rajinder Singh. A proposal was made accordingly. The reply to this proposal by Dy. General Manager's office was as follows :—

"In this context, we are to inform you that the Daftari Allowance cannot be sanctioned to the abovenamed, as it is sanctioned to the Seniormost peons working at a branch, so you are advised to stop taking the duties of the daftari from the abovenamed."

8. The Union has then produced a letter dated 9-7-1980 (exhibit U-3). It is a letter written by the Union to the Asstt. General Manager of the Bank. It apears from the letter that there were discussions between the Union and the Bank in regard to various issues and problems of the workmen. The Union wanted to put down in this letter the understanding emerged in respect of certain issues, by way of confirmation. One of the statements made in this letter is in respect of special allowance. The Union wanted to allege that as a result of the understanding arrived at between the parties, city seniority was to be the sole criterian for grant of any type of special allowance to a workman. The Union relied upon this letter to show that the principle of seniority was recognised in the discussion held between the parties. Both the Bank and the Union have produced a circular dated 21-1-1981 issued by the Bank to all its branches. It is in respect of criteria for grant of special allowance admissible to tellers/accounting machine operators. That circular (exhibit E-1—exhibit U-2)provides that special allowance to tellers/accounting machine operators will be on the basis of city seniority.

9. In his oral evidence, Mr. Bali (UW-1) has stated that whenever machines were introduced at Kalbadevi branch of the Bank except the two cases which are the subject matter of this reference the Bank appointed seniormost workmen to operate on these machines. It would appear from the evidence of Mr. Bali that in May, 1980, a seriormost workman was appointed to operate the machine installed in Opera House branch. In 1979 a seniormost workman was appointed to operate the machine installed at Masjid Bunder branch. His evidence further shows that in January, 1979 that is two months before two machines were installed at Kalbadevi branch, a machine was installed at the Fort branch and a seniormost workman was appointed to work on the machine. It appears that after two junior workmen were posted to operate on the two machines installed at Kalbadevi branch in March, 1979, there was an exchange of letters between the Bank and the Union. So when the third machine was installed in that branch in June 1980 the seniormost workman viz., Mr. S. S. Bali himself was appointed to do the work on that machine.

10. Now, there is no dispute that the two persons appointed to work on the two machines installed in Kalbadevi branch in March, 1979, were not the seniormost workmen It is also not disputed on behalf of the Bank that whenever machines were installed in the other branches viz., the branches at Opera House, Masjid Bunder and Fort, seniormost workmen in that branches were employed. It is important to note that these appointments were made before the Bank issued its circular dated 21-1-1981 (exhibit E-1) laying down that special allowance to machine operators will be on the basis of city seniority. It is true that in this circular seniority was to be reckoned on the basis of city seniority and not on the basis of seniority in the branch. This principle of seniority was recognised in the said circular. But, all the above appointments in the various branches appointing seniormost workmen were made before this circular was issued. This principle of seniority was however not followed when the two machnes were introduced at Kalbadevi branch in 1980 Even though the Union has not adduced evidence to establish the custom or practice of appointing seniormost workmen to the post carrying special ollowance in other Banks or even in this Bank, one thing is clear that this Bank recognised the principle of appointing seniormost workmen to work on the machines except in the case of two machine installed at Kalbadevi branch. It is true that in the awards or bi-partite settlements there is no provision expressly directing that the appointments to the posts carrying special alloawnce should be made by appointing seniormost workmen to those posts. However, it would clearly be unjust and unfair not to appoint the seniormost workmen to the posts carrying substantial special allowance It is not the case of the Bank that the two junior workmen appointed to work on the machines at Kalbadevi branch were more suitable in some respects than the seniormost available workmen. Even though, therefore, the Union has not adduced evidence to prove long standing custom or practice and even though there is no express provision in the awards or bi-partite settlements enjoining that a seniormost workman should be appointed to a job carrying special allowance, the action of the Bank in appointing junior workmen to the jobs carrying special allowance can be said to be clearly unjust and unfair. I would, therefore, hold that the action of the management of the Bank in over-looking the seniority of a large number of clerks while selecting operators in accounting machines installed in their Kalbadevi branch is not justified.

11. The next question is as to the relief the senior clerks who were not selected are entitled to. Now, I am not called upon to decide in this reference who are the two seniormost clerks who should have been posted to operate the accounting machines installed in Kalbadevi branch. Mr. Bali has given the names of the seniormost clerks in Kalbadevi branch. He stated that he was the seniormost workman to be first appointed to work on one of the two machines. S. S. Kaluti was the next seniormost workman and T. S. Shug was the third seniormost workman. In the absence of all clerks to contest that statement before me, if they so desired, I do not think it will be proper on my part to name the seniormost clerks for being appointed to work on the two machines. I would, therefore, say that the management should immediately appoint the two seniormost workmen as operators to operate the two machines installed at Kalbadevi branch, on the publication of this award. The second relief which is claimed by the Union is that since March, 1979, the seniormost workmen concerned who were not appointed to operate the machines should be compensated by a suitable payment against the loss caused to them (see para 27 of the statement of claim). I am not inclined to grant this relief. I have pointed out in the foregoing discussions that the Union has not established any practice or custom in the Banking industry or in this Bank enjoining upon the management to appoint the seniormost workmen. No any agreement or settlement or award has been placed before me showing that seniormost workmen were entitled as of right, to be appointed as operators on the accounting machines. I have however, held that the Bank should have as a matter of justice and fair-play to its workmen employed the two seniormost workmen, in preference to the junior workmen employed to operate on the machines. I would, therefore, refuse the relief of compensation to the two seniormost workmen from March 1979, as claimed by the Union.

12. In the result, I answer this reference by holding that the management of the Bank in relation to their Kalbadevi branch should immediately arrange to place the seniormost workmen on the two accounting machines on which junior workmen are presently placed. The seniormost workmen to be apopinted on these machines will not be entitled to any compensation for the past period. When appointed they will be entitled to the special allowance from the date of their appointment. No order as to costs.

13. My award accordingly.

[No. L-12011(28)81-D.II(A)]
N. D. KAMBLI, Presiding Officer

S.O. 675.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the Allahabad Bank, Maharashtra, and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st January, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 1 AT BOMBAY

PRESENT

Justice M. D. Kambli Esqr.,

Presiding Officer

Reference No. CGIT-5 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to Allahabad Bank.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the employer.—Mr. N. M. Soonawalla, Officer

For Eastern Maharashtra Bank Employees' Association.—No appearance.

INDUSTRY : Banking

STATE : Maharashtra

Bombay, the 30th November, 1982

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by order No. L-12011(81)/79-D. II. A. dated 24th March, 1981, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the employers in relation to the management of Allahabad Bank and their workman in respect of the matters specified in the schedule mentioned below :—

SCHEDULE

"Whether the management of Allahabad Bank is justified in denying continuation in job to S/Shri C. L. Indurkar and S. B. Singh Rathod, Cash Clerks against permanent vacancies particularly when they were selected by the management of Bank in accordance with their usual procedure ? If not, what relief they are entitled to ?"

2. The workman, C. L. Indurkar, was appointed on 1-2-1973 and he continued to work till 23-6-1979. During this period he worked for a short duration from time to time. Similarly, the workman, S. B. Singh Rathod, was appointed on 26-7-1974 and continued to work till 3-2-1979. He also worked in various branch offices of the Bank from time to time for short duration under the instructions given by the concerned authorities. It is alleged in the statement of claim filed by these workmen that the employees of the Bank are required to pass the prescribed test and the persons who are successful in such test are empanelled for future appointment. These two workmen were allowed by the Bank to appear for the prescribed test and were declared successful. It was, therefore, incumbent upon the Bank to appoint these workmen before it considered the appointment of other persons. It is further stated in the statement of claim that after passing the prescribed test held in November, 1974, the said workmen were interviewed by the competent selection committee, and were declared as eligible for future appointment. The names of these workmen appeared in 'B' list contained the names of the approved candidates who were departmental candidates, selected on compliance of all formalities. It is complained in the statement of claim that the Bank did not appoint these two workmen in the available vacancies. It is stated that the Bank has appointed new persons ignoring the claim of these two workmen. It was alleged that the Bank did not comply with the provisions of the Bi-partite Settlement. It is stated that these two workmen were entitled to appointment in the services of the Bank from the date of their selection in 1975. They, therefore, prayed that this Tribunal be pleased to pass an award in their favour with a direction to the Bank to appoint them in the services of the Bank from the date of their empanelment, with all benefits regarding wages and continuity of service, etc.

3. The Bank by its written statement dated 18-6-1981 pleaded as follows. The reference is not maintainable; that the dispute involved in the reference is not an industrial dispute under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act. The reference is bad by estoppel, acquisance and waiver. The mere fact that the names of the workmen appeared in the panel did not give them a right for employment against permanent vacancies. It was pleaded that permanent vacancies are filled in by appointment of persons from "selection list" only as and when such vacancies arise. It was also pleaded that Regional Banking Service Recruitment Boards came into existence in 1979 and the Central Government usurped the power of the Bank in the matter of recruitment and appointment in the clerical cadre. The panels prepared by the Bank earlier were valid upto 30th June, 1979. It was stated that upto that date no suitable or appropriate vacancies arose so that these two workmen could be appointed in permanent vacancies. It was pleaded that in view of the Government orders, the question of continuation in employment of these two workmen beyond 30th June, 1979, did not arise. The Bank, therefore, prayed that the workmen were not entitled to the relief claimed.

4. The reference was fixed for hearing on many dates. The representative of the Association or the workmen were found to be absent on many such dates. Now, on 6-11-1982, Eastern Maharashtra Bank Employees' Association, which is a party to this reference informed .—

"The Management of Allahabad Bank and the All India Allahabad Bank Employees' Coordination Committee entered into an agreement under Section 18 of the I.D. Act read with Rule 58 of I.D. (Central) Rules on 13-5-1982 regarding absorption in permanent Employment of employees who have worked in subordinate or non-subordinate cadre in temporary service for considerable long period. Management of Allahabad Bank agreed to absorb both Indurkar and Rathod to absorb in the services and accordingly they have received communication from the Management."

It was stated in this letter that in view of the above agreement the Association was withdrawing from the case with a request to close further proceedings.

5. This letter was received by post. A notice was, therefore, issued to the parties on 19-11-1982 informing them to remain present before the Tribunal. None was, however, present on behalf of the Association. A letter dt. 17-11-1982 was received from the Regional Manager of the Bank on 20-11-1982 which, inter alia, states that in terms of the memorandum of settlement dated 13-5-1982 signed between the Bank and the representatives of All India Allahabad Bank Employees' Co-ordination Committee the workmen were to be absorbed in the Bank's service on fulfilment of certain conditions. In this letter a reference was made to the letter dated 6-11-1982 addressed by the Association to this Tribunal informing the Tribunal that the Association wanted to withdraw from the case. In reply to the said notice of this Tribunal dated 19-11-1982 the representative of the Bank, by name, Mr. N. M. Soonawalla remained present before this Tribunal on 30-11-1982. He has filed an affidavit in which he has stated that the contents of the Bank's letter dated 17-11-1982 were true. As pointed out above the said letter referred to the settlement between the Bank and the representatives of All India Allahabad Bank Employees' Co-ordination Committee. On the basis of these materials, it can be safely said that the parties have arrived at a settlement and the Association does not want to prosecute the claim made for certain reliefs on behalf of the workmen, as the demand in this reference appears to have been satisfied. The reference is, therfore, disposed of as not pressed.

6. My award accordingly. No order as to costs.

M. D. KAMBLI, Presiding Officer.

]No. L-12011(81)/79-DII(A)[

N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1983

का०आ० 676.—उत्प्रवास अधिनियम 1922 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एस० के० बिसवास,

अनुभाग अधिकारी, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) को 30 दिसम्बर, 1982 के पूर्वाह्न से उत्प्रवासी संरक्षी कलकत्ता के रूप में नियुक्त करती है।

[डी०जी०एल डब्ल्यू–11017/1/81-ई०एम०आई०जी०]
शशि भूषण, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 11th January, 1983

S.O. 676.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Emigration Act, 1922 (7 of 1922), the Central Government hereby appoints Shri S. K. Biswas, Section Officer, Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) to be the Protector of Emigrants, Calcutta with effect from the forenoon of 30th December, 1982.

]No. DGLW-11017/1/81/EMIG[
SHASHI BHUSHAN, Under Secy.

New Delhi, the 7th January, 1983

S.O. 677.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kessurgarh Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, in Area No. 1, Post Office Nawagarh, District Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th January, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT.

Shri J. P. Singh, Presiding Officer.

Reference No. 54 of 1982

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kessurgarh Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, in Area No. 1, Post Office Nawagarh, District Dhanbad and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri J. D. Lall Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 28th December, 1982

AWARD

This is a reference under S. 10 of the I.D. Act, 1947. The Central Government by its order No. L-20012(56)/82-D. III(A) dated 29th May, 1982 has referred this dispute to this Tribunal for adjudication on the following terms :

SCHEDULE

"Whether the demand of the workmen of Kessurgarh Colliery in Area No. 1 of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Nawagarh District Dhanbad for continuance in service of Shri Moti Chamar, Mining Sirdar beyond 12-7-1981 is justified? If so, to what relief is the workmen concerned entitled?"

The concerned workman Shri Moti Chamar has been stopped from work w.e.f. 12-7-81 on the ground that he has superannuated on attaining the age of 60 years. The concerned workman obtained Mining Sirdar's certificate on 12-1-1967 and thereafter he was working in Kessurgarh Colliery as Mining Sirdar. In the Sirdarship certificate the date of birth of the concerned workman is shown to be 31st December, 1932. According to the date of birth mentioned in that certificate he would be 60 years of age in 1992 but he got a letter from the management dated 27-7-1978 intimating him that he would superannuate from service w.e.f. 28th January, 1979 on attaining the age of 60 years. The concerned workman represented against the proposed superannuation producing Sirdarship certificate granted to him under Coal Mines Regulation, 1957 showing his date of birth as 31st December, 1932. The management thereafter was pleased to allow him to continue in service even after the proposed date of superannuation i.e. 21-9-79. But again the management stopped him from work w.e.f. 13-7-1981 on the same ground that he had attained the age of superannuation on 28-1-79. This time the concerned workman and his Union made representation but without any effect. An Industrial dispute was raised resulting into this reference.

The management contended that the date of birth of the concerned workman as recorded in Form B register was 28-1-1919 and so he was served with the notice of superannuation on 27-7-78 intimating that he would be superannuated with effect from 28-1-1979. There was shortage of Overman and Mining Sirdars and therefore the management in suitable cases granted extension of superannuated staff. The concerned workman was willing to served in Mining Industry as Mining Sirdar for a few more years and requested the management to grant him extension. The management considered his request and granted extension of service upto 12-7-1981 and thereafter, finally stopped him from work. According to the management the workman had demanded ascertainment of his age by a Medical Board which could not be accepted.

In this case the management examined MW-1 Shri S. P. Singh, Dy. Personnel Manager of Barora Area No. I. On behalf of the workmen Shri Moti Chamar (WW-1) was examined. There is no other oral evidence. The workman files certain documents. Exts. W-1 is the representation of Moti Chamar dated 12-7-81. Ext. W-2 is a Mining Sirdar's certificate under the Coal Mines Regulation, 1957. There is a photograph pasted on the certificate and this photograph is of the concerned workman, Moti Chamar. This certificate is dated 12-1-1967. This certificate shows that the date of birth of Moti Chamar is 31st December, 1932. Ext. W-3 is a slip issued to Shri Moti Chamar signed by the Superintendent, Kessurgarh Colliery bearing the date 1-2-79. Through this slip Moti Chamar, Mining Sirdar was allowed to resume the duty from second shift on 1-2-79. Ext. W-4 is the letter dated 22-10-81 addressed to Shri Moti Chamar under which a prayer of the concerned workman to get him medically examined for ascertainment of age was rejected.

On behalf of the management a letter dated 27-7-78 has been proved and marked Ext. M. 1. Under this letter notice was served on Moti Chamar to superannuate him w.e.f 28-1-1979 as he would attain the age of 60 years on 27-11-1979. Ext. M-2 is the letter of Moti Chamar addressed to the Manager, Kessurgarh Colliery in which he claimed that his date of birth dated 31-12-1932 as mentioned in Sirdarship certificate is correct. Ext. M-3 is the letter dated 1st February, 1979 signed by the Superintendent Kessurgarh Colliery addressed to the General Manager, Barora Area No. 1. It has been mentioned that as per Form B Register and I.D. Card maintained at Colliery Shri Moti Chamar attained the age of 60 years on 30-1-79. His Sirdarship certificate dated 12-1-67 shows his date of birth as on 31-12-1932. The certificate was valid upto 29-1-82. The Superintendent felt that from his physical appearances he was fit to carry on his duty. It was also mentioned that due to acute shortage of Mining Sirdars in the Colliery he was allowing him to resume his duties as Mining Sirdar w.e.f. 1-2-79. The advice of the General Manager was requested by the Superintendent in the matter mentioned in his letter. Th letter also mentioned that he advised Shri Moti Chamar to obtain his date of birth as per C.M.P.F. record because his date of birth is not available in C.M.PF. Record maintained in the colliery.

The above is all the evidences adduced in his case. The main problem is to ascertain the correct date of birth Ext. M-3 will show that Form B Register and I.D. Card Register showed the date of birth and on that basis he was asked to superannuate w.e.f. 31-1-79. In this case Form B Register has not been filed nor I.D. Card Register had been filed. The explanation has been given by MW-1 Shri S. P. Singh,

His evidence is that the Original Form B Register was deposited with the Director General of Mines Safety in connection with a court of enquiry relating to Mining disaster of Kessurgarh Colliery. He has further said that the same is not traceable now inspite of search and so it has not been filed. He has said nothing about C.M.P.F. Register or I.D. Card Register. In his cross-examination he has admitted that there are papers to show that Form B Register has been seized by the D.G.M.S. and that letter of seizure has not been produced. I have already mentioned that with regard to C.M.P.F. Register the Superintendent of the Colliery in his letter Ext. M-3 has said that the date of birth of the concerned workman was not available in C.M.P.F. record. It is significant to note that neither Form B Register nor I.D. Card Register and C.M.P.F. register has been produced to show that the date of birth mentioned in those documents was 28-1-1919. On the other hand the concerned workman has produced Sirdarship certificate showing the date of birth to be 31-12-1932. In the cross-examination of MW-1 it has been ascertained that before the workman has to sit for Sirdarship examination he has to fill up the form mentioning all particulars including his date of birth. MW-1 had occasion to take some of the workmen to the colliery with the filled up form for the signature of the Colliery Manager which is forwarded to the Mines Officer. It means that in the Certificate Ext. W-2 the age mentioned would be on the basis of the Form duly certified by the Colliery Manager. Necessary conclusion is that the age mentioned in the Form would be the same as available in the colliery records. It has been argued before me on behalf of the workmen that the non-production of Form B Register, and other related registers would go to show that the management has concealed the age of the concerned workman. It is also been contended that Ext. W-2 shows the date of birth of the concerned workman and this should be regarded as satisfactory evidence of age.

In view of above the age mentioned in the Sirdarship certificate (Ext. W-2) that the concerned workman was born on 31-12-1932 is the only document acceptable for assessing the correct age of the concerned workman. On the basis of this document the concerned workman attains of 60 years of age on 31-12-1992. It has been admitted that physically he is capable of performing the duties of Mining Sirdar. So this fact is also in favour of the concerned workman.

Thus considering all evidences in this case I have to hold that the demand of the workmen of Kessurgarh Colliery in Area No 1 of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Nawagarh, District Dhanbad for continuance in service of Shri Moti Chamar, Mining Sirdar beyond 12-7-1981 is justified. He is therefore, entitled to be reinstated with effect from 13-7-1981 with continuity of service and he is also entitled to wages and other emoluments for the idle period.

This is my Award.

J. P. SINGH, Presiding Officer
[No. I.-20012(56)/82-D.III(A)]
A. V. S. SARMA, Desk Officer.

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1983

का०आ० 678.—औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिये नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिन्हें केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. ऐसे आक्षेप्य सुझाव पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

प्रारूप नियम

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) (संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 के विद्यमान नियम 10ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा अर्थात्—

"10ख श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियाँ (1) किसी औद्योगिक विवाद का न्यायनिर्णयन के लिए किसी श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित करते समय केन्द्रीय सरकार उस पक्षकार को जिसने विवाद उठाया है यह निदेश देगी कि वह दावे का एक कथन जिस के साथ सभी सुसंगत दस्तावेज वह तथ्य जिन पर वह विश्वास करता तथा साक्षियों की सूची होगी निर्देश का आदेश प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर श्रम न्यायालय अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष फाइल और ऐसे कथन की एक प्रति प्रत्येक विरोधी पक्षकार को भी जो उस विवाद में अन्तर्वलित है, भेजे।

(2) श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा यह अभिनिश्चय कर लेने के पश्चात् कि उस पक्षकार ने जिसने विवाद उठाया है, दावे के कथन की प्रतियां दूसरे पक्षकारों को भेज दी है, वह निर्देश का आदेश प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर प्रथम सुनवाई की तारीख नियत करेगा जिस तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर विरोधी पक्षकार या पक्षकारों द्वारा अपने लिखित कथन फाइल किए जाएंगे जिनके साथ दस्तावेजें, वह तथ्य जिस पर वे विश्वास करते हैं तथा साक्षियों की सूची होगी और साथ ही उनकी एक प्रति दूसरे पक्षकार को भेजेगा :

परन्तु जहां यथास्थिति श्रम न्यायालय, अधिकरण को या राष्ट्रीय अधिकरण को यह पता चलता है कि निदेश देने के बाद भी उस पक्षकार ने जिसने विवाद उठाए हैं, दावे के कथन की प्रति विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को नहीं भेजी हैं तथा विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को कथन की प्रति भेजने का निदेश दिया जाएगा तथा उक्त प्रयोजन के लिए या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक के लिए श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण उपनियम (1) (2) के अधीन लिखित कथन फाइल करने के लिए समय की परिसीमा को 15 दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

(3) वह पक्षकार, जिसने विवाद उठाया है, यदि वह ऐसा करना चाहे तो समुचित पक्षकार, या पक्षकारों के लिखित कथन (कथनों) के लिए उनके द्वारा लिखित कथनों के फाइल किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकता।

(4) यथास्थिति, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण कथनों, दस्तावेजों साक्षियों की सूची, आदि के प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर साक्ष्य के लिए तारीख नियत करेगा जो सामान्यतया, विवाद को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करने की तारीख से साठ दिन के भीतर होगी।

(5) साक्ष्य न्यायालय में या शपथपत्र पर अभिलिखित किया जाएगा किन्तु शपथपत्र की दशा में विरोधी पक्षकार को ऐसे प्रत्येक अभिसाक्षी को जिसने शपथ-पत्र फाइल किया है प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार होगा। जैसे ही प्रत्येक साक्षी की मौखिक परीक्षा की कार्यवाही अग्रसर होती है वैसे ही श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण जो अभिसाक्ष्य दिया जा रहा था उसके सार का ज्ञापन तैयार करेगा। श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण साक्ष्य को अभिलिखित करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की पहली अनुसूची के आदेश 18 के नियम 3 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(6) साक्ष्य पूरा हो जाने पर तर्कों की सुनवाई तुरन्त की जाएगी या तर्कों/मौखिक सुनवाई के लिए तारीख नियत की जाएगी जो साक्ष्य की समाप्ति से पन्द्रह दिन की अवधि से परे की नहीं होगी।

(7) यथास्थिति, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण सामान्यतया, एक समय में स्थगन एक सप्ताह की अवधि से अधिक अवधि के लिए मंजूर नहीं करेगा किन्तु किसी भी दशा में विवाद पक्षकारों के अनुरोध पर कुल मिलाकर तीन स्थगन से अधिक मंजूर नहीं किए जाएंगे :

परन्तु यथास्थिति श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे किसी ऐसे स्थगन को जिसकी अवधि एक सप्ताह से अधिक की है या विवाद के पक्षकारों में से किसी पक्षकार के अनुरोध पर तीन से अधिक स्थगन मंजूर कर सकेगा ।

(8) यदि कोई पक्षकार किसी प्रक्रम पर उपसंजात होने में व्यतिक्रम करता है या असफल रहता है तो, यथास्थिति, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण उस निर्देश पर एकपक्षीय कार्यवाही करेगा और उस निर्देश/आवेदन-पत्र पर व्यतिक्रमी पक्षकार की अनुपस्थिति में विनिश्चय करेगा ।

(9) श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण अपना अधिनिर्णय, मौखिक सुनवाई/तर्कों की तारीख से एक मास के भीतर या निर्देश के आदेश में उल्लिखित अवधि के भीतर, इनमें से जो पूर्वतर हो, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।"

[सं० एस०-65012(i)/82-डी. 1 (ए)]

ORDER

New Delhi, the 12th January, 1983

S.O. 678.—The following draft of rules further to amend the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken up for consideration after the expiry of 45 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

(1) These rules may be called the Industrial Disputes (Central) (Amendment) Rules, 1983.

(2) In the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, for existing rule 10B, the following rule shall be substituted namely :—

"10B : Proceedings before the Labour Court, Tribunal or National Tribunal

(1) While referring an industrial dispute for adjudication to a Labour Court, Tribunal or National Tribunal, the Central Government shall direct the party raising the dispute to file a statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with the Labour Court, Tribunal or National Tribunal, within fifteen days of the receipt of the order of reference and also forward a copy of such statement to each one of the opposite parties involved in the dispute.

(2) The Labour Court, Tribunal or National Tribunal after ascertaining that copies of statement of claim are furnished to the other side by party raising the dispute shall fix the first hearing on a date not beyond one month from the date of receipt of the order of reference on which day the opposite party or parties shall file their written statement together with documents, list of reliance and witnesses within a period of 15 days and simultaneously forward a copy thereof to the other party.

Provided that where the Labour Court, Tribunal or National Tribunal as the case may be finds that the party raising the dispute though directed did not forward the copy of the statement of claim to the opposite party or parties, the direction to furnish the copy of the statement to the opposite party or parties shall be given and for the said purpose or for any other sufficient cause, the Labour Court, Tribunal or National Tribunal may extend the time limit for filing of the statement either under sub-rule (1) or written statement under sub-rule (2) by additional period of 15 days. The party raising a dispute may submit a rejoinder, if it chooses to do so, to the written statement(s) by the appropriate party or parties within a period of fifteen days from the filing of written statement by the latter.

(4) The Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, shall fix a date for evidence within one month from the date of receipt of the statements, documents, list of witnesses, etc., which shall be ordinarily within sixty days of the date on which the dispute was referred for adjudication.

(5) Evidence shall be recorded either in Court or an affidavit but in the case of affidavit the opposite party shall have the right to cross-examine each of the deponents filing the affidavit. As the oral examination of each witness proceeds, the Labour Court, Tribunal or National Tribunal shall make a memorandum of the substance of what is being deposed. While recording the evidence the Labour Court, Tribunal or National Tribunal shall follow the proceedure laid down in rule 5 of Order XVIII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908.

(6) On completion of evidence either arguments shall be heard immediately or a date shall be fixed for arguments/oral hearing which shall not be beyond a period of fifteen days from the close of evidence.

(7) The Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, shall not ordinarily grant an adjournment for a period exceeding a week at a time but in any case not more than three adjournments in all at the instance of the parties to the dispute.

Provided that the Labour Court, Tribunal or National Tribunal as the case may be may, for reasons to be recorded in writing, grant an adjournment exceeding a week at a time but in any case not more than three adjournments at the instance of any one of the parties to the dispute.

(8) In case any party defaults or fails to put in appearance at any stage the Labour Court, Tribunal or National Tribunal as the case may be, may produced with the reference ex-parte and decide the reference application in the absence of the defaulting party.

(9) The Labour Court, Tribunal or National Tribunal shall submit its award to the Central Government within one month from the date of oral hearing arguments or within the period mentioned in the order of reference whichever is earlier.

[No. S-65012(1)/82-D.I (A)]

का० आ० 679.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2538 दिनांक 28 जून ,1982 द्वारा बैंक नोट प्रेस, देवास में सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 15 जुलाई, 1982 से छः मास की कालावधि के लिए उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ,

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 15 जनवरी, 1983 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं० एस०-11017/11/81-डी०-I (ए)]
एल० के० नारायणन, अवर सचिव

S.O. 679.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 2538 dated the 28th June, 1982 the Bank Note Press, Dewas to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 15th July, 1982;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of sec. 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act for a further period of six months from the 15th January, 1983.

[No. S-11017(11)/81-D. I. (A)]
L. K. NARAYANAN, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1982

का० आ० 680.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद श्री रामरज लाल गुप्ता, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के समक्ष लंबित हैं ;

और श्री रामरज लाल गुप्ता की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रही हैं,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33-ख की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री मेहन्द्र भूषण शर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त श्री रामरज लाल गुप्ता, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण जयपुर के समक्ष लंबित उक्त विवादों से संबंधित कार्यवाहियों को वापस लेती है और उसे श्री मेहन्द्र भूषण शर्मा, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, जयपुर को इस निदेश के साथ अन्तरित करती है कि उक्त अधिकरण उन के संबंध में कार्यवाहियां उस प्रक्रम से अग्रसर होगा जिसपर वे उसे स्थानान्तरित की जाएं तथा विधि के अनुसार उन्हें निपटाया जाएगा।

अनुसूची

क्रम सं०	मामला संख्यांक	अधिसूचना संख्यांक और तारीख	पक्षकारों के नाम
1	2	3	4
1.	सीआईटी-9/72	एल-25011(1)/72 एलआर-IV तारीख 30-9-1972	सीमेन्ट माइन्स कर्मचारी संघ बनाम जयपुर उद्योग लि०, सवाई माधोपुर
2.	सीआईटी-12/72	एल-29011/6/73-एलआर IV तारीख 19-2-1973	सीमेंट माइन्स कर्मचारी संघ बनाम जयपुर उद्योग लि०, सवाई माधोपुर।
3.	सीआईटी-2/80	एल-12012/58/79-डी-II ए, तारीख 27-5-1980	प्रोविंशियल प्रेसीडेंट, राजस्थान बैंक एम्पलाइज यूनियन-ए,-56, जनता कालोनी, जयपुर, बनाम महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, एसएमएस, हाईवे, जयपुर।
4.	सीआईटी-3/80	एल-12011/32/79-डी० II ए, तारीख 1980	जनरल सेक्रेटरी, राजस्थान बैंक एम्प्लाइज यूनियन, प्रोविंशियल आफिसर परवाना भवन, माधोबाग जोधपुर बनाम महाप्रबंधक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, एस एम एस, हाइवे, जयपुर।
5.	सीआईटी–5/80	एल-12012/159/79-डी० II ए, तारीख 7-10-1980	श्री शिव कुमार बिरानी सुपुत्र श्री इंदर मल बिरानी पूर्वियों का मोहल्ला पो० आ० भनाई वाया बरवागल जिला अजमेर बनाम क्षेत्रीय प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय "सी" स्कीम, जयपुर।
6.	सीआईटी-7/80	एल-41011/10/79-डी० II ए, तारीख 9-12-1980	श्रीमती कमला मार्फत श्री एम० पी० शर्मा प्रेजीडेंट पी के मजदूर संघ, कोटा बनाम क्षेत्रीय प्रबन्धक, पीएनबी बी-165 यूनिवर्सिटी मार्ग, जयपुर।
7.	सीआईटी-1/81	एल-29011/39/80-डी० III बी, तारीख 26-12-1980	सिलिका सैंड खान मजदूर यूनियन बूंदी पो०आ० कुमदी राजस्थान बनाम बूंदी सिलिका सैंड सप्लाई कं० पो० आ० कुमद राजस्थान।
8.	सीआईटी-3/81	एल-12012/119/78-डी० II ए, तारीख 17-11-1980	जनरल सेक्रेटरी, राजस्थान बैंक एम्प्लाइज यूनियन, परवाना भवन, माधोबाग जोधपुर बनाम महाप्रबन्धक, बैंक आफ राजस्थान लि०, सी-49, भगवानदास रोड, जयपुर।

1	2	3	4
9.	सीआईटी-5/81	एल-12012/207/79 डी.IIए, तारीख 23-?-1981	जनरल सेक्रेटरी, आल इंडिया पीएनबी एम्प्लाइज एसोसिएशन, 898— नई सड़क, चान्दनी चौक, दिल्ली बनाम क्षेत्रीय प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक 105, यूनिवर्सिटी मार्ग, बापूनगर, जयपुर।
10.	सी आई टी-8/81	एल-40012(7)79-II-बी तारीख 21-5-1981	श्री मांगीलाल सुपुत्र श्री बलराम गांव बलेठी पोस्ट गिरधरपुरा जिला कोटा बनाम उप-मंडल अधिकारी टेलीफोन, कोटा उप मंडल, कोटा राजस्थान।
11.	सीआईटी-10/81	एल-29012/11/81-डी०III-बी तारीख 30-6-1981	खान मजदूर कांग्रेस भीलवाड़ा बनाम मैसर्स बी०ए०र० सेठ मूलचन्द नेमीचन्द (पी) लिमिटेड, पोस्ट मंडल, भीलवाड़ा।
12.	सीआईटी-11/81	एल-29011/10/78-डी०III बी, तारीख 11-8 1981	राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल कर्मचारी संघ उदयपुर बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक और प्रशासनिक अधीक्षक राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल लि०, जिप्सम डिविजन, सादुल कलाब बिल्डिंग, बी
13.	सीआईटी-12/81	एल-29012/10/81-डी०III बी, तारीख 18-8-1981	खान मजदूर यूनियन बियावर बनाम मैसर्स सत्य नारायण माथुर माईन्स ओनर, बियावर (बजरंग माइन्स)
14.	सीआईटी-13/81	एल 29012/12/80-डी०III (बी) तारीख 18-9-1981	राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल कर्मचारी संघ, बीकानेर बनाम राजस्थान स्टेट माईन्स एंड मिनरल लि० उदयपुर।
15.	सीआईटी-15/81	एल-41012(5)/78-डी०II (बी) तारीख 9-11-1981	पश्चिमी रेलवे कर्मचारी परिषद कोटा बनाम वैस्टर्न रेलवे, कोटा।
16.	सीआईटी-17/81	एल-42012(35)/81-डी० II-बी तारीख 15-12-1981	श्री गंगा शंकर व्यास बनाम दूरदर्शन सैंटर, जयपुर
17.	सीआईटी-1/82	एल-12012/257/80-डी०II(ए) तारीख 19-12-1981	राजस्थान बैंक एम्प्लाइज यूनियन, अजमेर बनाम यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, जयपुर
18.	सीआईटी-2/82	एल-12012/220/80-डी०II(ए) तारीख 19-12-1981	—यथोक्त—
19.	सीआईटी-3/82	एल-12012/47/81-डी०II(ए) तारीख 5-1-1980	राजस्थान बैंक एम्पलाइज यूनियन बनाम सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, कोटा।
20.	सीआईटी-4/82	एल-12012/270/80-डी० II (ए)	राजस्थान बैंक एम्पलाइज यूनियन, जोधपुर बनाम स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, एम० आई० रोड, जयपुर।
21.	सीआईटी-5/82	एल-29012/22/80-डी० III (बी) तारीख 16-1-1982	राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल लि० कर्मचारी संघ, बीकानेर बनाम राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल लि०, बीकानेर।
22.	सीआईटी-6/82	एल-29011/20/डी० III बी, तारीख 5-2-1982	राष्ट्रीय मजदूर संघ रामगंज मंडी बनाम श्री नूरी मुहम्मद लाइमस्टोन माइन्स ओनर, कोटा।
23.	सीआईटी-8/82	एल-41011(7)/79-डी II बी तारीख 29-1-1982	पश्चिमी रेलवे कर्मचारी परिषद कोटा बनाम वैस्टर्न रेलवे, बम्बई तथा अन्य।
24.	सीआईटी-9/82	एल-29011/45/81-डी०III बी तारीख 23-2-1982	जयपुर उद्योग कर्मचारी यूनियन, फालोदी सवाई माधोपुर बनाम मैनेजमेंट आफ जयपुर उद्योग लि० सवाई माधोपुर।
25.	सीआईटी-10/82	एल-29011/25/81-डी०-III बी, तारीख 26-2-1982	राष्ट्रीय मजदूर संघ, रामगंज मंडी कोटा बनाम श्री मोहम्मद इरफान लाइमस्टोन माइन्स ओनर, सुकेत, कोटा।
26.	सीआईटी-11/82	एल-29011/23/81 डी III बी, तारीख 26-2-1982	राष्ट्रीय मजदूर संघ, रामगंज मंडी कोटा बनाम ईस्ट सुकेत सहकारी ठेका माइन्स उद्योग समिति लि० कोटा।

1	2	3	4
27.	सीआईटी-12/82	एल-29011/81-डी० III-बी तारीख 26-2-1982	राष्ट्रीय मजदूर संघ, राम गंज मंडी कोटा बनाम मैसर्स अजहर अहमद साइरस्टान माइन्स ओनर सुकेत जिला (कोटा)
28.	सीआईटी-13/82	एल-43012/4/81-डी०III-बी तारीख 26-2-1982	खेतरी कापर मजदूर संघ, खेतरी नगर बनाम मैनेजमेंट खेतरी कापर कम्पलेक्स हिन्दुस्तान कापर लि०, खेतरी नगर।
29.	सीआईटी 14/82	एल-29011/22/81-डी०III बी, तारीख 26 2-1982	राष्ट्रीय मजदूर संघ रामगंज मंडी जिला कोटा बनाम मनेजमेंट वेस्ट सुकेत को-आप-रेटिव लेबर कन्ट्रैक्टर लि० सुकेत जिला-कोटा)।
30.	सीआईटी-16/82	एल-41011/11, 81-डी० II-बी, तारीख 26-3-1982	पश्चिमी रेलवे कर्मचारी परिषद अजमेर, बनाम मैनेजमेंट वैस्टर्न रेलवे, अजमेर।
31.	सीआईटी-17/82	एल-12012/244/81-डी० II-ए, तारीख 29-3-1982	श्री अशोक कुमार आर्य बनाम मैनेजमेंट हिन्दु-स्तान कमर्शियल बैंक लि० जयपुर।
32.	सीआईटी-18/82	एल-12012/255/80-डी० II-ए, तारीख 23-1-1982	राजस्थान बैंक इम्पलाइज यूनियन जयपुर, बनाम मैनेजमेंट स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, जयपुर।
33	सीआईटी-19/82	एल-12012/168/81-डी० II (ए) तारीख 20-4-1982	श्री एस० एन० पुरोहित बनाम मैनेजमेंट स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, जयपुर।
34.	सीआईटी-20/82	एल-29011/7/82-डी० III (बी)	भारतीय खान मजदूर संघ उदयपुर बनाम मैनेजमेंट खेतान बिजनेस को-आपरेटिव (पी) लि०, उदयपुर।
35.	सीआईटी-21/82	एल-12012/268/81-डी० II (ए) तारीख 10-6-1982	आल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एम्पलाईज एसोसिएशन दिल्ली बनाम मैनेजमेंट पंजाब नेशनल बैंक, जोधपुर।
36.	सीआईटी-22/82	एल-12013/125/81-डी० II (ए) तारीख जुलाई, 1982	राजस्थान बैंक एम्पलाईज यूनियन जयपुर बनाम मैनेजमेंट पंजाब नेशनल बैंक, यूनिवर्सिटी मार्ग, जयपुर।
37.	सीआईटी-23/82	एल-41011(4)/81-डी-II-बी तारीख 8-7-1982	सेक्रेटरी पश्चिमी रेलवे कर्मचारी परिषद-8-सोनी धर्मशाला अजमेर बनाम जी० एम० वैस्टर्न रेलवे, चर्चगेट, बम्बई।
38.	सीआईटी-24/82	एल-42012(61)/80-डी० II(बी) तारीख 18-7-1982	सैक्रेटरी, राजस्थान अणु शक्ति कर्मचारी यूनियन रावतभाटा वाया कोटा बनाम कन्सट्रक्शन मैनेजर, हैवी वाटर प्रोजेक्ट, अणुशक्ति वाया कोटा।
39.	सीआईटी-25/82	एल-12011/10/80-डी० II-ए तारीख 30-7-1982	जनरल सैक्रेटरी न्यू बैंक आफ इंडिया एम्पलाईज यूनियन (राज०) रजि-स्टर्ड मार्फत न्यू बैंक आफ इंडिया, एम आई रोड, जयपुर बनाम जनरल मैनेजर, न्यू बैंक आफ इंडिया लि०, केन्द्रीय कार्यालय, टालसटाय मार्ग, नई दिल्ली।
40	सीआईटी-26/82	एल-12012/273/80-डी०-II ए तारीख 30-7-1982	असिस्टैंट जनरल सेक्रटरी, राज० बैंक एम्पलाईज यूनियन मार्फत मनोहर जनरल स्टोर, पास कोतवाली, भरत-पुर राज० बनाम महा-प्रबंधक, बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, जयपुर।
41.	सीआईटी-27/82	एल-12012/144/79-डी०II-ए तारीख 30-7-1982	जनरल सैक्रेटरी, आल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एम्पलाईज एसो-सिएशन, 898, नई सड़क, चान्दनी चौक दिल्ली बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, बी-105, यूनिवर्सिटी मार्ग, बापू नगर, जयपुर।
42.	सीआईटी-28/82	एल-12012/209/84-डी-II(ए)	जनरल सैक्रेटरी, राजस्थान, बैंक एम्पलाईज यूनियन, परनामी भवन, माधो बाग, जोधपुर बनाम

1	2	3
		मण्डल प्रबंधक, सैन्ट्रल बैंक श्राफ इंडिया मंडल कार्यालय गणपति चन्द्र रोड, जयपुर।
43 सीआईटी-29/82	एल-43811(7)/81-डी०III(बी) तारीख 1-9-1982	श्री एम० पी० सोनी सुपुत्र श्री गिरधारी लाल सोनी, हैल्पर मैक० रैजीडेंट श्राफ क्वार्टर नं० 4, पोस्ट श्राफिस खेतड़ी नगर, जिला झुनझुन (राजस्थान) बनाम महाप्रबंधक, हिन्दुस्तान कापर लि०, खेतड़ी कापर लि०, खेतरी नगर काम्पलैक्स पोस्ट श्राफिस खेतरी नगर, जिला झुनझुन।
44 सीआईटी-30/82	एल-12012/311/81-डी०II(ए) तारीख 10-8-1982	सैक्रेटरी, राजस्थान बैंक एम्पलाईज यूनियन बान्सवाड़ा (राजस्थान) बनाम महाप्रबंधक स्टेट बैंक श्राफ बीकानेर एण्ड जयपुर, एस एम एस हाईवे, जयपुर।
45	एल-29011/8/82-डी०III(बी) तारीख 8-1-1982	मैसर्स जैन मिनरल माईन्स ओनर्स एण्ड मिनरल्स सप्लायर्स, 86 किशनगढ़ कोठी, जयपुर रोड, अजमेर बनाम जनरल सैक्रेटरी खान मजदूर यूनियन, टी एल ए बिल्डिंग ब्यावर।

[सं० एल-11025(4)/82-डी० IV (बी)]

ORDER

New Delhi, the 12th November, 1982

S.O. 690.—Whereas the industrial disputes specified in the Schedule hereto annexed are pending before Shri Ram Raj Lal Gupta, the Presiding Officer, Industrial Tribunal, Jaipur.

And whereas, the services of Shri Ram Raj Lal Gupta are no longer available;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A read with sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitued an Industrial Tribunal, the Presiding Officer of which shall be Shri Mahendra Bhushan Sharma with headquarters at Jaipur and withdraws the proceedings in relation to the said disputes pending before the said Shri Ram Raj Lal Gupta, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Jaipur and transfers the same to Shri Mahendra Bhushan Sharma, Presiding Officer Industrial Tribunal, Jaipur, with the direction that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

S. No.	Case No.	Notification No. & Date	Name of the Parties
1.	CIT-9/72	L-25011(1)/72 LR. IV dated 30-9-72	Cement Mines Karamchari Sangh Vs. The Jaipur Udyog Ltd. Sawai Madhopur.
2.	CIT-12/72	L-29011/6/73 LR. IV dated 19-2-1973.	Cement Mines Karamchari Sangh Vs. The Jaipur Udyog Ltd. Sawai Madhopur.
3.	CIT-2/80	L-12012/58/79 D IFA dated 27-5-1980	The Provincial President, Rajasthan Bank Employees Union, A-56 Janata Colony, Jaipur Vs. the General Manager, State Bank of Bikaner and Jaipur SMS Highway, Jaipur
4.	CIT-3/80	L-12011/32/79-D.IIA Dated 4-8-1980	The General Secretary, Rajasthan Bank Employees Union, Provincial Officer Parva Bhawan, Madhobagh Jodhpur Vs. General Manager, State Bank of Bikaner and Jaipur, SMS Highway, Jaipur.
5.	CIT-5/80	L-12012/159/79-D-IIA Dated 7-10-1980	Shri Shiv Kumar Virani S/o Shri Indermal Virani, Purwlaon Ka Mohalla P.O. Bhnai via Bardagal Distt. Ajmer Vs. Regional Manager, Bank of Baroda, Regional Office 'C' Scheme Jaipur.
6.	CIT-7/80	L-41011/10/79-D-IIA Dated 9-12-1980	Smt. Kamala C/o Shri M.P. Sharma, President PK Mazdoor Sangh, Kota Vs. Regional Manager, PNB B-165 University Marg, Jaipur.
7.	CIT-1/81	L-29011/39/80-D-IIIB dated 26-12-1980	Silica Sand Khan Mazdoor Union, Bundi P.O. Kumadi Rajasthan Vs. Bundi Silica Sand Supply Co. P.O. Kumad Rajasthan.
8.	CIT-3/81	L-12012/119/78-D-IIA dated 17-11-1980	The General Secretary, Rajasthan Bank Employees Union, Parwana Bhawan Madho Bagh Jodhpur Vs. The

(1)		(2)
		General Manager, Bank of Rajasthan Ltd, C-49 Bhagwan Dass Road Jaipur.
9. CIT-5/81	L-12012/207/79-D IIA dated 23-2-1981	General Secretary, All India PNB Employees Association 898 Nai Sarak Candni Chowk, Delhi Vs. Regional Manager, Punjab National Bank 105 University Marg, Bapunagar, Jaipur.
10. CIT-8/81	L-40012(7)79-IIB dated 21-5-1981	Shri Mangilal S/o Shri Bairam Village Balethi Post Girdharpura Distt Kota Vs. The Sub-Divisional Officer Telephones Kota Sub-Division, Kota Rajasthan.
11. CIT-10/81	L-29012/11/81-D-IIIB dated 30-6-1981	Khan Mazdoor Congress Bhilwara Vs. M/s. B.R. Seth Moolchand Nemichand (P) Limited, Post Mandal, Bhilwara.
12. CIT-11/81	L-29011/10/78. D.IIIB Dated 11-8-1981	Rajasthan State Mines & Mineral Karamchari Sangh Udaipur Vs. The Regional Manager & Agent Superintendent Rajasthan State Mines & Mineral Ltd, Gypsum Division, Sadulkalab Building, Bikaner.
13. CIT-12/81	L-29012/10/81-D.IIIB dated 18-8-1981	Khan Mazdoor Union Beawar Vs. M/s. Satya Narain Mathur Mines Owner, Beawar (Bajrang Mines.)
14. CIT-13/81	L-29012(5)/80-D-III (B) dated 18-9-1981	Raj. State Mines and Minerals Karamchari Sangh, Bikaner Vs. Rajasthan State Mines & Mineral Ltd., Udaipur.
15. CIT-15/81	L-41012(5)/78-D.II(B) dated 9-11-81	Paschami Railway Karamchari Parishad Kota, Vs. Western Railway, Kota.
16. CIT-17/81	L-42012(35)/81-D.IIB dated 15-12-1981	Shri Ganga Shankar Vyas Vs. Doordarshan Centre, Jaipur.
17. CIT-1/82	L-12012/257/80-DII(A) dated 19-12-81	Rajasthan Bank Employees Union Ajmer vs. United Commercial Bank, Jaipur.
18. CIT-2/82	L-12012/220/80-D.IIA Dated 19-12-1981	-do-
19. CIT-3/82	L-12012/47/81-D.IIA dated 6-1-1982	Rajasthan Bank Employees Union vs. Central Bank of India, Kota.
20. CIT-4/82	L-12012/270/80-D.II(A)	Rajasthan Bank Employees Union, Jodhpur vs. State Bank of Bikaner and Jaipur, M.I. Road, Jaipur.
21. CIT-5/82	L-29012/22/80-D.III(B) dated 16-1-1982	Rajasthan State Mines & Mineral Ltd. Karamchari Sangh, Bikaner vs. Rajasthan State Mines & Minerals Ltd. Bikaner.
22. CIT-6/82	L-29011/20/D.III(B) dated 5-2-1982	Rasthriya Mazdoor Sangh Ramganj Mandi Vs. Shri Munshi Ahmad Limestone Mines owner Pepakheri, Kota
23. CIT-8/82	L-41011(7)/79. D.IIB dated 29-1-1982	Paschimi Railway Karamchari Parishad Kota. Vs. Western Railway, Bombay & others.
24. CIT-9/82	L-29011/45/81-D.IIIB dated 23-2-1982	Jaipur Udyog Karamchari Union, Phalodi Sawai Madhopur Vs. Management of Jaipur Udyog Ltd. Sawai Madhopur.
25. CIT-10/82	L-29011/25/81-D-IIIB dated 26-2-1982	Rashtriya Mazdoor Sangh, Ramganj Mand Kota Vs. Sh. Mohammad Irfan Limeston Mines owner, Sukhet, Kota.
26. CIT-11/82	L-29011/23/81-D-IIIB dated 26-2-1982	Rashtriya Mazdoor Sangh, Ramganj Mand Kota, Vs. Last Sukhet Sahkari Theka Mines Udhyog Samiti Ltd. Kota.
27. CIT-12/82	L-29011/81-D-III-B dated 26-2-1982	Rashtriya Mazdoor Sangh, Ramganj Mandi Kota Vs. M/s. Azhoor Ahmad Limestone Mines owners Sukhet Zila (Kota.)
28. CIT-13/82	L-43012/4/81-D.III-B dated 26-2-1982	Khetri Copper Mazdoor Sangh, Khetri Nagar Vs. Management Khetri Copper Complex Hindustan Copper Ltd., Khetri Nagar.

(1)	(2)	(3)	(4)
29.	CIT-14/82	L-29011/22/81-D.III.B dated 26-2-1982	Rashtriya Mazdoor Sangh, Ramganj Mandi Zila Kota Vs. Management West Sukhet Cooperative Labour Contractor Ltd. Sukhet (District Kota).
30.	CIT-16/82	L-41011/11/81-D.II(B) 26-3-1982	Pashchimi Railway Karamchari Parishad Ajmer, vs. Management Western Railway, Ajmer.
31.	CIT-17/82	L-12012/244/81-D.II(A) dated 29-3-1982	Shri Ashok Kumar Arya vs. Management Hindusthan Commercial Bank Ltd., Jaipur.
32.	CIT-18/82	L-12012/255/80-D-II.A dated 23-1-1982	Rajasthan Bank Employees Union Jaipur Vs. Management State Bank of Bikaner & Jaipur, Jaipur.
33.	CIT-19/82	L-12012/168/81-D-II (A) dated 20-4-1982	Shri S. N. Purohit Vs. Management State Bank of Bikaner & Jaipur, Jaipur.
34.	CIT-20/82	L-29011/7/82-D-III(B)	Bhartiya Khan Mazdoor Sangh, Udaipur Vs. Management Khaitan Business Cooperative (P) Ltd. Udaipur.
35.	CIT-21/82	L-12012/268/81-D-II (A) dated 10-6-1982	All India Punjab National Bank Employees Association Delhi Vs. Management Punjab National Bank, Jodhpur.
36.	CIT-22/82	L-12012/125/81-D II(A) dated July 1982	Rajasthan Bank Employees Union Jaipur vs. Management Punjab National Bank, University Marg, Jaipur.
37.	CIT-23/82	L-41011/(4)/81-D-II-B dated 8-7-1982	Secretary Pashchami Railway Karamchari Parishad-8-Soni Dharamshala Ajmer vs. G. M. Western Railway Churchgate, Bombay.
38.	CIT-24/82	L-42012(61)/80-D-II-B dated 18 7-1982.	Secretary, Rajasthan Anushakti Karamchari Union Rawatbhata via Kota vs. Construction Manager Heavy Water Project, Anushakti via Kota.
39.	CIT 25/82	L-12011/10/80-D.II-A dated 30-7-1982	The General Secretary New Bank of India Employees Union (Raj.) Regd., C/o New Bank of India, M.I Road, Jaipur vs. The General Manager, New Bank of India Ltd., Central office Tolstosy Marg, New Delhi.
40.	CIT-26/82	L-12012/273/80-D. II-A dated 30-7-1982	Asstt. General Secretary Raj. Bank Employees Union C/o Manohar Gen. Store, Near Kotwali, Bharatpur Raj. vs. The General Manager's Bank of Bikaner & Jaipur, Jaipur.
41.	CIT-27/82	L-12012/144/79-D. II-A dated 30-7-1982	The General Secretary All India Punjab National Bank Employees Association 898, Nai Sarak Chandni Chowk Delhi. vs. The Regional Manager Punjab National Bank B-165 University Marg, Bapu Nagar, Jaipur.
42.	CIT-28/82	L 12012/269/84-D.II(A)	The General Secretary, Rajasthan Bank Employees Union, Parnami Bhawan Madho Bagh Jodhpur vs. The Divisional Manager, Central Bank of India, Divisional Office Sansar Chandra Road Jaipur.
43.	CIT-29/82	L-43821(7)/84 D. III(B) dated 3-8-1982	Shri M. P. Soni S/o Shri Girdhari Lal Soni, Helper Mech. resident of ward No. 4, Post Office Khetri Nagar, Distt. Jhunjhunu (Raj.) vs. The General Manager Hindustan Copper Ltd. Kohli Copper Ltd., Khetri Copper Complex Post Office Khetri Nagar Distt. Jhunjhunu.
44.	CIT-30/82	L-12012/311/81-D. II(A) dated 10-8-1982.	The Secretary, Rajasthan Bank Employees Union Banswara (Raj) Vs. The General Manager State Bank of Bikaner and Jaipur SMS Highway Jaipur.

1	2	3	4
45.		L-29011/8/82-D. III(B) dated 8-1-982.	M/s Jain Minerals Mines Owners & Minerals suppliers, 86 Kishangarh Kothi Jaipur Road, Ajmer Vs. General Secretary Khan Mazdoor Union, TLU Building Beawar.

[No. L-11025(4)/82-D. IV(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1981

का० आ० 681.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद श्री एम० शनमुखप्पा, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर के समक्ष लंबित पड़े हैं;

और श्री एम० शनमुखप्पा की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रही हैं,

अतः अब केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33-ख की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 7क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री वी० एम० उपाध्याय होंगे और उनका मुख्यालय बंगलौर में होगा तथा उक्त श्री एम० शनमुखप्पा पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर के समक्ष लंबित पड़े उक्त विवादों से सम्बद्ध कार्यवाही को वापस लेती है और उपर्युक्त विवादों को श्री वी० एम० उपाध्याय, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर को इस निदेश के साथ स्थानान्तरित करती है कि उक्त अधिकरण उनमें उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करेगा, जिस पर वह उसे स्थानान्तरित की जाए और विधि के अनुसार उनका निपटान करेगा।

अनुसूची

क्रमांक	आदेश की संख्या और तारीख	पक्षकारों के नाम
1	2	3
1	संख्या एल-29011/40/79-एल आर-4 तारीख 29-9-73 (निर्देश संख्या 4/73 (केन्द्रीय)	मैसर्स तुंगभद्रा मिनरल्स (प्रा०) लि० तारानगर डाकघर सन्दूर बेलरी जिला के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र।
2	संख्या एल-26012/6/73-एल० आर-4(ii) तारीख 14-1-74 निर्देश सं० 2/74 (केन्द्रीय)	मैसर्स डालमिया इंटरनेशनल, हासपेट की बी० आर० एम० आयरन और माइन्स श्री आर० मनीस्वामी के रेजिंग कन्ट्रेक्टर के प्रबंधतंत्र और उनके कर्मकारों के बीच।
3	संख्या एल-25012/6/73-एल० आर-4(1) तारीख 14-1-74 (निर्देश संख्या 2/74 केन्द्रीय)	मैसर्स डालमिया इंटरनेशनल हासपेट की बी० आर० एम० आयरन और माइंस के श्री एम० रमन, रेजिंग कन्ट्रेक्टर के प्रबंधतंत्र और उनके कर्मकारों के बीच।
4	संख्या एल-29012/5/74-एल० आर० 4 तारीख 23-1-74 (निर्देश सं० 4/74 (केन्द्रीय)	मैसर्स डालमिया इंटरनेशनल हासपेट जिला बेलरी के प्रबंधतंत्र और कर्मकार।
5	संख्या एल-26012/8/74-एल० आर० 4 तारीख 21-10-74 (निर्देश सं० 5/74 (के०)	—यथोक्त—
6.	संख्या एल-26011/12/74-एल० आर० 1 तारीख 25-10-74 (निर्देश सं० 6/74 (के०)	—यथोक्त—
7	संख्या एल-26012/4/74-एल० आर० 4 तारीख 15-11-74 (निर्देश सं० 7/74 (केन्द्रीय)	—यथोक्त—
8	संख्या एल-26011/8/74-एल आर० 4 तारीख 21-2-74 (निर्देश सं० 1/75 (केन्द्रीय)	मैसर्स डालमिया इंटरनेशनल हासपेट जिला बेलरी की बी० आर० एम० आयरन और माइन्स के प्रबंधतंत्र और कर्मकार।
9.	संख्या एल-26012/6/74-एल० आर० 4 तारीख 10-1-75 (निर्देश सं० 2/75 (के०).	—यथोक्त—
10	सं० एल-26011/13/74-एल० आर० 4 डी० 3 बी० तारीख 27-2-75 (निर्देश सं० 3/75 (के०)	—यथोक्त—
11	सं० एल-29011/3/74-एल० आर० 1 डी० 3 बी० तारीख 26-2-75 (निर्देश सं० 4/75 (केन्द्रीय)	भारत गोल्ड माइन्स लि० और ग्राम के० जी० एफ के प्रबंधतंत्र और कर्मकार।
12.	संख्या एल-29012/75-74-एल० आर० 4 तारीख 3-3-75 (निर्देश सं० 5/75 (केन्द्रीय)	भारत गोल्ड माइंस लि०, आर ग्राम, के० जी० एफ० का प्रबंधतंत्र और कर्मकार।
13.	सं० एल-26012/9/75-डी० 4बी० तारीख 13-8-75 (निर्देश सं० 8/75 (केन्द्रीय)	डालमिया इंटरनेशनल हासपेट के (प्रबंधतंत्र और कर्मकारों के बीच)।
14	सं० एल-26012/10/75-डी० 4 बी० तारीख 26-8-75 (निर्देश सं० 9/75 (के०)	डालमिया इंटरनेशनल हासपेट प्रबंधतंत्र और कर्मकार।
15.	सं० एल-12012/18/73-आर० एल० 3 तारीख सितम्बर, 1975 (निर्देश सं० 10/75 (के०)	सिंडीकेट बैंक, मणीपाल का प्रबंधतंत्र और कर्मकार।

1	2	3
16.	सं० एल-29011/3/76-डी० III (बी) तारीख 17-3-76 [निर्देश सं० 3/76 (केन्द्रीय)]	मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कं० लि० माइन्स डिवीजन नोआमुण्डी की दोदकल्ला मैंगनीज माइंस का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
17.	सं० एल-12012/85/76-डी० II (ए) तारीख 19-8-76 [निर्देश सं० 6/76 (केन्द्रीय)]	विजय बैंक लि०, बंगलौर के के० जी० एफ० का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
18.	सं० एल-43013/6/76-डी० IV (बी) तारीख 3-9-76 [निर्देश सं० 7/76 (केन्द्रीय)]	भारत गोल्ड माइंस लि०, के० जी० एफ० (प्रबंधतंत्र और कर्मकारों के बीच)
19.	सं० एल-17012/3/76-डी० II (ए) तारीख 7-5-76 [निर्देश सं० 3/77 (के०)]	नेशनल इन्श्योरेंस कं० लि० बंगलौर का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
20.	सं० एल-43017/3/78-डी० III (बी) तारीख 4-7-78 [निर्देश सं० 1/78 के०)]	मैं० भारत गोल्ड माइंस रामगिरि, राम गिरि गोल्ड माइंस प्रोजेक्ट का प्रबंधतंत्र और कर्मकार ।
21.	सं० एल० 12011/6/78-डी० II (ए) तारीख 30-8-78 [निर्देश सं० 5/78-(केन्द्रीय)]	कर्नाटक बैंक लि०, बंगलौर का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
22.	सं० एल-12011/94/78-डी० II ए० तारीख 21/27/9/78 (निर्देश सं० 7/78 (केन्द्रीय)	कारपोरेशन बैंक लि०, मंगलौर के प्रबंधतंत्र और कर्मकार
23.	सं० एल-45012/1/77-डी० IV (ए०) तारीख 24-10-78 [निर्देश सं० 11/78 (केन्द्रीय)]	मंगलौर हारबर प्रोजेक्ट पैनमबूर का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
24.	सं० एल-12012/66/78-डी० IV (ए) ता० 29-11-78 (निर्देश सं० 12/78 (केन्द्रीय)]	बैंक आफ बड़ौदा, बंगलौर का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
25.	सं० एल-26012/1/79-डी० III (बी०) ता० 17-1-80 [निर्देश सं० 1/80 (के०)]	कुद्रेमुख आयरन ओर कं० लि० बंगलौर का प्रबंधतंत्र और कर्मकार ।
26.	सं० एल-26011/53/79 डी० II (ए०) ता० 25-3-80 [निर्देश सं० 2/80 (के०)]	सिंडीकेट बैंक, मणिपाल का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
27.	सं० एल-26011/1/79-डी० III (बी०) ता० 28-1-80 [निर्देश सं० 3/80 (केन्द्रीय)]	हारजण्डन आयरन और एंड रेड आक्साइड माइनस बेलरी, के टिपल बेरीटस, एस्बेस्टोज एंड पेंटस लि० का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
28.	सं० एल-12012/44/80-डी० II (ए०) ता० 18-1-80 [निर्देश सं० 4/80 (के०)]	कर्नाटक बैंक लि०, मंगलौर का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
29.	सं० एल-26011/6/78-डी० II (बी०) ता० 21-11-79/25-3-80 [निर्देश सं० 5/80 (केन्द्रीय) V	हासीनगाई आयरन ओर प्रोजेक्ट एन०एम०डी०सी० दोनीमलाई
30.	सं० एल-12012/201/79-डी० II (ए०) ता० 28-5-80 [निर्देश सं० 6/80 (केन्द्रीय)]	कर्नाटक बैंक लि०, बंगलौर का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
31.	सं० एल 29011/59/79-डी० III (बी०) ता० 24-9-80 [निर्देश सं० 7/80 (के०)]	बगलकोट उद्योग लि०, बगलकोट, बीजापुर का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
32.	सं० एल-12012/143/79-डी० II (ए०) ता० 14-10-80 [निर्देश सं० 9/80 (के०)]	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, बंगलौर का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
33.	सं० एल-12012/103/79-डी० II (ए) 15-11-80 [निर्देश सं० 10/80 (केन्द्रीय)]	स्टेट बैंक आफ मैसूर, बंगलौर का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
34.	सं० एल० 12012/46/80-डी० II (ए) ता० 20-11-80 [निर्देश सं० 11/80 (के०)]	स्टेट बैंक आफ मैसूर, बंगलौर का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
35.	सं० एल-12011/9/80-डी० III (बी०) ता० 29-1-81 [निर्देश सं० 2/81 (केन्द्रीय)]	कारपोरेशन बैंक, कुदरेमुख का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
36.	सं० एल-26012/9/80-डी० III (बी०) ता० 29-1-81 [निर्देश सं० 2/81 (केन्द्रीय)]	कुद्रेमुख आयरन ओर कं० लि०, बंगलौर का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
37.	सं० एल 12012/37/80-डी० II (ए०) ता० 23-2-81 (निर्देश सं० 3/81 (केन्द्रीय)]	स्टेट बैंक आफ मैसूर, बंगलौर का प्रबन्धतन्त्र और कर्मकार
38.	सं० एल-45012/1/80-डी० IV (ए०) ता० 28-2-81 [निर्देश सं० 4/81 (केन्द्रीय)]	न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट पैनम्बूर-मंगलौर का प्रबंधतंत्र और कर्मकार ।
39.	सं० एल 12012/35/80-डी० II (ए०) ता० 20-3-81 [निर्देश सं० 5/81 (केन्द्रीय)]	केनरा बैंक, बंगलौर का प्रबंधतंत्र और कर्मकार ।
40.	सं० एल-12012/74/80-डी० II (ए०) ता० 2-4-81 [निर्देश सं० 6/81 (केन्द्रीय)]	—यथोक्त—
41.	सं० एल० 27011/4/74-एल० आर० IV (बी) ता० 4-3-75/23-4-81 तक रिमांड पर [निर्देश सं० 6/75 (केन्द्रीय)]	सन्डूर मैंगनीज एंड आयरन वर्क्स प्रा० लि०, बेलरी जिला का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
42.	सं० एल-12012/264/80-डी० II (ए०) ता० 31-7-81	केनरा बैंक का प्रबंधतंत्र और कर्मकार

[सं० एल- 11025 (5) 81-डी० IV(बी०)]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 17th October, 1981

S.O. 681:—Whereas the Industrial disputes specified in the Schedule hereto annexed are pending before Shri H. Shanmukhappa the Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bangalore;

And Whereas, the services of Shri H. Shanmukhappa are no longer available;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A read with Sub-section (1) of the section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes as Industrial Tribunal, the Presiding Officer of which shall be Shri V. H. Upadhayya with headquarters at Bangalore and withdraws the proceedings in relation to the said disputes pending before the said Shri H. Shanmukhappa, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bangalore and transfers the same to Shri V. H. Upadhyaya, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bangalore, with the direction that the said Tribunal

shall proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. No.	Number & Date of the Order	Name of the Parties
1	2	3
1.	No. L-29011/40/79-LR.IV dated 29-9-73 [Ref. No. 4/73 (Central)]	Workmen & the Management of M/s. Tungabhadra Minerals (P) Ltd., Taranagar P. O. Sandur Tk. Bellary Distt.
2.	No. L-26012/6/73-LR. IV(ii) dt. 14-1-74 [Ref. No. 1/74 (Central)]	Between the Management of Shri R. Muthiswamy, Raising Contractor of B.R.H. Iron Ore Mines of M/s. Dalmia International, Hospet and their workmen.
3.	No. L-25012/6/73-LR. IV(i) dt. 14-1-74 [Ref. No. 2/74 (Central)]	Between the Management of Shri M. Raman, Raising Contractor of B.R.H. Iron Ore Mines of M/s. Dalmia International, Hospet and their workmen.
4.	No. L-29012/5/74-LR. IV dated 23-1-74 [Ref. No. 4/74 (Central)]	Workmen & Management of M/s. Dalmia International Hospte, Bellary Distt.
5.	No. L-26012/8/74-LR IV dated 21-10-74 [Ref. No. 5/74 (Central))	Workmen & Management of M/s. Dalmia International Hospet, Bellary Distt.
6.	No. L-26011/12/74-LR. IV dated 25-10-74 [Ref. No. 6/74 (Central)]	Workemen & Management of M/s. Dalmia International Hospet, Bellary, Distt.
7.	No. L-26012/4/74-LR-IV dated 15-11-74 [Ref. No. 7/74(Central)]	Workemen & Management of M/s. Dalmia International, Hospet, Bellary Distt.
8.	No. L-26011/8/74-LR-IV dated 21-12-74 [Ref. No. 1/75 (Central)]	Workmen & Management of B.R.H. Iron Ore Mines of M/s. Dalmia International Hospet, Bellary Distt.
9.	No. L-26012/6/74-LR.IV dated 10-1-75 [Ref. No. 2/75 (Central)]	Workmen and Management of B.R.H. Iron Ore Mines of M/s. Dalmia International, Hospet, Bellary Distt
10.	No. L-26011/13/74-LR. IV D. II.(B)dt. 27-2-75 [Ref. No. 3/75 (Central)]	Workmen & Management of Bharata Rayana Haruva Iron Ore Mines of M/s. Dalmia International, Hospet
11.	No. L-29012/9/74-LR. IV D.O.III(B) dated 26-2-75 [Ref. No. 4/75 (Central)]	Workmen & Management of Bharat Gold Mines Ltd., Orgam, K.G.F.
12.	No. L-29012/75/74-LR. IV dated 3-3-75 [Ref. No. 5/75 (Central)]	Workmen and Management of Bharat Gold Mines Ltd., Orgam, K.G.F.
13.	No. L-26012/9/75-D.IV (b) dated 13-8-75 [Ref. No. 8/75 (Central)]	Dalmia International, Hospet (Between the workmen and the Management).
14.	No. L-26012/10/75-D.IV (B) dated 26-8-75 [Ref. No. 9/75 (Central)]	Workmen and Management of Dalmia International, Hospet.
15.	No. 12012/18/73-RL III dated Sept. 1975 [Ref. No. 10/75 (Central)]	Workmen and Management of Syndicate Bank, Manipal.
16.	No. L-29011/3/76-D.III(B) dated 17-3-1976 [Ref. No. 2/76 (Central)]	Workmen and Management of Doddakanya Magnesite Mine of M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd , Mine Division Noamundy.
17.	No. L-12012/85/76D.II(A) dated 19-8-76 [Ref. No. 6/76 (Central)]	Workmen & Management Ltd. K.G.F. of Vijaya Bank Ltd., Bangalore.
18.	No. L-43012/676-D.IV(B) dated 3-9-76 [Ref. No. 7/76 (Central)]	Bharat Gold Mines Ltd., K.G.F. (Between the workmen & the Management)
19	No. L-17012/375-D.II(A) dated 7-5-76 [Ref. No. 3/77 (Central)]	Workmen and Management of National Insurances Company Ltd., Bangalore.
20.	No. L-4307/2/78-D.III(B) dated 4-7-78 [Ref. No. 4/78 (Central)]	Workmen and Management of Ramagiri Gold Mines Project. of M/s. Bharat Gold Mines, Ramagiri.
21.	No. L-12011/678-D.II(A) dated 23-8-78 [Ref. No. 5/78 (Central)]	Between the Workmen and the Management of Karnataka Bank Ltd., Bangalore.
22.	No. L-12011/94/78-D.II (A)dated 21/27-9-78 [Ref. No. 7/78 (Central)]	Workmen and Management of Corporation Bank Ltd., Mangalore.
23.	No. L-4512(I)/77-D.IV(A) dated 24-10-78 [Ref. No. 11/78 (Central)]	Workmen and Management of Mangalore Harbour Project, Penambur.
24.	No. L-12012/66/78-D,II (A) Dated 29-11-78/ 1-12-78 [Ref. No. 12/78 (Central)]	Workmen & Management of Bank of Baroda, Bangalore.
25.	No. L-26012/1/79-D.III (B) dated 17-1-80 [Ref. No. 1/80 (Central)]	Workmen & the Management of Kudremukh Iron Ore Company Ltd., Bangalore.
26.	No. L-26011/53/79-D.IIA. dated 25-3-80 (Ref. No. 2/80 (Central)]	Workmen and Management of Syndicate Bank, Manipal.
27.	No. L-26011/1/79 D.III (B) dated 28-4-80 [Ref. No. 3/80 (Central)]	Workmen & the Management of Tiffine Barytes, Asbestos & Paints Ltd. of Hargonandon Iron Ore & Red Oxide Mines, Bellary.
28.	No. L-12012/42/80-D.III (A) dated 28-4-80 [Ref. No. 4/80 (Central)]	Workmen and the Managmment of Karnataka Bank Ltd., Bangalore.
29.	No. L-26011/6/78-D.III (B) dt. 24-11-79/25-3-80 [Ref. No. 5/80 (Central)]	Donimalai Iron Ore Project NMLC, Donimalai
30.	No. L-12012/201/79-D. IV(A) dt. 28-5-80 [Ref. No. 6/80 (Central)]	Workmen & the Management of Karnataka Bank Ltd., Bangalore.
31.	No. L-29011/59/79-D.III (B) dt. 24-9-80 [Ref. No. 7/80 (Central)]	Workmen & the Management of Bagalkot Udyog Ltd., Bagalkot, Bijapur.
32.	No. L-12012/143/79D.II (A) dt. 14-10-80 [Ref. No. 9/80 (Central)]	Workmen & the Management of Central Bank of India, Bangalore.

1	2	3
33.	No. L-12012/103/79-D.II (A) dt. 15-11-80 [Ref. No. 10/80 (Central).	Workmen & the Management of State Bank of Mysore, Bangalore.
34.	No. L-12012/46/80-D II (A) dt. 20-11-80 (Ref. No. 11/80 (Central).]	Workmen & the Management of State Bank of Mysore, Bangalore.
35.	No. L-12011/9/80-D.III (B) dt. 29-1-81 [Ref. No. 1/81 (Central).	Workmen & Management of Corporation Bank, Hubli.
36.	No. L-26012/9/80-D.III (B) dt. 29-1-81 [Ref. No. 2/81 (Central)	Workmen & Management of Kudremukh Iron Ore Co. Ltd., Bangalore.
37.	No. L-12012/37/80-D.II (A) dt. 23-2-81 [Ref. No. 3/81 (Central).	Workmen & Management of State Bank of Mysore, Bangalore.
38.	No. L-45012/1/80-D.IV (A) dt. 28-2-81 [Ref. No. 4/81 (Central).	Workmen & Management of New Mangalore Port Trust, Penambur, Mangalore.
39.	No. L-12012/35/80-D.II (A) dt. 20-3-81 [Ref. No. 5/81 (Central).	Workmen & Management of Canara Bank, Bangalore.
40.	No. L-12012/74/80-D.II (A) dt. 2-4-81 [Ref. No. 6/81 (Central).	Workmen & Mangement of Canara Bank, Bangalore.
41.	No. L-27011/4/74-LR IV (B) dt. 4-3-75 remanded on 22-4-81 [Ref. No. 6/75 (Central).	Workmen & Management of Sandanoor Manganese & Iron Works Pvt. Ltd., Bellary District.
42.	No. L-12012/264/80 D.II (A) dt. 31-7-81.	Workmen & Management of Dena Bank.

[No. S. 11025(5)/81-D. IV (B)]

आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1982

का० आ० 682.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में सिंगरेनी कोलियरी कम्पनी लि० के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी० प्रसाद राव होंगे जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या सिंगरेनी कोलियरी कम्पनी लि० मन्दमारी और रामकृष्णपुर क्षेत्र डाकघर कल्याखानी जिला आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश) के प्रबंधतंत्र द्वारा श्री पी० जनार्दन और 12 अन्यों (सूची के अनुसार) को उनके कार्यकारी स्थापना की तारीख से माइनिंग स्टाफ के रूप में पुष्टि करने और उनको नियतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं।"

[एल 21012/2/81 डी० IV-बी०]

एस० एस० मेहता, डेस्क अधिकारी

LIST OF THE WORKMEN

S. No.	Name	Present Designation
1.	P. Janardhan KK. 1 Incline	S/F 'C'
2	Kambala Posham KK. 1 Incline	-do-
3.	Kambala Posham K. I Incline	-do-
4.	M. Venkata Chari KK. 1 Incline	S/F 'D'
5.	Pudari Pochaiah KK. 1 Incline	S/F 'C'
6.	Gundla Shankar KK. 1 Incline	S/F 'C'
7.	Gorla Parameshwar RK. 7 Incline	-do-
8.	P. Narayana Rao RK. No. 5 Incline	O/Man
9.	S. V. Narasimha Rao KK. 5A Incline	O/Man
10.	Md. Ameer KK. 5A Incline	O/Man
11.	R. Santhaiah SRP No. 1 Incline	O/Man
12.	G. Rayalingu Morgans Pit.	S/F 'C'
13.	K. Sathyanarayana Rao, KK. 5A Incline	O/Man

ORDER

New Delhi, the 18th January, 1982

S.O. 682.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Co. Ltd. and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri B. Prasada Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of S. C. Co. Ltd., Mandamarri and Ramakrishnapur Areas, PO-Kalyakhani, Adilabad-Distt (AP) in not confirming Shri P. Janardhan and 12 others (per list) as the mining staff from the first date of their acting/officiating and in denying fixation and annual increaments to these persons from such dates was justified ? If not, to what relief the workmen concerned are entitled ?"

[No. 21012(2)/81-D. IV (B)]

S. S. MEHTA, Desk Officer

LIST OF THE WORKMEN

S. No.	Name	Present Designation
1.	P. Janardhan KK. 1 Incline	S/F 'C'
2	Kambala Posham KK. 1 Incline	-do-
3.	Kambala Posham KK. 1 Incline	-do-
4.	M. Venkata Chari KK. 1 Incline	S/F 'D'
5.	Pudari Pochaiah KK. 1 Incline	S/F 'C'
6.	Gundla Shankar KK. 1 Incline	S/F 'C'
7.	Gorla Parameshwar RK. 7 Incline	-do-
8.	P. Narayana Rao RK No. 5 Incline	O/Man
9.	S. V. Narasimha Rao KK. 5A Incline	O/Man
10.	Md. Ameer KK. 5A Incline	O/Man
11.	R. Santhaiah SRP No. 1 Incline	O/Man
12.	G. Rayalingu Morgans Pit.	S/F 'C'
13.	K. Sathyanarayana Rao, KK. 5A Incline	O/Man

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1982

का० आ० 683.—मैसर्स डेला कालेज इंदौर (मध्य प्रदेश)/3973) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति, तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा, फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014(463)/82-पीएफ-2]

(Department of Labour)

New Delhi, the 23rd December, 1982

S.O. 683.—Whereas Messrs The Daly College, Indore (MP/3973) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section

17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such deturns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Nowithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point to view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(463)/82-PF. II]

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1983

का० आ० 684--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कांनसुलेट जनरल आफ जापान, 12 प्रिटोरिया स्ट्रीट, कलकत्ता-71 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ;

[सं० एस 35017(16)/79 पीएफ2]

New Delhi, the 10th January, 1983

S.O. 684.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Consulate General of Japan, 12-Pretoria Street, Calcutta-71 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(16)/79-PF. II]

का० आ० 685- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स होम सिल्क्स (इंडिया) (प्राइवेट) लिमिटेड, 12-पी-पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-71, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/66/82-पी० एफ-2]

S.O. 685.—Whereas it appears to the Central Government that the provisions of the Employees Provident Funds and to the establishment known as Messrs Home Builders (India) (Private) Limited, 12P, Park Street, Calcutta-71, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(66)/82-PF. II]

का० आ० 686:--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंडिया बुक डिस्ट्रिब्यूटर्स, 107-108 आर्कडिया, 10वीं मंजिल नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-21 जिसके अन्तर्गत 105, धर्म पैलेस, ह्यूस रोड, मुम्बई-7 स्थित उसकी शाखा भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018/83/82-पी० एफ-2]

S.O. 686.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs India Book Distributors, 107-108, Arkadia, 10th Floor, Nariman Point, Bombay-21 including its branch at 105, Dharam Place, Hughes Road, Bombay-7, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35018(83)/82-PF. II]

का० आ० 687:--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूनिवर्सल गैस सप्लायर्स (प्राईवेट) लिमिटेड, सं० मोहनसिंह बिल्डिंग कनाट लेन, नई दिल्ली जिसमें उसका 1 और 2 इन्डस्ट्रियल एरिया नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली स्थित कारखाना भी शामिल है। नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[एस० 35019(119)/82-पी० एफ-II]

S.O. 687.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Universal Gas Suppliers (Private) Limited, S. Mohan Singh Building, Connaught Lane, New Delhi including its factory at 1 and 2 Industrial Area, Najafgarh Road, New Delhi-15, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(119)/82-PF. II]

का० आ० 688:--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नार्थ कलकत्ता इंजीनियरिंग वर्क्स 116/2 बिधान सरनी, कलकत्ता-4, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/120/82-पी० एफ-2]

S.O. 668.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs North Calcutta Engineering Works, 116/2, Bidhan Sarani, Calcutta-4, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(120)/82-PF. II]

का० आ० 689:--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आरकेप एंड एसोसिएट्स 7-ए लाला लाजपत राय सरनी, (एलगिन रोड) कलकत्ता 20 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/121/82 पी० एफ 2]

S.O. 689.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Arkepp and Associates, 7-A, Lala Lajpat Rai, Sarani, (Elgin Road), Calcutta-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(121)/82-PF. II]

का० आ० 690:--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ईस्ट एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, 2, मोतीलाल मल्लिक लेन, कलकत्ता-35 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/122/82 पी० एफ-2]

S.O. 690.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs East End Engineering Works, 2, Motilal Mullick Lane, Calcutta 35, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No S-35017(122)/82 PF. II]

का० आ० 691.—केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम्पायर टाइम इण्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, 2, मानिकतला इण्डस्ट्रियल एस्टेट, कलकत्ता-54, जिसके अन्तर्गत 15, राधा बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता-1, स्थित, उसका शहर कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/133/82-पी० एफ-2]

S.O. 691.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Empire Time Industries (Private) Limited 2, Manicktala Industrial Estate, Calcutta-54 including its city office at 15, Radha Bazar Street, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No S-35017(133)/82-PF II]

का० आ० 692.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शा एन्टरप्राइज, बी-75, गार्डन रीच रोड, कलकत्ता-24, जिसके अन्तर्गत बी-70 आयरन गेट रोड, गार्डन रीच रोड, कलकत्ता-24 स्थित उसका मुख्य कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/134/82-पी० एफ-2]

S.O. 692.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sha Enterprise, B-75, Garden Reach Road, Calcutta-24 including its Head Office at B-70, Iron Gate Road, Garden Reach Road, Calcutta-24, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No S-35017(134)/82-PF II]

का० आ० 693.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जैमको रबड़ इण्डस्ट्रीज, 5/2, तिलजला रोड, कलकत्ता-46, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/136/82-पी० एफ-2]

S.O. 693.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Zamco Rubber Industries, 5/2, Tiljala Road, Calcutta-46, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No. S-35017(136)/82-PF. II]

का० आ० 694.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जे० एम० इंडस्ट्रीयल्स, यूनिट नं० 19 एंड 46 सर्वोदय इंडस्ट्रीयल एस्टेट, महाकाली केवस रोड, अंधेरी-कुर्ला रोड, मुम्बई-93, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018(164)/81-पी० एफ०-II]

S.O. 694.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs J. M. Industrial Estate Mahakali Caves Road. Andheri-Kurla Road, Bombay-93, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(164)/81-PF. II]

का० आ० 695.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हालीवुड डायर्स एंड ड्राइ-क्लीनर्स, 44/1, हरि राम गोयनका स्ट्रीट, कलकत्ता-70 जिसके अंतर्गत (1) 374, रवीन्द्र सारणी, कलकत्ता-70 और शाखाएं भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/156/82-पीएफ-2

S.O. 695.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hollywood Dyers and Dry-Cleaners, 44/1 Sir Hariram Goenka Street, Calcutta-70 including its branches at (1) 374, Rabindra Sarance, Calcutta-70 and (2) 35/2-A, Belgachia Road, Calcutta-37, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(156)/82-PF. II]

का० आ० 696.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स उत्कल को-आपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, भुवनेश्वर, प्लाट सं० 3, यूनिट खरवेलनगर, भुवनेश्वर-1 जिसके अंतर्गत प्लाट सं० 3, यूनिट III, जिला पुरी (उड़ीसा) स्थित उसका मुख्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/183/82-पी० एफ-2]

S.O. 696.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Utkal Co-operative Banking Society Limited, Bhubaneswar, Plot No. 3, Unit Kharvelanagar, Bhubaneswar-1, including its Head Office at Plot No. 3, Unit III District Puri (Orissa), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(183)/82-PF. II]

का० आ० 697.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स होटल नटराज, बकरम, मुशुराबाद, हैदराबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/241/82-पी० एफ-2]

S.O. 697.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hotel Nataraj, Bakaram, Mushurabad, Hyderabad have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(241)/82-PF. II]

का० आ० 698.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दी ईस्टर्न इन्सुलेशन्स, 30, नलिन सरकार स्ट्रीट, कलकत्ता-700004 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/280/82-पी० एफ० 2]

S.O. 698.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Eastern Insulations, 30, Nalin Sarkar Street, Calcutta-4 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(280)/82-PF. II]

का० आ० 699.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रेपिड मेरीटाइम्स, 185 थाम्बू-चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-1, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/373/82-पी० एफ-2]

S.O. 699.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rapid Maritimes, 185 Thambu-Chetty Street, Madras-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(373)/82-PF. II]

का० आ० 700.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लाबोकेम, लैबोरेट्रीज, एफ-9, आई० डी० ए० मार्ग, नं० 12, नाचरम, हैदराबाद 1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/374/82-पी० एफ०-2]

S.O. 700.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Plabechem Laboratories, F/9, I.D.A. Road No. 12, Macharam, Hyderabad have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(374)/82-PF. II]

का० आ० 701.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फर्नोएस्टेट, पट्टी वी रन पट्टी, पोस्ट आफिस, मदुरै जिला (तमिलनाडु), नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/379/82-पी० एफ-2]

S.O. 701.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ferno Estate, Pattiveeranpatti Post Office Madurai District, (Tamil Nadu), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(379)/82-PF. II]

का० आ० 702.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अरुणा रोलर फ्लोर मिल्स (प्रा०) लिमिटेड, टी० पी० गुडम तनुकू, वेस्ट गोदावरी जिला, हैदराबाद। नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/395/82-पी० एफ 2]

S.O. 702.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Aruna Roller Flour Mills (Private) Limited, T.P. Gudem Tanuku, West Godavari District, Hyderabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No. S-35019(395)/82-PF. II]

का० आ० 703.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फोनिक्स इलैक्ट्रोनिक्स, 158, माउन्ट रोड, मद्रास-2, अपनी शाखा जो 15, लैटिस ब्रिज रोड, मद्रास-20 में स्थित है, के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/396/82-पी० एफ-2]

S.O. 703.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Phoenix Electronics, 158, Mount Road, Madras-2 including its branch at 15, Lattice Bridge Road, Madras-20, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35013(399)/82-PF. II]

का० आ० 704.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स क्रान्ति प्रैस, 2, फ्रान्सिस जोसेफ स्ट्रीट, मद्रास-1, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/399/82-पी० एफ-2]

S.O. 704.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kranti Press, 2 Francis Joseph Street, Madras-1 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(399)/82-PF. II]

का० आ० 705.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कपिल चिट फंड्स (प्रा०) लिमिटेड, करीमनगर, 3-5-150/14 गांधी रोड, करीमनगर, आन्ध्र प्रदेश। नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/400/82-पी० एफ-2]

S.O. 705.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kapil Chit Funds (Private) Limited, Karimnagar 3-5-150/14, Gandhi Road, Karim-

nagar, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(400)/82/PF. II]

का० आ० 705.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वाम ओर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, स्काईलाईन हाऊस, तीसरी मंजिल, 85, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19 अपने रजिस्टर्ड आफिस और फैक्टरी जो पोस्ट आफिस गजरौला-244235, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में है, के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/406/82-पी० एफ-2]

S.O. 706.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vam Organic Chemical Limited, Skyline House, 3rd Floor, 85, Nehru Place, New Delhi-19 including its Registered Office and Factory at Post Office Gajraula-244235 District Moradabad, (U.P.) have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers confefied by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(406)/82-PF. II]

का० आ० 707.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जयप्रकाश इन्टरप्राईजिज लिमिटेड, 44, बसन्त लोक, कम्यूनिटी सेन्टर, बसन्त विहार, नई दिल्ली अपने होटल सिद्धार्थ, 3 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली के सहित नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिए;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019 (407)/82-पी० एफ०-2]

S.O. 707.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jaiprakash Enterprises Limited, 44, Basant Lok, Community Centre, Basant Vihar, New Delhi including Hotel Sidharth, 3, Rajendra Place, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. 35019(407)/82-PF. II]

का० आ० 708.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मुंजाल कास्टिंग्स, 730 इंडस्ट्रियल एरिया-बी, लुधियाना नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/409/82-पी० एफ०-2]

S.O. 708.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Munjal Castings, 730, Industrial Area-B, Ludhiana, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Privisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S 35019(409)/82-PF. II]

का० आ० 709.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सासान्को इलैक्ट्रीकल्स, 32 तिनशेड साकची, जमशेदपुर, बिहार, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/411/82-पी० एफ०-2]

S.O. 709.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sasanko Electricals, 32, Tinshed Sakchi, Jamshedpur, Bihar, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(411)/82-PF. II]

का०आ० 710.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सीमा काटन डवैल्पमेंट एंव रिसर्च एसोसिएशन, गनगुगा मनराम रेस कोर्स, कोयम्बटूर 18, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस 35019/445/82 पी० एफ० -II]

S.O. 710.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Sima Cotton

Development and Research Association, Shanmuga Manram, Race Course, Coimbatire-18, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be amde applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(445)/82-PF. II]

का०आ० 711.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हालिडे ट्रावल्स (प्राईवेट) लिमिटेड, 8/434, त्रिची रोड कोयम्बटूर-18 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस 35019/446/82-पी० एफ०-2]

S.O. 711.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Holiday Travels (Private) Limited, 8/434, Trichy Road, Coimbatore-18, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(446)/82-PF. II]

का०आ० 712.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वी० एस० पी० एन्टरप्राईजेस, नम्बर 80, पलयाकारा स्ट्रीट मद्रास-23, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस 35019/447/82-पी० एफ०-2]

S.O. 712.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs V. S. P. Enterprises, No. 80, Palayakara Street, Madras-23, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No. S 35019(447)/82-PF. II]

का०आ० 713.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अनील इन्डस्ट्रीज, 308/1 शहजादा बाग, ओल्ड रोहतक रोड, दिल्ली 110035, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस 35019/478/82-पी० एफ० 2]

S.O. 713.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Anil Industries, 308/1, Shahzada Bagh, Old Rohtak Road, Delhi-35, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(478)/82-PF. II]

का० आ० 714.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स के० ग्रोवर एंड कम्पनी, 426/31, फ्रेन्डस कालोनी, इन्डस्ट्रियल एरिया जी टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032, तथा इसका मुख्य कार्यालय ग्रोवर मेन्शन तीसरी मंजिल, 3/7 आसफअली रोड, नई दिल्ली 110002 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/479/82 पी० एफ०-2]

S.O. 714.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs K. Grover and Company, 426/31, Friends Colony, Industrial Area, G. T. Road, Shahdara, Delhi-32 including its Head Office at Grover Mansion, 3rd Floor, 3/17, Asaf Ali Road, New Delhi-110002, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(479)/82-PF. II]

का०आ० 715.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मुख्तार अहमद, कान्ट्रेक्टर, आनन्द भवन रोड, रुरकेला- 769001 जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/480/82-पी० एफ० 2]

S.O. 715.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Muktar Ahmad, Contractor, Anand Bhavan, Road, Rourkela-I, District Sundergarh, Orissa, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No. S-35019(480)/82-PF. II]

का० आ० 716:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रकाश सोप इंडस्ट्रीज पंजरा पोल कम्पाउंड, महसाना, गुजरात, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/481/82-पी० एफ-2]

S.O. 716.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Prakash Soap Industries, Panjra Pole Compound, Mehsana, Gujarat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(481)/82-PF. II]

का० आ० 717:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कूटेक्स प्रोडक्टस इंडिया, ए-32 ग्रुप इन्डस्ट्रियल एरिया, वजीरपुर दिल्ली तथा इसका सेल्स डीपो 5401, नयी मार्कीट, सदर बाजार, दिल्ली-6 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/482/82-पी० एफ०-2]

S.O. 717.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Cutex Products India, A-32, Group Industrial Area Wazirpur, Delhi including its Sales Depot at 5401, New Market, Sadar, Delhi 6, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(482)/82-PF. II]

का० आ० 718:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बी० पी० स्टील इण्डस्ट्रिज, 286, 287 ग्रान्ड ट्रंक रोड, हावड़ा-6 तथा ब्रांच कानकरबाग रोड, पटना-20, बिहार नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/501/82-पी० एफ०-2]

S.O. 718.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs B. P. Steel Industries, 286, 287, Grand Trunk Road, Hawrah-6 including its branch at Kankarbagh Road, Patna-20, Bihar, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(501)/82-PF. II]

का० आ० 719:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शलाक्स फार्मास्यूटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड, ए-15/1, नरायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली तथा इसका रजिस्टर्ड एण्ड एडमिनिस्ट्रेटीव आफिस, ए/30, विशाल इन्कलेव नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली 27 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/504/82-पी०एफ०-2]

S.O. 719.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shalaks Pharmaceuticals Private Limited, A-15/I, Naraina Industrial Area, Phase-I.

New Delhi including its Registered and administrative Office at A/30, Vishal Enclave, Najafgarh Road, N. Delhi have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(504)/82-PF. II]

का० आ० 720—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पदमा इन्जीनियर्स, 5-बी०, ई० सी०, कुशाईगुडा, हैदराबाद-500762 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/505/82 पी० एफ० 2]

S.O. 720.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Padma Engineers, 5-B. E. C., Kushaiguda, Hyderabad-500762, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(505)/82-PF. II]

का० आ० 721—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डिपार्टमेन्टल कैन्टीन पे अकाउन्ट्स आफिस (ओ० आर० एस०) दि मराठा लाईट इन्फेन्टरी, बेलगाम-590009, कर्नाटक राज्य नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/506/82- पी० एफ० 2]

S.O. 721.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Departmental Canteen, pay Accounts Office, (ORS), The MLA, Belgaum, Karnataka State, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No S-35019(506)/82-PF. II]

का० आ० 722—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्रेयो इन्जिनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड, 7-बी, सुभाष इन्डस्ट्रियल स्टेट, रामोल रोड, अहमदाबाद-26 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/507/82- पी० एफ० 2]

S.O. 722.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shreya Engineering Private Limited, 7-B Subhash Industrial Estate, Rakhial Road, Ahmedabad-26, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[Uo. S-35019(507)/82-PF. II]

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1983

का० आ० 723—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा जनवरी, 1983 के 30 वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध गुजरात राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला बलसाड में पार्डी तालुक के अन्तर्गत गुजरात औद्योगिक विकास निगम, वापी के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।"

[संख्या एस०-38013/39/82 एस० आई०]

New Delhi, the 12th January, 1983

S.O. 723.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 30th day of January, 1983 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters

V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Gujarat, namely :—

"The areas comprised within the notified area of Gujarat Industrial Development Corporation of Vapi, Taluka Pardi, District Valsad."

[No. S-38013/39/82-HI]

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1983

का० आ० 724—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 30 जनवरी, 1983 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध गुजरात राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला मेहसाना, विसनगर तालुक, ग्राम कांसा की ग्राम पंचायत और राजस्व सीमाएं तथा विसनगर कस्बे की नगरपालिका सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।"

[संख्या एस०-38013/41/82- एच० आई०]
ए० के० भट्टराई, अवर सचिव

New Delhi, the 13th January, 1983

S.O. 724.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 30th January, 1983 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Gujarat, namely :—

"The areas comprised within the Municipal limits of Visnagar Town and the Gram Panchayat and revenue limits of village Kansa, Taluka Visnagar District Mehsana."

[No. S-38013/41/82-HI]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

(पुनर्वास विभाग)

का० आ० 725—विस्थापित व्यक्ति (दावा) अनुपूरक अधिनियम, 1954 (1954 का 12) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, पुनर्वास विभाग में श्री डी० सी० चौधरी, बन्दोबस्त अधिकारी को उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन अपर बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए तत्काल प्रभाव से अपर बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 1(26)/विशेष सैल/82-एस० एस० II (क)]

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 30th December, 1982

S.O. 725.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Claims) Supplementary Act, 1954 (No. 12 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri D. C. Chaudhury Settlement Officer, in the Department of Rehabilitation as Additional Settlement Commissioner for the purpose of performing the functions assigned to such officer by or under the said Act with immediate effect.

[No. 1(26)/Spl. Cell/82-SS. II (A)]

का० आ० 726—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वास विभाग में सहायक बन्दोबस्त आयुक्त, श्री डी० सी० चहल को, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अभिरक्षक को सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन से दिल्ली के लिए निष्क्रान्त सम्पत्ति के अभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं०-1(26)/विशेष सैल/82-एस० एस०-II (ख)]

S.O. 726.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), Central Government hereby appoints Shri D. C. Chahal, Assistant Settlement Commissioner in the Department of Rehabilitation as the Custodian of Evacuee Property, Delhi for the purpose of discharging the duties imposed on the Custodian by or under the said Act.

[No. 1(26)/Spl. Cell/82-SS. II. (B)]

का० आ० 727—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वास विभाग में बन्दोबस्त अधिकारी श्री डी० सी० चौधरी को उनके अपने कार्यभार के अतिरिक्त उक्त अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अपर बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए अपर बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 1(26)/विशेष सैल/82-एस० एस० II (ग)]
महेन्द्र कुमार कंसल, अवर सचिव

S.O. 727.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri D. C. Chaudhury, Settlement Officer, Department of Rehabilitation as Additional Settlement Commissioner for the purpose of performing, in addition to his own duties as Settlement Officer, the functions assigned to an Additional Settlement Commissioner by or under the said Act.

[No. 1(26)/Spl. Cell/82-SS. II. (C)]
M. K. KANSAL, Under Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

श्रम विभाग

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1982

का०आ० 728—मैसर्स न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड 87 महात्मा गांधी रोड,बम्बई (महाराष्ट्र 8947) (महा/10118), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और, केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्थापन के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/312/82-पी एफ-II]

S.O. 728.—Whereas Messrs New India Assurance Com-

S.O. .—Whereas Messrs New India Assurance Company Limited, 87 Mahatma Gandhi Road, Bombay (MH/8947), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Cetral Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Scheme annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund, of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(312)/82-PF. II]

का०आ० 729.—मैसर्स गैस्ट कीन विलियम्स लिमिटेड, सांकय पैकिंग डिविजन लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, भण्डूप, बम्बई-78 (महाराष्ट्र/9074), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और, केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन

देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/308/82-पी०एफ०-II]

S.O. 729.—Whereas Messrs Guest Keen Williams Limited, Sankey Pressing Division, Lal Bahadur Shastri Mark, Bhandup, Bombay-78 (MH/75), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, (Bombay), a maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his opproval, give a reasonable opportunity to the employtes ti explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(308)/82-PF. II]

का०आ० 730.—मैसर्स डाक्टर बैक एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड 147, बम्बई पूना रोड, पूना-18 जिसमें उसकी अंकलेश्वर गुजरात महाराष्ट्र-6549 शाखा शामिल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देता है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014/30982-पी० एफ०-II]

S.O. 730.—Whereas Messrs Dr. Beck and Company (India) Limited, 147, Bombay Poona Road, Poona-18 including its branch at Ankleshwar Gujarat, (MH/6549), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the emyloyers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the langauge the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra (Bombay), and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No S-35014(309)/82-PF. II]

का० आ० 731.—मैसर्स तुलसी फार्इन केमिकल इण्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, 1216/7 फेर्गुसन कालेज रोड, शिवाजीनगर पूणे-4 (महाराष्ट्र/12495) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014/304/82-पी० एफ०-2]

S.O. 731.—Whereas Messrs Tulsi Fine Chemical Industries (Private Limited, 1216/7, Fergusson College Road, Shivajinagar, Poona-4 (MH/12495), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their points of view

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(304)/82-PF. II]

का०आ० 732.—मैसर्स गेस्ट कीन विलियम्स लिमिटेड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, भण्डूप, बम्बई-78 (महाराष्ट्र/9074) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिससे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014/307/82-पी०एफ०2]

S.O. 732.—Whereas Messrs. Guest Keen Williams Limited, Lal Bahadur Shastri Marg, Bhandup, Bombay-78 (MH/9074), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Link Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(307)/82-PF. II]

का० आ० 733.—मैसर्स न्यू प्रेसिशन (इण्डिया) लिमिटेड, प्रेसिशन हाउस, स्टेशन रोड, देवास-455001, (म०प्र०/694), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014/365/82-पी एफ-2]

S.O. 733.—Whereas Messrs New Precision (India) Limited, Precision House, Station Road, Dewas-455001, (MP/694), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including Maintenance of accounts, sub-

mission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would, have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S.35014(365)/82-PF. II]

का० आ० 731.—मैसर्स शा वालेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड, (प० बंगाल/5027 और सहयोगी कम्पनियां 4-बैंकशाल स्ट्रीट, कलकत्ता (प० बंगाल/1645) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं०एस-35014/357/82-पी०एफ-2]

S.O. 734.—Whereas Messrs Shaw Wallace and Company Limited (WB/5027) and its Associated Companies, 4, Banksshall Street, Calcutta, (WB/1645), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are move favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal (Calcutta), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominees of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner West Bengal (Calcutta), and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

[No. S-35014(357)/82-PF. II]

का० आ० 735.—मैसर्स टेलेकाम फैक्ट्री, अलीपुर, 248-ए० जे० रोड, कलकत्ता (कोड न० पश्चिमी बंगाल/1769) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिमी बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिमी बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/356/82/पी०एफ० II]

S.O. 735.—Whereas Messrs Telecom Factory, Alipore 248, A. J. Bose Road, Calcutta, (WB/1769). (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life

Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal (Calcutta) maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner West Bengal Calcutta and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of the exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(356)/82-PF-II]

का० आ० 736 मैसर्स महाराष्ट्र ... लिमिटेड ... एम० आई० ... मार्ग ... (महाराष्ट्र/1136), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/359/82-पी० एफ-II]

S.O. 736.—Whereas Messrs Maharashtra Scooters Limited, C-1, M.I.D.C. Area, Satara-415003, (MH/18365), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

[No. S-35014(359)/82-PF. II]

का०आ० 737.—मैसर्स किनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड, डी-1 ब्लाक प्लाट सं० 18/2, चिन्चवाड़, पुणे-19 (महाराष्ट्र/14219), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारण वश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/354/82-पी०एफ०-II]

S.O. 737.—Whereas Messrs Kinetic Engineering Limited, D-1 Block, Plot No. 18/2, Chinchwad, Pune-19, (MH/14219). (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to, the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government moy direct from time to time

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, Bombay and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(358)/82-PF II]

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1982

का. आ. 738.—मैसर्स जूआरी आग्रो कैमिकल्स लिमिटेड, जय किसन भवन, जूआरीनगर, गोआ-403726 (महाराष्ट्र 990), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/292/82-पी एफ-2]

New Delhi, the 18th December, 1982

S.O. 738.—Whereas Messrs Zuari Agro Chemicals Limited, Jai Kisan Bhawa, Zuarinagar, Goa-403726 (MH/9969) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5 Whereas an employee who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9 Where for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11 In case of default, if any, made by the employer in payment of premium, the responsibility for payment of insurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12 Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(292)/82-PF II]

का. आ. 739.—मैसर्स तमिलनाडु सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड एल. एल. ए. बिल्डिंग्स, दूसरी मंजिल 735-अन्ना सलाई मद्रास-600002, (टी एन 11332) और रामनाद जिले के आलंगुलम में और त्रिची जिले के अरियलूर में स्थित उसकी यूनिटें जो कि तमिलनाडु में कोड न टी एन /7309 के अन्तर्गत आती हैं, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मद्रास को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मद्रास के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, जो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/269/82-पी. एफ. 2]

S.O. 739.—Whereas Messrs Tamil Nadu Cement Corporation Limited, L.L.A. Buildings, 2nd Floor, 735-Anna Salai, Madras-600002 (TN/11332) and its Units at Alangulam in Ramnad District and Ariyalur in Trichy District which are centrally covered under Code No. TN/7309 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable the opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(269)/82-PF.II]

का. आ. 740.—मैसर्स सेन्च्युरी रेयान, पोस्ट बाक्स नं 22, डाकघर शाहाद कल्याण, बम्बई (महाराष्ट्र/1616), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी

बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/294/82-पी. एफ -2]

S.O. 740.—Whereas Messrs Century Rayen, Post Box No. 22, Post Office Shahal, Kalyan, (Bombay (MH/1616) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Cetral Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insuranc Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance' Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said estblishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said estabilshment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay). maintain such accounts, and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees, then the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(294)/82-PF.II]

का. आ. 741.—मैसर्स के. के. नाग (प्राइवेट) लिमिटेड, लैड एण्ड प्लास्टिक इंजीनियर्स, 23/5ए, बन्द गार्डन रोड, पुणे-411001 (महाराष्ट्र/11272) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र (बम्बई) के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/293/82-पी. एफ. -2]

S.O. 741.—Whereas Messrs K. K. Nag (Private) Limited, Lead and Plastic Engineers, 23/5A, Bund Garden Road, Pune-411001, (MH/11272) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insuranc Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said estblishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits availabe to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Lif Insurance Corporation of India and the policy is allowe to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to th nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(293)/82-PF.II]

का. आ. 742 .—मैसर्स बिजनैस कम्बाइन लिमिटेड, प्लाट नं. 16 एम आई डी सी इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, सतपुर, नासिक-7 (महाराष्ट्र/11293), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है :

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/298/82-पी. एफ.-2]

S.O. 742.—Whereas Messrs Business Combine Limited, Plot No. 16, MIDC Industrial Estate, Satpur, Nasik-7, (MH/11293) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said estblishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits availabe to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less then the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(298)/82-PF II]

का०आ० 743.—मैसर्स प्रतीमा एन्टरप्राईजिज, 33/9, कोम्पगास, प्रभात रोड, पुणे 411004 (महाराष्ट्र/6669), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया गया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियां प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति या कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक जीवन बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस- 35014/295/82-पी० एफ०-II]

S.O. 743.—Whereas Messrs Pratibha advertising, 33/9, Cosmos, Prabhat Road, Pune-411004 (MH/6669) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and suubject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said estblishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a transation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees then the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(295)/82-PF.II]

का०आ० 744.—मैसर्स भारत फोर्ज कम्पनी लिमिटेड, मुन्धवा, पुणे 411001, (महाराष्ट्र/8004), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम, कहा गया है) की धारा 17 का उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवदन किया है

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसा पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 का उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों में सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों, विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस० 35014/368/82-पी०एफ०[I]]

ए. के. भट्टराई, अवर सचिव

S.O. 744.—Whereas Messrs Bharat Forge Company Limited, Mindhwa, Pune-411001, (MH/8004) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme. 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a transaction of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits availabe to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(360)/82-PF. II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983